चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अखबार

www.chauthiduniya.com

राज्यसभा में चौथी दुनिया

पेज 3

बुंदेलखंड बेबस और बदहाल है

पेज 5

पाकिस्तान में आर्थिक सुधार के लिए राजनीतिक सुधार ज़रूरी

पेज 11

हरिद्वार अतिक्रमण की चपेट में

पेज 13

मूल्य 5 रुपये

दिल्ली, 7 दिसंबर-13 दिसंबर 2009

रंगनाथ मिश्र कमीशन

रिपोर्ट पेश न होना राज्यसभा का अपमान

संतोष भारतीय

राज्यसभा सर्वशक्तिमान है. राज्यसभा में देश के चुने हुए बुद्धिजीवी, लोकतंत्र के प्रहरी माने जाने वाले नागरिक, संविधानविद्, वरिष्ठ व्यक्ति जो लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं, सदस्य होते हैं. उनके चुनाव में यद्यपि राजनैतिक दलों की भूमिका होती है, पर माना जाता है कि देश की बुनियादी समस्याओं पर उनका रुख़ कमोबेश एक जैसा ही होगा और वे दलों के दलालों की तरह नहीं, देश के लोकतंत्र के प्रहरी और जनता के हितों के पहरुओं की तरह काम करेंगे.

यह सर्वशक्तिमान राज्यसभा कमज़ोरों का जमावड़ा बन गई है. देश के ऐसे लोगों के हितों की रक्षा नहीं कर पा रही है, जिनके पास आवाज़ उठाने की ताक़त नहीं है. रंगनाथ मिश्र कमीशन का गठन सच्चर कमीशन से पहले हुआ था. इसके टर्म ऑफ रिफरेंस में सुप्रीम कोर्ट के कहने पर अन्य धर्मों में दलितों की पहचान जुड़ा था. ईसाई संगठन सुप्रीम कोर्ट गए थे कि उनके दलितों को भी आरक्षण की सुविधा मिले, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने यह फ़ैसला लिया था. रंगनाथ मिश्र कमीशन का गठन कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत हुआ था.

रंगनाथ मिश्र कमीशन की रिपोर्ट सच्चर कमेटी के बाद आई, लेकिन इसकी सिफ़ारिशें और इसके नतीजे आंख खोलने वाले हैं. जब इस कमीशन की रिपोर्ट संसद में पेश नहीं की गई तो कई लोग सूचना के अधिकार के तहत मुख्य सूचना आयुक्त के पास गए. मुख्य सूचना आयुक्त ने सरकार से कहा कि उसे रिपोर्ट और जानकारी देनी चाहिए. सरकार इसके ख़िलाफ़ कोर्ट में चली गई. क्यों सरकार इस रिपोर्ट को सदन में नहीं रख रही? ऐसा लग रहा है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट को भी अंगूठा दिखा रही है.

चौबीस नवंबर का दिन राज्यसभा के इतिहास में दु:खद दिन के रूप में देश के लोग याद करेंगे. उस दिन राज्यसभा के सदस्यों ने मांग की कि रंगनाथ मिश्र कमीशन की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जाए. यह मांग अनसुनी कर दी गई, तब सदस्यों ने हंगामा किया. दो बार के स्थगन के बाद सदस्यों को दो-दो मिनट बोलने की इजाज़त दी गई, जिसमें सभी सदस्यों ने कहा कि जब रिपोर्ट चौथी दुनिया ने छाप दी है तो क्यों इसे टेबल नहीं किया जाता. पहली बार चेयर पर सभापति थे और दूसरी बार उप सभापति. सभापति महोदय स्वयं कमज़ोर वर्ग से आते हैं. उनका नाम भी उप राष्ट्रपति पद के लिए वामपंथी दलों ने सुझाया था, लेकिन लगता है कि उप राष्ट्रपति बनने के बाद (और इसी वजह से वे राज्यसभा के सभापति हैं) उन्होंने अपने को कमज़ोर और ग़रीब तबकों से अलग कर लिया है. वे चाहते तो आसानी से सरकार को निर्देश दे सकते थे कि सरकार बताए कि कब वह रंगनाथ मिश्र आयोग की रिपोर्ट को सदन में रखेगी.

[रंगनाथ मिश्र कमीशन की रिपोर्ट को सदन में न रखवा पाने वाले राज्यसभा के सदस्य क्या शक्तिहीन और निर्वीर्य हो गए हैं? क्या राज्यसभा जनता के कमज़ोर वर्गों के लोकतांत्रिक अधिकारों का संरक्षण करने में असफल रहने के कारण अपनी सार्थकता खोती जा रही है?]

उसी दिन लोकसभा में गृहमंत्री चिदंबरम ने लिब्रहान कमीशन की रिपोर्ट पेश की थी. इसके दो दिन पहले रिपोर्ट एक अख़बार में लीक हो गई थी. चिदंबरम राज्यसभा में उस समय उपस्थित थे, क्यों लिब्रहान कमीशन की रिपोर्ट पेश हुई और रंगनाथ मिश्र कमीशन की नहीं, इसे समझना चाहिए. लिब्रहान कमीशन का रिश्ता भावनात्मक सवाल से था, जबकि रंगनाथ मिश्र कमीशन का रिश्ता देश की ज़मीनी हक़ीक़त से. सरकार भावनात्मक सवाल उठा भाजपा को कठघरे में खड़ा करना चाहती थी, जबकि वह ख़ुद खड़ी हो गई, क्योंकि उस समय प्रधानमंत्री कांग्रेस का था. लिब्रहान कमीशन की कार्रवाई रिपोर्ट से भाजपा का फ़ायदा हुआ और भाजपा जो टुकड़ों में बंटी नज़र आ रही थी, ऊपरी तौर पर एक नज़र आने लगी है. भाजपा का साथ कांग्रेस अक्सर देती दिख जाती है, इसीलिए भाजपा भी कांग्रेस का साथ देती है.

राज्यसभा के सभापति ने लोकसभा में रखी गई लिब्रहान कमीशन की तर्ज़ पर रंगनाथ मिश्र कमीशन की रिपोर्ट रखने का निर्देश नहीं दिया, अगर उस दिन वे निर्देश दे देते तो कमीशन द्वारा पहचाने गए क्रिश्चियन समाज और मुस्लिम समाज के दलितों के लिए आरक्षण का फ़ायदा उठाने का दरवाज़ा खुल जाता. देश का ईसाई और मुस्लिम समाज तथा इनके सबसे कमज़ोर दलित वर्ग के लोग अभी कितने ख़ून के आंसू गिराएंगे, कहा नहीं जा सकता और इसकी ज़िम्मेदारी राज्यसभा के सभापति की होगी.

क्या हुआ राज्यसभा के सर्वशक्तिमान सांसदों की ताक़त का, लगभग हर दल के सांसद चाहते थे कि यह रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जाए, पर वे न सरकार को तैयार कर सके और न ही चेयर पर दबाव डाल सके. क्या राज्यसभा, जिस पर लोकतंत्र को संभालने की ज़िम्मेवारी है, उच्च सदन कहा जाता है, शक्तिहीनों और निर्वीर्य लोगों के बैठने का एक क्लब भर रह गया है? क्या राज्यसभा से जनता को अपना भरोसा ख़त्म कर लेना चाहिए?

राज्यसभा के सदस्यों को हम बताना चाहते हैं कि वे किस महत्वपूर्ण दस्तावेज़ को सदन में रखवाने में विफल रहे. ईसाई समाज और मुस्लिम समाज के दलितों को आरक्षण का लाभ मिले, इसके लिए एम करुणानिधि ने प्रधानमंत्री को आठ फरवरी 2006 को एक पत्र लिखा, जिसका उत्तर प्रधानमंत्री ने 28 फरवरी 2008 को दिया, जिसमें उन्होंने वायदा किया कि वे इन सवालों पर ध्यान देंगे. प्रकाश करात ने 11 अगस्त 2005 में, मायावती ने 2 सितंबर 2005 और 30 अगस्त 2007 में दो बार प्रधानमंत्री को लिखा. रेलमंत्री लालू प्रसाद यादव ने 14 सितंबर 2007 और रामविलास पासवान ने रसायन व उर्वरक मंत्री के नाते 29 मई 2006 को प्रधानमंत्री को ख़त लिखा. श्रीमती जयललिता ने तो मुख्यमंत्री के नाते 28 नवंबर 1995 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पी वी नरसिंहा राव को ख़त लिख दिया था. श्री ए बी वर्धन ने 8 अक्टूबर 2007 को डॉ. मैरी जान को लिखकर वायदा किया कि उनकी पार्टी के सांसद कांस्टीट्यूशन (शेड्यूलकास्ट) ऑर्डर 1950 अमेंडमेंट बिल 1996 सदन में रखने के लिए सरकार पर दबाव बनाएगी. जनता दल (यू) ने इस आशय का प्रस्ताव मई 2009 में पास किया. राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों को हम पुन: बताना चाहते हैं कि जिन लोगों ने प्रधानमंत्री को खत लिखे हैं, उन्हीं की इच्छा से आप इस माननीय सदन के सदस्य बने हैं. कम से कम उनकी इच्छा का मान तो रखिए.

सबसे मजेदार बात है कि वर्तमान क़ानून मंत्री वीरप्पा मोइली ने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्मस कमीशन के चेयरमैन के नाते 6 अगस्त 2007 को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को ख़त लिखा, जिसे हम यहां छाप रहे हैं. अब वे ख़ुद क़ानून मंत्री हैं, क्या वे अपने ख़त और सोनिया गांधी के सम्मान के लिए इस रिपोर्ट को सदन में जल्दी से जल्दी रखेंगे? आंध्र प्रदेश के स्वर्गीय मुख्यमंत्री वाई एस राजशेखर रेड्डी ने सोनिया गांधी को खत लिखकर इस

(शेष पृष्ठ 2 पर)

स्वर्गीय वाई एस राजशेखर रेड्डी और वीरप्पा मोइली के पत्र

Dr.Y.S. RAJASEKHARA REDDY

CHIEF MINISTER
ANDHRA PRADESH

HYDERABAD
09.02.2008

COPY

Respected Madam.

Sub:- Extending Scheduled Caste status to the Christians of Scheduled Caste origin - Regarding.

I enclose herewith the representation given to me by the Andhra Pradesh Federation of Churches urging the Central Government to introduce a bill in the Parliament to give effect to the recommendations of Ranganath Misra Commission and that of the National Commission for Scheduled Castes.

In my opinion, the issue of extending Scheduled Caste status to the Christians of SC origin assumes greater importance at this juncture. The issue has been pending for a long time. I sincerely feel that this is the most opportune time introduce the bill in the Parliament to delete para 3 of the Constitution Order, 1950 to make the Scheduled Caste status, religion-neutral as in the case of Scheduled Tribes as recommended by both the above commissions.

The Government of Andhra Pradesh fully supports the issue and therefore I request you kindly to take immediate action in this regard.

With Warm Regards

Yours Sincerely,

(Dr.Y.S Rajasekhara Reddy)

Encl: Representation dt 30.01.08 of Andhra Pradesh Federation of Churches.

Smt Sonia Gandhiji,
President, All India Congress Committee and
Chairperson of UPA Government,
10, Janpath Road,
New Delhi.

एम० वीरप्पा मोइली
अध्यक्ष
M. VEERAPPA MOILY
Chairman

Tel.: 23022541(O)
23016764(R)
भारत सरकार
प्रशासनिक सुधार आयोग
प्रथम तल, विज्ञान भवन उपभवन
मौलाना आज़ाद रोड, नई दिल्ली-110 011.
GOVERNMENT OF INDIA
ADMINISTRATIVE REFORMS COMMISSION
1st Floor, Vigyan Bhawan Annexe,
Maulana Azad Road, New Delhi-110011.

No.MVM/PS/2007

Dated the 6th August, 2007

Smt. Sonia Gandhi, Chairperson, UPA has received a representation from Sr. Rosline, Provincial, St. Anne's Provincialate, No.54, Crawford, Tiruchirapalli requesting the Congress President for early implementation of the recommendations of the Justice Ranganath Mishra Commission for Christians and Muslims Scheduled Caste origin. The copy of the letter is enclosed herewith.

After the formation of the UPA Government you were kind enough to appoint the Justice Ranganath Mishra Commission to look into the grievances of Christians and Muslims Scheduled Caste origin. I understand that Justice Mishra Commission has recommended the deletion of (para 3) of the Constitution (Christian Schedule Caste) Order 1950 and thereby removal of Christian criterion for granting SC Status. Whenever I visit States like Tamil Nadu, Kerala and Karnataka many of the Bishops have been requesting me for early decision in the matter.

We may have to implement the recommendations early, as otherwise this will be an issue in the 2009 Lok Sabha Elections. Prime Minister may kindly consider the above issue by taking necessary steps to implement the recommendations of the Justice Mishra Commission.

With regards.

Yours sincerely,

(M Veerappa Moily)

Copy obtained by Franklin Caesar Thomas
Under RTI Act 2005

Dr. Manmohan Singh,
Hon'ble Prime Minister of India,
South Block,
New Delhi

Ack. being put up separately

"Kaustubha", # 1, R.T. Nagar, Bangalore-560 032 India,
Tel: 0 80 2343 0491, Fax : 0 80 2333 4784, Mobile : 0 98455 36333 E mail : vmoily@kar.nic.in

यह पहला मौक़ा नहीं है, जबकि भारत ने ईरान के ख़िलाफ़ अपना वोट दिया हो. इससे पहले 2006 में भी अमेरिकी दबाव में आकर हमें अपनी विदेश नीति से समझौता करना पड़ा था.

दिल्ली का बाबू

दिलीप चेरियन

महाराष्ट्र में पहली बार

पिछले माह के आख़िर में महाराष्ट्र के मुख्य सचिव जॉनी जोसेफ सेवानिवृत्त हो गए. कई बाबू लोग वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी चंद्र आयंगर के नाम पर दांव लगा रहे थे. हालांकि उस समय तक औपचारिक घोषणा नहीं हुई थी, लेकिन बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री भी उनके नाम पर एक तरह से सहमति की मुहर लगा चुके थे. अगर आयंगर जोसेफ की उत्तराधिकारी होती हैं तो 1973 बैच की यह महिला अधिकारी महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव होगी. राज्य में कई सक्षम महिला अधिकारी हैं, लेकिन आयंगर इस शीर्ष पद तक पहुंचने वाली पहली महिला अधिकारी होंगी. इससे भी बढ़कर जो बात महत्वपूर्ण है, वह यह कि आयंगर अगले दस वर्षों तक इस पद के लिए योग्य होंगी. उम्मीद है, आज के महाराष्ट्र में जातिगत दिलचस्पी एक औरत के लिए तुरुप का पत्ता साबित नहीं होगी. रोचक बात यह है कि आयंगर के बारे में माना जाता है कि उन्होंने ही सबसे पहले महिला बिल की रूपरेखा तैयार की थी, जिसने संसद में पेश बिल के लिए मॉडल का काम किया.

प्रोन्नति पर केंद्र का सवाल

राज्यों में ग़ैर आईएएस बाबुओं की आईएएस कैडर में प्रोन्नति लंबे समय से लंबित और अनियमित रहना उनके बीच विवाद का कारण बन रही है. लेकिन अब इस मामले को दिल्ली से ही सुलझाने का फ़ैसला किया गया है. पहली बार इसकी जद में आने वाला राज्य मध्य प्रदेश है. राज्य के मुख्य सचिव राकेश साहनी को वैसे ग़ैर आईएएस अधिकारियों या बाबुओं की प्रोन्नति रद्द करने को कहा गया है, जो या तो जांच का सामना कर रहे हैं या प्रोन्नति के योग्य नहीं हैं. संघ लोक सेवा आयोग ने भी कहा है कि अगर बाबुओं को पांच वर्षों के दौरान गोपनीय रिपोर्ट में 50 फीसदी से ज़्यादा अंक हासिल हुआ, तो वे प्रतिष्ठित भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग में प्रोन्नति के योग्य होंगे, लेकिन मध्य प्रदेश में कई अयोग्य बाबुओं को भी हाल में प्रोन्नति दे दी गई है. जब तक साहनी अपनी रिपोर्ट नहीं दे देते, केंद्रीय निदेशालय ने इन नियुक्तियों को ठंडे बस्ते में डाल दिया है. पर्यवेक्षकों का कहना है कि जो बाबू लोग मानदंड पूरे नहीं करते, प्रोन्नति से कहीं ज़्यादा नुक़सान झेलने को तैयार हैं.

निदेशालय में ठनी

हाइड्रोकार्बन निदेशालय (डीजीएची) जो वी के सिब्बल प्रकरण में नकारात्मक दबाव झेल रहा था, संभवत: वह अभी भी उस पीड़ा से ग्रसित है. लेकिन अब जबकि सिब्बल इस पूरे प्रकरण से बाहर हो चुके हैं तो नियामक संजीदा रवैया अख्तियार करने की कोशिश कर रहा है. नतीजतन, ओएनजीसी द्वारा सुंदरवन क्षेत्र में तेल की ड्रिलिंग करने की प्रतिबद्धता पूरी न कर पाने की वजह से इसने उसके ख़िलाफ़ तीखे तेवर अपनाए हैं. इस बीच ओएनजीसी ने डीजीएचसी की उस मांग को ठुकरा दिया है, जिसमें डीजीएचसी ने ओएनजीसी से 190 करोड़ रुपये जुर्माने के तौर पर मांगे थे.

डीजीएचसी के महानिदेशक एस के श्रीवास्तव विवादित ब्लॉक के मसले पर ओएनजीसी के ख़त्म हुए अधिकारों के तर्क को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं. ज़ाहिर तौर पर, ओएनजीसी ने 640 करोड़ रुपये ख़र्च और कई समस्याओं का सामना करने के बाद ही इस क्षेत्र में तेल स्रोतों की खोज की योजना रद्द की है. श्रीवास्तव यह तर्क समझ नहीं रहे हैं और ओएनजीसी पहले जिन नियम–शर्तों पर सहमत थी, उसे न मानने पर जुर्माना लगाकर इसे सही ठहरा रहे हैं. यहीं कुछ समय के लिए मसला लटक जाता है. लेकिन सूत्र कहते हैं कि मौजूदा खींचतान को सुलझाने की कोशिशें की जा रही हैं.

...रिपोर्ट पेश न होना राज्यसभा का अपमान

पृष्ठ एक का शेष

पर तत्काल कार्रवाई की मांग की थी. हम इस ख़त को भी राज्यसभा के सदस्यों की जानकारी के लिए छाप रहे हैं.

राज्यसभा के सदस्यों की जानकारी के लिए हम बता दें कि आंध्र प्रदेश विधानसभा ने 25 अगस्त 2009 को एक प्रस्ताव पास कर दलित क्रिश्चियन को शेड्यूल कास्ट स्टेटस देने की मांग केंद्र सरकार से की है. उत्तर प्रदेश सरकार ने 5 दिसंबर 2006 को केंद्र सरकार से दलित मुस्लिम और दलित क्रिश्चियन को शेड्यूल कास्ट का दर्ज़ा देने की मांग की. भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने भी 7 जुलाई 2007 को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को पत्र लिखकर मांग का समर्थन किया था.

इतना ही नहीं, राज्यसभा के जो सांसद अपने राजनैतिक दल से निर्देशित होते हैं, उन्हें हम बताना चाहते हैं कि उनके दलों ने किस सन् में अपने चुनाव घोषणापत्र में इस मांग का समर्थन कर सरकार बनने पर इसका क़ानून बनाने का वायदा किया है. कांग्रेस पार्टी ने सन् 2004 के चुनाव घोषणापत्र में, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवाद) ने 2009 में, सीपीआई ने 2009 में, बहुजन समाजवादी पार्टी ने 2009 में, लोक जनशक्ति पार्टी ने 2009 में, डीएमके ने 2009 में, एआईडीएमके ने 2009 में, जनता दल (यू) ने 2009 में, तेलगूदेशम ने 2009 में, एमडीएमके ने 2009 में, वीसीके (विदुथलाई चिरुथैगल काट्ची) ने 2009 में और प्रजा राज्यम पार्टी ने भी 2009 के चुनाव घोषणापत्र में इस वायदे का उल्लेख किया है.

सरकार द्वारा नियुक्त किए गए सच्चर कमीशन ने सोशल इकनॉमिक एंड एजुकेशनल स्टेटस ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी ऑफ इंडिया के पेज 201–202 पर तथा नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी ने कन्क्लूजंस एंड रिकमेंडेशंस नंबर 8 में इन मांगों की सिफ़ारिश की है.

महामहिम सभापति राज्यसभा जी, राज्यसभा सदस्यों को कमज़ोर और नपुंसक मत बनाइए, इनकी मांगों पर ध्यान दीजिए और रंगनाथ मिश्र कमीशन की रिपोर्ट को सदन के पटल पर पेश कराइए. क्योंकि जब तक रिपोर्ट पेश नहीं होगी, सरकार बताएगी नहीं कि वह इस पर क्या कार्रवाई करने जा रही है. जिस मांग के समर्थन में सारे दलों के अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, दलों के घोषणापत्र हों, उस मांग को अनदेखा कर, सरकार को निर्देश न दे, आप उस विचारधारा का भी अपमान कर रहे हैं जिसने आपको राज्यसभा के सभापति पद तक पहुंचाया है.

राज्यसभा के सदस्यों को शायद इस बात का एहसास होगा कि देश की जनता सर्वोपरि है और उसके कमज़ोर वर्गों की आवाज़ और उसके हितों को अनदेखा करने का काम यदि ये ख़ुद करेंगे तो उनसे सवाल पूछने का काम सिर्फ़ और सिर्फ़ आज़ाद और निर्भीक प्रेस करेगा. क्या यह रिपोर्ट राज्यसभा में पेश हो पाएगी माननीय सभापति जी राज्यसभा, और क्या माननीय राज्यसभा सदस्यों आप में अभी भी कुछ ताक़त या शर्म बची है जो आप लोकसभा सदस्यों की तरह, जैसे उन्होंने लिब्रहान कमीशन की रिपोर्ट पेश करवा ली, रंगनाथ मिश्र कमीशन की रिपोर्ट पेश करवा सकते हैं? क्या फ़र्क़ है दोनों में, दोनों कमीशन हैं, दोनों की रिपोर्ट अख़बारों में छपी, एक की अंग्रेज़ी में और एक की हिंदी में. क्या हिंदी के अख़बार में छपी रिपोर्ट की महत्ता कम हो जाती है? देश की जनता के कमज़ोर वर्ग, ईसाई और मुस्लिम समाज से जुड़े दलित सवाल का जवाब चाहते हैं. राज्यसभा के सदस्यों अली अनवर, अमर सिंह, सीताराम येचुरी, तारिक अनवर, वेंकैया नायडू, अहलूवालिया, जयंती नटराजन और डी राजा सहित उन सभी से सवाल कि रिपोर्ट पेश कराइए, नहीं तो जनता से माफ़ी मांगिए कि हम आपके विश्वास के लायक नहीं हैं.

editor@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया में रंगनाथ मिश्र कमीशन रिपोर्ट प्रकाशित होने के बाद राज्यसभा में हंगामा.

भारत ईरान के ख़िलाफ़ क्यों ?

राहुल मिश्र

परमाणु डील पर भारत और अमेरिका के बीच चल रहे रगबी खेल में भारत को एक बार फिर से मुंह की खानी पड़ी. भारत सरकार को इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी (आईएईए) में ईरान के ख़िलाफ़ अपना वोट दर्ज़ कराना पड़ा. अमेरिका की पहली राजकीय यात्रा से लौटते वक़्त प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को राष्ट्रपति बराक ओबामा प्रशासन की ओर से एक साफ़ हिदायत दी गई. यह हिदायत अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेम्स जोंस ने भारत सरकार को सुझाव के तौर पर दी. जोंस ने अपने सुझाव में कहा कि भारत को ईरान के परमाणु कार्यक्रम मामले में अपना रुख़ साफ़ करना चाहिए, क्योंकि ईरान पर भारत का दृष्टिकोण यह तय करेगा कि अप्रैल 2010 में राष्ट्रपति बराक ओबामा अपनी भारत यात्रा के दौरान परमाणु डील पर क्या सौगात परोसने वाले हैं.

यह पहला मौक़ा नहीं है, जबकि भारत ने ईरान के ख़िलाफ़ अपना वोट दिया हो. इससे पहले 2006 में भी अमेरिकी दबाव में आकर भारत को अपनी विदेश नीति से समझौता करना पड़ा था. नतीज़तन, ईरान के साथ भारत के रिश्तों में दरार पड़ी थी. यहां तक की 2006 के फ़ैसले के बाद यूपीए सरकार को भारत के अंदर भी विपक्ष और वामपंथी पार्टियों का विरोध झेलना पड़ा था.

भारत सरकार का यह एक अहम फ़ैसला है. जहां जोंस के ज़रिए अमेरिका ने साफ़ कर दिया कि भारत ईरान मामले पर न चुप बैठ सकता है और न ही कोई अलग राग अलाप सकता है. लिहाजा, उसे बराक ओबामा का वह संबोधन याद रखना चाहिए, जिसमें भारत को एक परमाणु देश कहा गया. ओबामा के इस बयान से भले ही भारतीय आधिकारिक खेमे में ख़ुशी का माहौल बना और देश के अंतरराष्ट्रीय समीक्षकों को यह एक कूटनीतिक छलांग लगी, लेकिन मनमोहन सिंह के अमेरिका छोड़ने के पहले ही यह झटका लगा और ईरान मामले को मनमोहन सिंह के सामने रख दिया गया. नतीज़तन भारत ने एक बार फिर दुनिया के पांच घोषित न्यूक्लियर मुल्कों के सुर में सुर मिलाते हुए ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर अपनी आपत्ति दर्ज़ करा दी. इसके चलते भारत को ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका जैसे अपने पुराने दोस्तों का साथ भी गंवाना पड़ा और इतिहास में यह भी दर्ज़ कराना पड़ा कि भारत ऐतिहासिक गुट निरपेक्षता में विश्वास नहीं रखता. वहीं पाकिस्तान ने ईरान मामले में वोट देने की प्रक्रिया से ख़ुद को अलग रखा. भारत का दूसरा पड़ोसी मुल्क अफ़ग़ानिस्तान भी अमेरिका के दबाव को टाल गया और इस मामले से दूर ही रहा.

दरअसल, भारत को उम्मीद है कि इस वोट के बदले भारत–अमेरिका न्यूक्लियर डील को जल्द से जल्द क्रियान्वित किया जा सकेगा और भारत अमेरिका से यह भी समझौता कर सकेगा कि इस्तेमाल किए हुए न्यूक्लियर फ्यूल को वह दोबारा इस्तेमाल कर सके. हालांकि

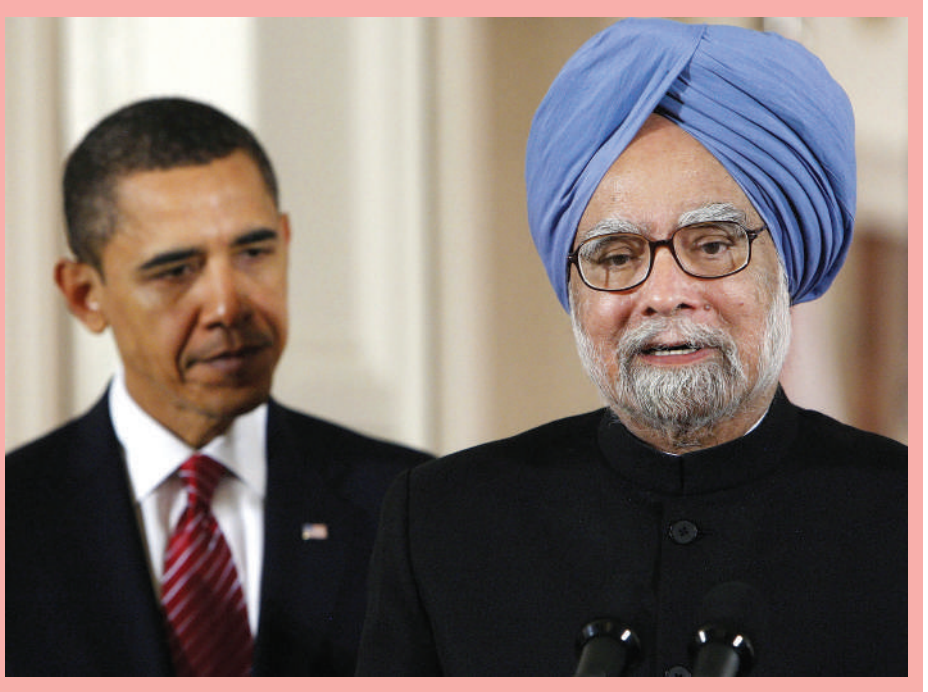

इस उम्मीद को अभी आधिकारिक तौर पर ज़ाहिर नहीं किया गया है. इसके अलावा एक और डर भारत को परेशान कर रहा था. अगर भारत ईरान मामले पर अपने रुख़ को इस तरह साफ़ नहीं करता और मामले में वोट देने से बच जाता तो डील को कार्यान्वित करने का मामला अमेरिकी सीनेट में एक बार फिर फंस जाने की आशंका व्यक्त की जा रही थी. इस बार इसे सीनेट की ताक़तवर यहूदी लॉबी का सामना करना पड़ता. यह लॉबी किसी भी सूरत में यह नहीं चाहती कि ईरान का साथ देने के बाद भारत–अमेरिका न्यूक्लियर डील को आगे बढ़ाया जाए.

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के इस अमेरिकी दौरे से एक बात और साफ़ है. यह पहला मौक़ा है कि किसी भारतीय प्रधानमंत्री का इतनी गर्मजोशी के साथ अमेरिका ने अपने यहां स्वागत किया है. इस स्वागत से भावविभोर प्रधानमंत्री अपनी ख़ुशी को छुपाने में विफल हो रहे थे. इस ख़ुशफ़हमी में उन्हें यह भी याद नहीं रहा कि इस स्वागत के महज़ एक हफ्ता पहले अपने चीन दौरे के दौरान ओबामा ने बीजिंग में साफ़ कहा था कि वह भारत और पाकिस्तान के बीच चीनी मध्यस्थता की इच्छा रखते हैं.

ओबामा ने अमेरिका और भारत के बीच की इस बैठक को दुनिया के दो सबसे पुराने और बड़े लोकतंत्र के एक साथ होने का नाम दिया. लेकिन यहां सवाल यह उठता है कि महज़ इतना कह देने भर से भारत का अपनी लोकतांत्रिक परंपरा से मुंह मोड़ लेना उचित है? क्या भारत का यह मान लेना उचित है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र के सामने मायने नहीं रखता? क्या मनमोहन सिंह को इस दौरे के दौरान यह ध्यान रखना ज़रूरी नहीं लगा कि वह सौ करोड़ से भी ज़्यादा लोगों के प्रधानमंत्री हैं और उनकी मुलाक़ात एक ऐसे राष्ट्रपति से हो रही है, जो महज़ तीस करोड़ लोगों के हितों की रक्षा करता है. अगर विदेश नीति से फिर से हुए इस समझौते का खेल मनमोहन सरकार को फ़ायदे का सौदा लगता है तो आंकड़ों के दूसरे खेल में मनमोहन सिंह बुरी तरह मात खा गए और इस शिकस्त का जवाब उनको देश के सौ करोड़ लोगों को देना होगा.

rahul@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया
देश का पहला सामाहिक अखबार
वर्ष 1 अंक 39, 7 दिसंबर–13 दिसंबर 2009

संपादक
संतोष भारतीय

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210–211 सेक्टर 63, नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के – 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय

के –2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग
कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001

कैंप कार्यालय एफ–2, सेक्टर –11, नोएडा
गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश – 201301

फोन न.
संपादकीय 011–23418962
विज्ञापन + 0120–4783999
प्रसार + 91 9810017924
फैक्स न. 0120–4783950

पृष्ठ–16 (+4 बिहार व झारखंड)

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुन: प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

देश के दलित मुसलमानों और दलित ईसाइयों को आरक्षण देने की अनुशंसा करने वाले रंगनाथ मिश्र आयोग की रिपोर्ट को लेकर संसद के उच्च सदन में जमकर हंगामा हुआ. सरकार इसे पेश करने से कतरा रही है.

राज्यसभा में चौथी दुनिया

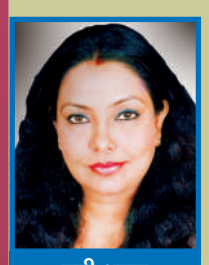

रूबी अरुण

चौथी दुनिया ने रंगनाथ मिश्र आयोग की रिपोर्ट प्रकाशित की थी. इसमें अल्पसंख्यकों में दलितों को आरक्षण देने की अनुशंसा की गई है. रिपोर्ट के प्रकाशित होने के बाद राज्यसभा में विभिन्न राजनीतिक दलों से जुड़े सांसदों ने इसके लीक होने पर सरकार को आड़े हाथों लिया और इसे सदन के पटल पर रखने की जोरदार मांग की. उस दिन राज्यसभा में हुई गतिविधियों पर केंद्रित है यह रिपोर्ट.

25 नवंबर 2009 की सुबह. घड़ी की सूइयां साढ़े दस बजा रही हैं. राज्यसभा की कार्यवाही बस शुरू होने ही वाली है. राज्यसभा में अपनी-अपनी जगहों पर बैठे सांसद, उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा के सभापति हामिद अली अंसारी का इंतज़ार कर रहे हैं. लेकिन उपराष्ट्रपति अपने कमरे में कुछ सांसदों के साथ बातचीत में मशगूल हैं. तय किया जा रहा है कि किन मसलों पर राज्यसभा में बहस मुसाहिबा हो या किन मुद्दों पर सवाल करने की इजाज़त दी जाए. मशविरा करते-करते अचानक उपराष्ट्रपति हामिद अली अंसारी की आवाज़ तल्ख़ हो उठती है. ऊं ची आवाज़ में वे बेसाख्ता कहते हैं, नहीं.. नहीं.. आपको इस बाबत सवाल करने की अनुमति नहीं दी जा सकती. हामिद अली अंसारी मुख़ातिब हैं जदयू के राज्यसभा सांसद अली अनवर अंसारी से. अली अनवर अंसारी के हाथ में है हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार चौथी दुनिया, जिसमें छपी है वह रिपोर्ट जिसे सरकार हर क़ीमत पर गोपनीय बनाए रखना चाहती थी. यह रिपोर्ट है देश के दलित मुसलमान और दलित ईसाइयों को आरक्षण देने संबंधी जस्टिस रंगनाथ मिश्र की अनुशंसाओं की. एक ऐसी रिपोर्ट जिसे सरकार तमाम सांसदों की पुरज़ोर मांगों के बावजूद संसद में पेश करने से बचती रही है, लेकिन चौथी दुनिया ने इस रिपोर्ट को छापने में सफलता पाई.

सर, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जितनी कमेटियां बनी हैं, चाहे रंगनाथ कमेटी हो, लिब्रहान हो, चाहे सच्चर हो या श्रीकृष्ण कमेटी हो, ये सभी कमेटी सरकार ने बनाई हैं, लेकिन बनाकर इसको संग्रहालय में रख लिया. इसका अनुपालन नहीं हो पा रहा है. अगर लिब्रहान कमेटी की रिपोर्ट इंडियन एक्सप्रेस में छपी होने के बाद सरकार मजबूर हो गई है कि सदन में रखे तो आज चौथी दुनिया में भी रंगनाथ कमीशन की रिपोर्ट निकल गई है. अगर इसे भी सरकार अपने मन से दो चार दिनों में नहीं पेश करती है तो फिर वही दृश्य होगा जो इंडियन एक्सप्रेस में लिब्रहान कमीशन के बारे में छपने के बाद हुआ है. इसके लिए फिर हम लोगों को जिम्मेवार नहीं ठहराया जाए. अगर चौथी दुनिया हिंदी के अखबार में निकला है...

अमर सिंह, राज्यसभा सदस्य

बिहार से जदयू के राज्यसभा सांसद अली अनवर अंसारी को इस बात की नाराज़गी है कि जिस रिपोर्ट को संसद में पेश होना चाहिए था, वह अख़बार में कैसे छप गई. आख़िरकार कैसे लीक हुई यह रिपोर्ट. अनवर चाहते हैं कि सरकार इस बात का जवाब दे. इस मसले पर सभापति एवं उपराष्ट्रपति हामिद अली अंसारी राज्यसभा में बहस कराने की इजाज़त दें.

लेकिन, उपराष्ट्रपति यह जानना चाह रहे थे कि आख़िर चौथी दुनिया कौन सा अख़बार है जिसने यह रिपोर्ट छापकर हंगामा खड़ा कर दिया है. अनवर अली ने उनकी जिज्ञासा शांत की. उन्होंने बताया कि इस अख़बार के संपादक संतोष भारतीय हैं, पर उपराष्ट्रपति इस अख़बार के मालिक का नाम भी जानना चाह रहे थे. सांसद एस एस अहलूवालिया ने उन्हें बताया कि राज्यसभा सांसद रह चुके कमल मोरारका का इस पर स्वामित्व है. हामिद अली अंसारी ने सांसद अली अनवर से चौथी दुनिया अख़बार की कॉपी मांगी. छपी हुई ख़बर पर सरसरी निगाह दौड़ाई, पर सवाल पूछने की इजाज़त अली अनवर को उपराष्ट्रपति ने फिर भी नहीं दी.

11 बजे दिन में राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हुई. उपराष्ट्रपति ने सभापति का आसन संभाला. जिन सांसदों ने विभिन्न मसलों पर पहले से ही सवाल करने की अनुमति ली हुई थी. उनके नाम पुकारे गए. पर तभी अली अनवर अपनी सीट से खड़े हुए. चौथी दुनिया अख़बार को हवा में लहराते हुए, बेहद आक्रामक अंदाज़ में अपना सवाल सभापति की ओर उछाल दिया. उन्होंने कहा कि रंगनाथ मिश्र की अनुशंसाओं की रिपोर्ट भी उतनी ही ज्वलंत और संवेदनशील है जितनी कि लिब्रहान आयोग की. फिर भी सरकार दोहरा मानदंड क्यों अपना रही है. क्या भारत सरकार को दलित मुसलमानों और दलित ईसाइयों के हक़ की कोई परवाह नहीं. सरकार जवाब दे. हमें जवाब चाहिए. उपराष्ट्रपति ने अली अनवर से कहा कि वे शांत हो जाएं, अपनी सीट पर बैठ जाएं, लेकिन अली अनवर का बोलना अनवरत जारी रहा. शोर-शराबा शुरू हो चुका था. हर कोई अपनी बात चीख-चीख कर रखना चाह रहा था. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सांसद तारिक़ अनवर भी अली अनवर की मांगों का समर्थन करने लगे. सभापति ने गृहमंत्री पी चिदंबरम से लिब्रहान आयोग की रिपोर्ट की बाबत पूछा. चिदंबरम ने जवाब दिया कि रिपोर्ट तैयार है. हामिद साहब जो भी वक़्त तय करेंगे, रिपोर्ट पेश कर दी जाएगी. इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के सांसद वेंकैया नायडू भी चौथी दुनिया में छपी रंगनाथ मिश्र आयोग की रिपोर्ट को संसद में पेश करने की मांग करने लगे.

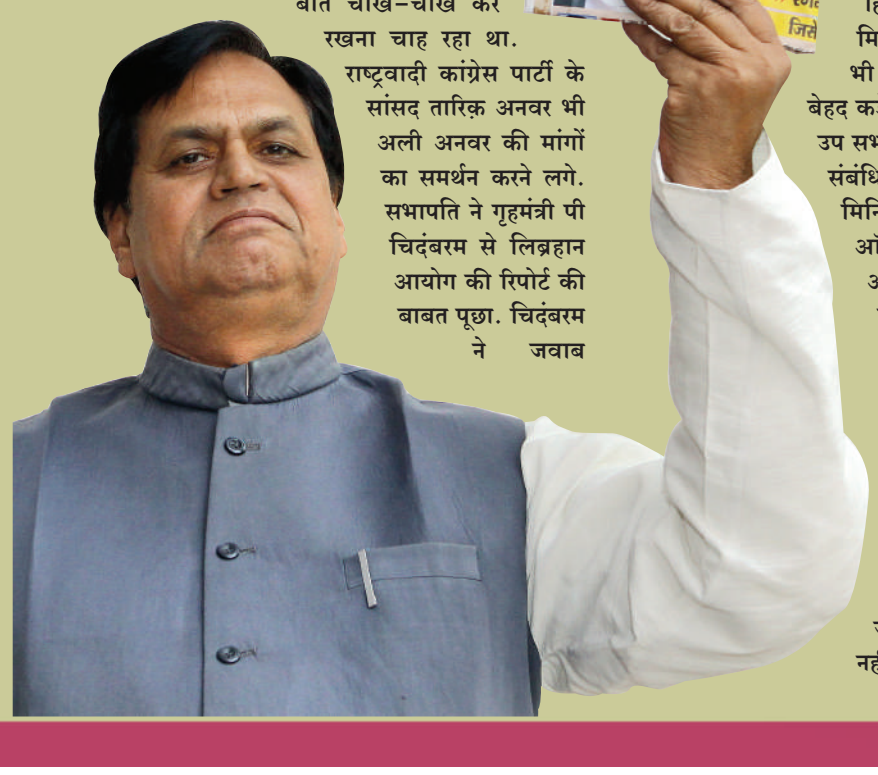

राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हुए कुल तीन मिनट का समय बीत चुका था. सदस्यों की आवाज़ें शोर में तब्दील हो चुकी थीं. सभापति हामिद अली अंसारी की पेशानी पर बल पड़ने लगे थे. कोफ़्त के आलम में उन्होंने कार्यवाही शुरू होने के महज़ तीन मिनटों बाद ही कुछ देर के लिए सदन स्थगित कर दिया. वे अपने कमरे में चले आए. उपराष्ट्रपति महोदय जदयू के सांसद अली अनवर से बेहद नाराज़ थे. मजेदार बात यह रही कि इस पूरे प्रकरण को गृहमंत्री पी चिदंबरम बेहद ख़ामोशी के साथ टुकर-टुकर देखते रहे. ख़फा सभापति ने अनवर अली को अपने कमरे में बुलाया और बेहद झल्लाए अंदाज़ में उनसे कहा कि मना करने के बाद भी आपने रंगनाथ मिश्र आयोग की रिपोर्ट की बात क्यों उठाई? अली अनवर अंसारी भी आवेश में थे. वे अपनी बातों पर कायम रहे. चौथी दुनिया में छपी रिपोर्ट दिखाते हुए उन्होंने सरकार की नीयत पर सवाल कर दिया. इधर हामिद अली अंसारी की नाराज़गी बढ़ती जा रही थी. तब यह देख सपा सांसद अमर सिंह, कमाल अख्तर, भाजपा सांसद एस एस अहलूवालिया ने अली अनवर से कहा कि वे चुप हो जाएं. अली अनवर ने उनकी बात फौरी तौर पर तो मान ली, पर उनका इरादा नहीं बदला.

थोड़ी देर बाद राज्यसभा की कार्यवाही फिर शुरू हुई. इस बार उप सभापति के रहमान ख़ान ने आसन संभाल रखा था. कार्यवाही शुरू होते ही सपा सांसद अमर सिंह ने कमान संभाल ली. उन्होंने उप सभापति से कहा कि जिस तरह लिब्रहान कमीशन की रिपोर्ट अख़बार में लीक होने पर सरकार जवाब देने के लिए मजबूर हुई है, उसी तरह सरकार को साप्ताहिक हिंदी अख़बार चौथी दुनिया में रंगनाथ मिश्र कमीशन की लीक हुई रिपोर्ट पर भी जवाब देना होगा. अमर सिंह ने बेहद कड़े लफ़्ज़ों में अपनी बात जारी रखी. उप सभापति के रहमान ने आदेश दिया कि संबंधित मंत्री इस सवाल का जवाब दें. मिनिस्टर ऑफ स्टेट, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पृथ्वीराज चौहान खड़े हुए. वे अभी सफ़ाई पेश करते कि उसके पहले ही अमर सिंह, जयंती नटराजन, सीताराम येचुरी और डी राजा आदि सभी ने दलित मुसलमानों और दलित ईसाइयों के हक़ की आवाज़ उठानी शुरू कर दी. उप सभापति के रहमान आग्रह करते रहे कि सभी सदस्य अपनी-अपनी जगहों पर बैठ जाएं, ताकि सदन की कार्यवाही आगे बढ़ाई जाए. पर सदस्य कान देने को राजी नहीं थे. वे वैल में आ चुके थे. अब भाजपा के वेंकैया नायडू भी चाह रहे थे कि चौथी दुनिया में छपी रिपोर्ट पर सरकार अपनी सफ़ाई पेश करे. तभी अली अनवर एक बार फिर खड़े हुए. चौथी दुनिया अख़बार को अपने दोनों हाथों से लहराते हुए और उप सभापति को दिखाते हुए उन्होंने फिर से बोलने की इजाज़त मांगी. इस बार उनका प्रयास सफल रहा. अली अनवर ने पूरे दम-ख़म से अपनी बात रखनी शुरू की. उन्होंने सरकार से पूछा कि सदन में सांसद, रंगनाथ मिश्र कमीशन की रिपोर्ट पेश करने के लिए चीखते-चिल्लाते रहे, पर सरकार बहरी बनी रही. पर वही रिपोर्ट चौथी दुनिया अख़बार के ज़रिए दुनिया के सामने आ गई. तो फिर हम सांसदों के रहने का औचित्य ही क्या रहा? उप सभापति ने अली अनवर को रोकने की कोशिश की, पर वे चुप नहीं हुए. बिहार से जदयू के एक अन्य सांसद एन के सिंह भी अली अनवर के समर्थन में खड़े हो गए. शोर-शराबा इतना बढ़ा कि कार्यवाही को दूसरी बार स्थगित करना पड़ा. कुछ मिनटों के बाद राज्यसभा की कार्यवाही फिर शुरू हुई. चौथी दुनिया अख़बार एक बार फिर से सदन में उछाला गया. रंगनाथ मिश्र की रिपोर्ट पर बात होती, उसके पहले ही लिब्रहान कमीशन की रिपोर्ट पर जय श्रीराम, जय बजरंगबली, या अली के नारे लगने शुरू हो गए. धक्कामुक्की और गुत्थमगुत्थी का शर्मनाक नज़ारा पूरे देश ने देखा.

अमर सिंह, प्रो. रामगोपाल यादव, प्रो. एस एस अहलूवालिया सभी एक दूसरे से भिड़ गए. यह देख नाराज़ उप सभापति के रहमान सदन से बाहर निकल गए. कार्यवाही तीसरी बार स्थगित हो गई. थोड़ी देर बाद हंगामा शांत हुआ. दो बजे सदन की कार्यवाही शुरू हुई. इस बार अली अनवर अंसारी के साथ भाजपा के एस एस अहलूवालिया और राजद के राजनीति प्रसाद भी थे. हालांकि अहलूवालिया का यह मानना था कि रंगनाथ मिश्र की सिफ़ारिशें ग़लत हैं. अगर ये सिफ़ारिशें लागू हो जाएंगी तो समाज में धर्मांतरण के मामले तेज़ी से बढ़ेंगे.

सीपीआई सांसद डी राजा और राजद सांसद राजनीति प्रसाद ने मांग की कि इस रिपोर्ट के लीक होने के मसले पर सरकार अभी जवाब दे. बताया गया कि प्रधानमंत्री कार्यालय में सूचना भेज दी गई है, जवाब का इंतज़ार है, पर प्रधानमंत्री कार्यालय से कोई जवाब नहीं आया. पूरे दिन की कार्यवाही ख़त्म हो गई. मांग करने वाले सांसद इंतज़ार करते रहे, पर सरकार ने जवाब देने की जहमत नहीं उठाई.

सरकार ने ठीक वैसा ही रुख़ अपनाया, जैसा रंगनाथ मिश्र कमीशन की रिपोर्ट पेश करने की बाबत अपनाया था. देश के दलित मुसलमान और दलित ईसाई पिछले दो सालों से उस रिपोर्ट के पेश होने का मुसलसल इंतज़ार कर रहे हैं, पर रिपोर्ट सरकार के ठंडे बस्ते में कैद है. क्या सरकार कभी रिपोर्ट पेश भी करेगी? सरकार इस मसले पर कब जवाब देगी? यह सवाल सबके ज़हन में है. और जवाब सिर्फ सरकार के पास. और सरकार फिलहाल मुंह खोलने को राज़ी नहीं.

ruby@chauthiduniya.com

मणिपुर की जनता सेना के ज़ुल्मों से इतनी परेशान हो चुकी है कि वह अब मरने-मारने तक पर आमादा है. उसने हिंसक रुख़ अख्तियार कर लिया है, लेकिन क्या हिंसा किसी समस्या का सही समाधान है?

खंडूरी के निशाने पर निशंक

राज्य के गठन को एक दशक होने वाला है, लेकिन उत्तराखंड अभी तक कोई ख़ास तरक्की नहीं कर सका है. जब राज्य सरकारें तरह-तरह के जलसों में ही व्यस्त रहेंगी और करोड़ों-अरबों रुपये का अपव्यय करेंगी तो विकास आख़िर कैसे होगा?

राजकुमार शर्मा

देवभूमि के रूप में विख्यात उत्तराखंड अपने गठन के बाद से ही क़र्ज़ के बल पर घी पी रहा है. यह एक ऐसी सच्चाई है, जिससे कोई भी इंकार नहीं कर सकता है. अच्छी नहीं है. खंडूरी ने निशंक सरकार की फ़िज़ूलख़र्ची की ओर इशारा करके हर किसी को सकते में डाल दिया है. उधर जनता का मानना है कि पूर्व मुख्यमंत्री का बयान सूबे की माली हालत की ओर देर से सही, लेकिन एक गंभीर इशारा करता है. कांग्रेस ने नारायण दत्त तिवारी को राज्य के गठन के बाद बनी पहली सरकार का मुखिया यह सोचकर बनाया था कि वह इस नवगठित राज्य का भला करेंगे, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली. तिवारी ने अपने दल के नेताओं की बग़ावत रोकने के लिए खज़ाना खुले हाथों लुटाया और जमकर लालबत्ती बांटी. उनका यही क़दम आत्मघाती सिद्ध हुआ और इसी वजह से कांग्रेस सूबे की सत्ता में दोबारा वापस नहीं लौट सकी. इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व मेजर जनरल खंडूरी के हाथों सत्ता की बागडोर इस सोच के साथ सौंपी कि वह तिवारी से अलग कोई राह अपना अपनाएंगे. खंडूरी भाजपा की इस कसौटी पर खरे भी उतरे, लेकिन आम चुनाव में जनता ने एक पूर्व फ़ौजी के शासन को नकार कर राज्य की पांचों संसदीय सीटें कांग्रेस की झोली में डाल दीं. यह देखकर भाजपा हाईकमान ने राज्य की बागडोर डॉ. निशंक को सौंप दी, लेकिन पदभार ग्रहण करते ही निशंक नारायण दत्त तिवारी की राह निकल पड़े.

पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी का हालिया बयान भी यही इशारा करता है कि राज्य की माली हालत

उन्होंने राज्य के ख़ज़ाने की हालत और विकास कार्य जैसे बिंदुओं पर नज़र डाले बग़ैर अपने समर्थकों को जमकर लालबत्ती की रेवड़ी बांटी. मुख्यमंत्री यह भूल गए कि उत्तराखंड में जन्म लेते ही हर बच्चा 17 हज़ार रुपये का क़र्ज़दार हो जाता है. आज राज्य सरकार की असल ज़रूरत ख़र्च घटाने की नहीं, बल्कि आय के साधनों को दुरुस्त करने की है. कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष यशपाल आर्या कहते हैं कि केंद्र द्वारा वित्तपोषित योजनाओं के पैसों का सदुपयोग न करने से ही यह संकट पैदा हुआ. जनता की गाढ़ी कमाई का एक बड़ा हिस्सा राज्य सरकार अपने सुख-साधनों में ख़र्च कर रही है. निशंक सरकार वित्तीय प्रबंधन की अनदेखी कर रही है. सपा नेता विनोद बडथ्वाल का कहना है कि निशंक ने थोक के भाव में लालबत्तियां बांटकर जनता के साथ विश्वासघात किया. वह किसी अनाड़ी की तरह सरकार चला रहे हैं. प्रदेश में भ्रष्टाचार का बोलबाला है. पूर्व मुख्यमंत्री खंडूरी ने जिस तरह वर्तमान सरकार को आईना दिखाने का काम किया है, उसे राज्य के सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों ने ही गंभीरता से लिया है. फ़िलहाल सूबे में ख़तरे की घंटी बज रही है. निशंक सरकार ने अगर समय रहते इसे नहीं सुना तो हालात बदतर हो सकते हैं.

मुख्यमंत्री निशंक ने सरकार के सौ दिन पूरे होने पर जिस तरह जश्न मनाया और समारोह के नाम पर ख़ज़ाने का करोड़ों रुपया पानी की तरह बहाया, वह किसी को भी रास नहीं आया. यही नहीं, दो पखवारे बाद राज्य के नौवें स्थापना दिवस की आड़ में एक बार फिर सरकारी ख़ज़ाने से भारी-भरकम धनराशि ख़र्च की गई. पूर्व मुख्यमंत्री खंडूरी का मानना है कि नारायण दत्त तिवारी की लालबत्ती नीति के विरोधस्वरूप ही राज्य की जनता ने भाजपा में अपना विश्वास जताया था. डॉ. निशंक ने तिवारी जी की राह चलकर अच्छा नहीं किया. भाजपा के कई अन्य दिग्गज नेताओं ने भी निशंक को निशाने पर लेते हुए खंडूरी द्वारा उठाए गए सवालों का समर्थन करके मौजूदा सरकार की नीतियों की आलोचना की. राज्य के ख़ज़ाने के बहाने जिस तरह खंडूरी ने निशंक को निशाने पर लिया है, उससे निशंक और खंडूरी के बीच 36 का आंकड़ा जगज़ाहिर हो गया है. निशंक ने जिस तरह साहित्य के बहाने अपनी पुत्री का राजनैतिक क़द उभारने के प्रयास के साथ उसके राजनीति में पदार्पण का संकेत दिया, उससे संघ के लोग यह मानने लगे हैं कि निशंक परिवारवाद का बीज बो रहे हैं. निशंक के इशारे पर ही खंडूरी के क्षेत्रीय दौरा कार्यक्रमों में पार्टी के किसी विधायक ने हिस्सा नहीं लिया. अपना और परिवार का क़द बढ़ाने के लिए जिस तरह निशंक ने पूरे सूबे में अंदर ही अंदर अभियान चला रखा है, वह पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ताओं को रास नहीं आ रहा है.

महाकुंभ 2010 में भी सरकार के एक मंत्री एवं कुछ अधिकारियों को खुली लूट की छूट मिली हुई है. कई जानकारों का मानना है कि निशंक भाजपा के मिशन 2012 को व्यापक तौर पर क्षति पहुंचा रहे हैं. हालांकि उनके गुट के रणनीतिकार प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बिशन सिंह चुफाल कहते हैं कि आय के नए स्रोत तलाशे जा रहे हैं. इसके लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जो समिति बनी थी, उस पर भी चर्चा हुई है. सरकारी ख़जाने का हिसाब-किताब पूरी तरह सरकार के संज्ञान में है और उम्मीद है कि इस संकट से निजात मिल जाएगी.

उधर सरकार ने गंगाजल बेचकर राजस्व प्राप्त करने की जो मंशा बनाई थी, उस पर साधु-संतों ने पानी फेर दिया है. इसके अलावा पर्यटन को तमाम प्रयासों के बावजूद इस तरह नहीं खड़ा किया जा सका है, जिससे वह सूबे की आय का साधन बन सके. राज्य के प्रथम संस्कृत विश्वविद्यालय के संस्थापक कुलपति रहे ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी का मानना है कि भाजपा अपनी कथनी और करनी में फ़र्क़ के कारण सूबे से समाप्त हो जाएगी, वहीं नेता प्रतिपक्ष हरक

सिंह रावत कहते हैं कि यह पूरी सरकार ही झूठ और फ़रेब पर आधारित है.

feedback@chauthiduniya.com

अशांत मणिपुर और बच्चों का भविष्य

सुरक्षा बलों की मनमानी और आतंक के विरोध में आंदोलन के चलते राज्य की समस्त शैक्षिक गतिविधियां ठप्प हो गई हैं, जिससे लाखों छात्रों का भविष्य अंधकारमय होने की आशंका है, लेकिन सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है.

एस. बिजेन सिंह

मणिपुर में सशस्त्र बलों की मनमानी के विरोध में सुलग रही चिंगारी भड़कती जा रही है. इसने अब आम आदमी के साथ बच्चों को भी अपने आगोश में ले लिया है. बीती 23 जुलाई को हुई इस फ़र्ज़ी मुठभेड़ का मामला लगातार गरमाता जा रहा है, जिसमें संजीत और रवीना नामक निर्दोष युवक-युवती मारे गए थे. इनके अलावा पांच अन्य लोग भी घायल हुए थे. मृतकों के घरवालों ने क़सम खा रखी है कि जब तक इन्हें न्याय नहीं मिल जाता, तब तक वे दोनों का श्राद्धकर्म नहीं करेंगे. तीन महीने से ज़्यादा समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है. वर्किंग कमेटी ऑफ द अपुनबा लुप इसके विरोध में लगातार विरोध प्रदर्शन करती चली आ रही है. इसके समर्थन में राज्य के तीन छात्र संगठनों ऑल मणिपुर स्टूडेंट यूनियन (एमसू), मणिपुर स्टूडेंट्स फेडरेशन (एमएसएफ) और कंगलैपाक स्टूडेंट्स एसोसिएशन (केएसए) ने भी गत 9 सितंबर से अनिश्चितकालीन कक्षा बहिष्कार कर रखा है. गुस्साई जनता ने हर स्कूल-कॉलेज में ताला जड़ दिया है. इस वजह से पढ़ाई बिल्कुल ठप्प है. अभिभावक अपने बच्चों के भविष्य को लेकर परेशान हैं. पिछले दो माह से बच्चे स्कूल-कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं. लेकिन, राज्य सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रही है. वह हाथ पर हाथ धरे बैठी है. फ़र्ज़ी मुठभेड़ का मामला अभी तक उलझा पड़ा है.

फोटो- बुल्लु राज

लोगों के गुस्से का शिकार खोंगजोम स्टैंडर्ड इंग्लिश स्कूल.

छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के आंदोलन को कुचलने के लिए सरकार ने कई बार कर्फ्यू भी लगाया, लेकिन इसका कोई असर आंदोलनकारियों पर नहीं पड़ा. कक्षा बहिष्कार का सबसे ज़्यादा असर इंफाल वेस्ट, इंफाल ईस्ट, थौबाल और विष्णुपुर में दिख रहा है. यहां के छात्रों की पढ़ाई पूरी तरह चौपट हो चुकी है, लेकिन मणिपुर की जनता सेना के ज़ुल्मों से इतनी परेशान हो चुकी है कि वह इस बार पीछे हटने के मूड में नहीं है. लोग मरने-मारने तक पर आमादा हैं. वे सड़कों पर निकल चुके हैं और उन्होंने हिंसक रुख़ अख्तियार कर लिया है. उनका कहना है कि अहिंसक आंदोलन से सरकार सुनने वाली नहीं है. इसी के चलते लोगों ने बीती 17 नवंबर को थौबान ज़िले के सापम खुनौ में खोंगजोम स्टैंडर्ड इंग्लिश स्कूल का भवन जला दिया, जिसमें लगभग दस लाख रुपये की संपत्ति जलकर राख हो गई. स्कूल के प्रशासक लांगपोकलाकपम शक्तिधर सिंह ने बताया कि यहां नर्सरी से लेकर आठवीं कक्षा तक की पढ़ाई होती है. इस स्कूल में कुल 620 विद्यार्थी हैं.

अहम बात यह है कि एक तरफ़ पढ़ाई ठप्प है तो दूसरी तरफ़ छात्रों को परीक्षा भी देनी है. दसवीं और बारहवीं की परीक्षा तो सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा होती है, क्योंकि यहीं से भविष्य की राह खुलती है. छात्रों का कहना है कि इस तरह तो हमारा भविष्य ही अंधकारमय हो जाएगा. इस बार दसवीं कक्षा के 27,000 से अधिक और बारहवीं कक्षा के 19,000 से अधिक छात्रों को परीक्षा देनी है. इनके साथ-साथ अभिभावक भी चिंतित हैं. उन्होंने सरकार और अपुनबा लुप से अपील की है कि दोनों मिलकर कोई ऐसी राह निकालें, जिससे छात्रों का भविष्य चौपट होने से बचाया सके.

ऑल मणिपुर रिकॉगनाइज प्राइवेट स्कूल्स वेलफेयर एसोसिएशन ने भी सरकार, विद्यार्थी संगठनों और अपुनबा लुप से अपील की है कि मामले का शीघ्र ही कोई समाधान निकाला जाए. इसी बीच सरकार ने 9 नवंबर से स्कूल-कॉलेज खुलने की घोषणा कर दी, लेकिन डर और आंदोलन के चलते छात्र वहां जाने का नाम नहीं ले रहे हैं. मणिपुर विश्वविद्यालय के छात्र भी कक्षा बहिष्कार में शामिल हैं. यहां बीएससी के 9494, बीए के 11,746 और बीकॉम के 1,268 छात्र कक्षा में नहीं जा रहे हैं.

ग़ौरतलब है कि रवीना और संजीत को सुरक्षाबलों ने एक फ़र्ज़ी मुठभेड़ में मार गिराया था. सरकार ने इस घटना को दबाने की काफ़ी कोशिश की थी, मगर तहलका पत्रिका ने मामले की 12 तस्वीरें छापकर सरकार की नींद उड़ा दी. तस्वीरें बता रही थीं कि संजीत को जानबूझ कर एक फार्मेसी के अंदर ले जाकर गोली मारी गई. यहां लोग हमेशा भयभीत रहते हैं. पिछले 14 अगस्त को नोंगमाइखों में 13 वर्षीया विद्यारानी को इंफाल वेस्ट कमांडो और मराठा लाइट इंफैंट्री के जवान उसके घर से उठा ले गए और उसे चार दिनों तक कस्टडी में रखा गया. वजह, उसके मां-बाप पर शक़ था कि उनके आतंकवादियों से संबंध हैं. विद्यारानी आज तक दहशत में है. वह हर वक़्त चौंकती, चिल्लाती और बुदबुदाती रहती है. विद्यारानी जैसे अनेक बच्चे इसी माहौल में जीते हैं, लेकिन इस बात की चिंता न राज्य सरकार को है और न ही केंद्र सरकार को. अफसपा क़ानून के चलते सेना ख़ुद को सुरक्षित मानती है. सरकार भी मामले को रफ़ा-दफ़ा करना चाहती है. जनता की मांग है कि इस मुठभेड़ का सच सामने लाया जाए. इसमें शामिल लोगों को निलंबित किया जाए. जनता ने मुख्यमंत्री से इस्तीफ़े की भी मांग की.

एमसू, एमएसएफ और केएसए का कहना है कि शिक्षा से ज़्यादा महत्वपूर्ण आदमी के जीने का हक़ है. जब शांति होगी, तभी पढ़ाई हो सकेगी. इसीलिए कक्षा बहिष्कार का निर्णय लिया गया. उधर बारहवीं की परीक्षा आगामी मार्च या अप्रैल माह में होनी तय है. डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स एलाइंस ऑफ़ मणिपुर (डेसाम) ने लोगों से अपील की है कि वे अपने गुस्से पर क़ाबू रखें. संगठन के अध्यक्ष एल सी संतोष ने कहा कि स्कूल जलाना शिक्षा का विरोध करने के समान है. मुख्यमंत्री ओ इबोबी सिंह ने आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द ही पढ़ाई सुचारू रूप से शुरू हो जाएगी. सेना ने आम आदमी को मार डाला है, यह बात ग़लत है. घटना की जांच हो रही है और दोषी लोगों को सज़ा ज़रूर मिलेगी. जनता को जीने और शिक्षा का अधिकार सरकार की प्राथमिकता में है.

कहां कितने विद्यार्थी

सरकारी हायर सेकेंडरी	10,549
मान्यताप्राप्त हायर सेकेंडरी	30,389
सरकारी हाईस्कूल	21,018
वित्तपोषित हाईस्कूल	13,439
मान्यताप्राप्त हाईस्कूल	1,15,379
सरकारी जूनियर हाईस्कूल	21,117
वित्तपोषित जूनियर हाईस्कूल	8,296
मान्यताप्राप्त जूनियर हाईस्कूल	47,755
सरकारी प्राइमरी स्कूल	60,537
वित्तपोषित प्राइमरी स्कूल	16,031
मान्यताप्राप्त प्राइमरी स्कूल	14,885
कॉलेज-विश्वविद्यालय	20,000
कुल	**3,79,395**

उक्त आंकड़े डायरेक्टर ऑफ एजूकेशन (एस) की 2007-08 की रिपोर्ट पर आधारित हैं, जिसमें इंफाल वेस्ट, इंफाल ईस्ट, थौबाल और विष्णुपुर आदि ज़िले प्रमुख रूप से शामिल हैं.

bijen@chauthiduniya.com

बुंदेलखंड के विकास के लिए सात हज़ार करोड़ रुपये के विकास पैकेज की घोषणा की गई है. इस राशि का सदुपयोग वहां के लोगों की ज़िंदगी बदल सकता है. लेकिन सवाल यह है कि क्या ऐसा हो पाएगा?

बुंदेलखंड बेबस और बदहाल है

सुरेंद्र अग्निहोत्री

बुंदेलखंड में लोग ज़िंदगी जीते नहीं, ढोते हैं. प्रकृति और व्यवस्था दोनों ही उनकी कड़ी परीक्षा लेती हैं. बंज़र जमीन, पानी की कमी, बेरोजगारी, विकास योजनाओं का अभाव और सरकारी-प्रशासनिक उपेक्षा ने यहां लोगों का जीना मुहाल कर रखा है. हद तो यह कि उन्हें मिलने वाली मदद भी सियासी दांवपेंच में उलझ कर रह जाती है.

बुंदेलखंड के चित्रकूट मंडल की धरती का दर्द बहुत ही गहरा है. हर ओर यहां सिर्फ और सिर्फ सिसकियां ही सुनाई देती हैं. यहां प्रकृति रो रही है, लोग रो रहे हैं, पूरा परिवेश रो रहा है. उत्तर प्रदेश के सात जिलों में फैले बुंदेलखंड में लोग आज भी जल, जंगल और जमीन के लिए तड़प रहे हैं. महिलाओं, दलितों और वंचितों की जिंदगी तो बस बोझ बनकर रह गई है. रोजी-रोटी और पानी की समस्या इतनी विकट है कि हर साल केवल इसी वजह से हजारों लोगों को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ता है. सामंतवाद यहां अभी भी जिंदा है. गरीब, बेबस और लाचार लोगों के साथ यहां कानून भी सिसकियां भरता नजर आता है.

समूचे बुंदेलखंड में खुलेआम लूट मची हुई है. जंगलों में धड़ल्ले से वृक्ष काटे जा रहे हैं. पहाड़ के पत्थरों को लोग लूट रहे हैं. उद्योग-धंधों की स्थिति चौपट है. यहां औद्योगिक इकाइयों के नाम पर अगर कुछ नजर आता है तो केवल स्टोन क्रशर की मिलें. धनबल और सत्ताबल के गठजोड़ ने बुंदेलखंड का सत्यानाश करके रख दिया है. वनीकरण के नाम पर बस यूकेलिप्टस अथवा विलायती बबूल का रोपण हुआ है. जड़ी-बूटियों और अन्य वन्य उपजों का क्षरण हुआ है. यहां का प्राकृतिक असंतुलन बढ़ गया है. रासायनिक खादों के बेहिसाब प्रयोग से खेतों की उर्वरता नष्ट होती जा रही है. अधिक पानी की जरूरत वाली फसलों के उत्पादन पर जोर देने और प्रशासनिक निष्क्रियता की वजह से धरती बंजर होती जा रही है. चित्रकूट मंडल के पाठा क्षेत्र में पानी के लिए त्राहि-त्राहि मची हुई है, जबकि भूगर्भ में 12 किलोमीटर चौड़ा और 110 किलोमीटर लंबा नदी का स्रोत है. अगर कोशिश की जाए तो बुंदेलखंड में पानी की समस्या का निदान असंभव नहीं है. यह गौर करने वाली बात है कि पानी उपलब्ध कराने के मद में बुंदेलखंड में सालाना साठ से सत्तर करोड़ रुपये खर्च किए जाते हैं.

भौगोलिक दृष्टि से बुंदेलखंड प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का आठवां हिस्सा खुद में समेटे हुए है. झांसी और चित्रकूट मंडलों में विभाजित बुंदेलखंड की आबादी प्रदेश की कुल जनसंख्या का पांच प्रतिशत है. पूरा का पूरा अंचल भूमि उपयोग व वितरण, कार्यशक्ति, जल व सिंचाई, खाद्यान्न उत्पादन और रोजगार के अवसर के मामले में हाशिए पर है. मानवाधिकार हनन की घटनाएं तो यहां आम बात हैं. बुंदेलखंड प्राकृतिक विपदा का हमेशा शिकार होता रहा है. अनावृष्टि की वजह से प्रत्येक दो-तीन वर्ष के बाद बुंदेलखंड का इलाका सूखे की चपेट में आ जाता है. कभी खरीफ की तो कभी रबी की और कभी-कभी तो दोनों फसलें चौपट हो जाती हैं. यहां की लगभग सोलह प्रतिशत जमीनें या तो बंजर हैं अथवा गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त हैं. शिक्षा यहां बदहाली का शिकार है. बेसिक एवं हायर सेकेंडरी स्कूलों की स्थिति बदतर है. यहां की चालीस प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा के नीचे की जिंदगी जी रही है. चित्रकूट मंडल में हालात और भी बदतर हैं. ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं, गरीबों और वंचितों की हालत गुलामों जैसी है. खनिज संपदाओं पर सामंतों ने क़ब्जा कर रखा है. वन और राजस्व विभाग के लोग जमीन को अपने कब्जे में बताकर आदिवासियों को वहां से खदेड़ देते हैं.

हद तो यह है कि ग्रामीण विकास योजना मंत्री इसी इलाके के हैं, फिर भी यहां के गांवों की दशा अब तक सुधर नहीं पाई है. गरीबी, असमानता, बेरोजगारी और पलायन जैसी विकराल समस्याएं यहां आज भी बरकरार हैं. ग्रामीणों को आज तक बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हो पाई हैं. मजदूरों की मजदूरी हड़पना सत्ता के दलालों की नीति बन गई है. महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना बेरोजगारी की समस्या का हल कर पाने में नाकाम रही है. रोजगार के अभाव में लाखों लोग अपना गांव छोड़कर छह से आठ माह के लिए पलायन कर जाते हैं. सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत गरीबों को मिलने वाला अनाज खुलेआम बाजार में बेच दिया जाता है.

ग्रामीणों की गर्दन कर्ज के फंदे में लटकी हुई है. गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को जन वितरण प्रणाली की दुकानों से राशन नहीं मिल पाता है. विकास कार्यों में कमीशन, लेवी और चोरी आम बात है. कई ठेकेदार बताते हैं कि किसी भी निर्माण कार्य में उन्हें अफसरों को 35 प्रतिशत तक कमीशन देना पड़ता है. ग्रामीण विकास कार्य ठोस नीति और जन भागीदारी के अभाव में विफल साबित हुए हैं. अभी तक ऐसी कोई नीति नहीं बनाई जा सकी है, जो ग्रामीण समुदाय के लिए संरचनात्मक ढांचा उपलब्ध करा सके. सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद सूचनाएं आम जनता तक नहीं पहुंच पाती हैं. असंवेदनशील अफसरों की सामंती मानसिकता के कारण कई दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया जाता. गरीब आदिवासी अपने पेट की आग शांत करने के लिए सामा घास की रोटी खाने को मजबूर हैं. प्रशासन भूख से हुई मौतों के मामले सामने नहीं आने देता, क्योंकि उसे अपनी कलई खुलने का डर सताता है.

पिछले एक दशक के दौरान चित्रकूट मंडल के बांदा, महोबा, हमीरपुर और चित्रकूट आदि जिलों में वर्षा औसत होती रही है. बेतवा, केन, धसान, सहजाद और मंदाकिनी जैसी नदियों के बावजूद यहां सिंचाई सुविधाओं का समुचित विकास नहीं किया गया, जिसके चलते यह क्षेत्र लगातार सूखे का शिकार होता रहा है. समाजसेवा की आड़ में अनेक स्वयंसेवी संस्थाएं बुंदेलखंड को चारागाह के रूप में इस्तेमाल कर रही हैं. उन्हें इस क्षेत्र के गरीबों से कोई मतलब नहीं है. इन स्वयंसेवी संस्थाओं ने ऐसा एक भी काम नहीं किया है, जिसका उल्लेख किया जा सके. फर्जी सम्मेलन और गोष्ठियों के बल पर वे मालामाल हो रही हैं. चित्रकूट जिले के मानिकपुर और मऊ ब्लॉक में शुरुआती दौर में कुछ स्वयंसेवी संगठनों ने थोड़े-बहुत काम किए. चित्रकूट जिले की आबादी लगभग छह लाख है, जिसमें एक लाख साठ हजार लोग अनुसूचित जाति और जनजाति के हैं. मऊ और मानिकपुर में अनुसूचित जाति और जनजाति के तिहत्तर हजार लोग रहते हैं.

इन दोनों ब्लॉकों की कुल आबादी लगभग दो लाख चालीस हजार है. इस क्षेत्र में रहने वाले ज्यादातर कोल एवं सहरिया आदिवासी पहले अपनी भूमि के मालिक होते थे, लेकिन पिछली एक शताब्दी के दौरान शोषण के कारण वे अपनी ही जमीन पर बंधुआ मजदूर बनकर रह गए हैं. डेढ़ दशक पहले उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (यूपी डेस्को) के सर्वेक्षण में बताया गया था कि पाटा के अनुसूचित जाति के 7336 परिवारों में से 2316 बंधुआ मजदूर थे. पूरे क्षेत्र में डाकुओं के गिरोह भी अर्से से सक्रिय हैं. ललितपुर के मड़ावरा में आदिवासी कुपोषण के शिकार हैं. सरकारी विद्यालयों में मिड डे मील योजना के तहत बच्चों को घटिया खाना दिया जा रहा है. पेंशन के लिए भी महिलाओं को भटकना पड़ रहा है. गरीबी रेखा के नीचे जीवन जी रहे परिवारों के पास राशनकार्ड तक नहीं हैं और न ही शासन-प्रशासन को इसकी फिक्र.

feedback@chauthiduniya.com

विकास के केंद्रीय पैकेज पर सियासत

बदहाल बुंदेलखंड के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित 7,266 करोड़ रुपये के पैकेज से यहां के 13 जिलों में सिंचाई एवं कृषि सुविधाएं दी जानी हैं. पैकेज की घोषणा के साथ उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश की सियासी जमीन पर शह और मात का खेल फिर शुरू हो गया है. पहले पैकेज के लिए राहुल गांधी की पहल पर केंद्रीय प्राधिकरण बनाने की बात हुई तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में विरोध की सुगबुगाहट सुनाई देने लगी. पैकेज मिलते ही कांग्रेस के श्रेय को खारिज करने के लिए बहुजन समाज पार्टी अब 80 हजार करोड़ रुपये के पैकेज की बात करने लगी है. भारतीय जनता पार्टी सब कुछ बर्बाद हो जाने के बाद पैकेज देने पर सवाल खड़े कर रही है. सपा को इस पैकेज में भ्रष्टाचार की बू आ रही है.

दावे और वायदे लाख किए जाएं, लेकिन सच तो यह है कि पुलिस सुधार के प्रति व्यवस्था की नीयत शुरू से ही संदिग्ध रही. वरना अब तक यह मामला लंबित न रहता.

पुलिस सुधार की सिफ़ारिशें सार्वजनिक होनी चाहिए

नब्बे के दशक के मध्य और उसके बाद पुलिस सुधार का मसला एक केंद्रीय मुद्दा बन गया. राष्ट्रीय पुलिस आयोग द्वारा की गई सुधार की सिफ़ारिशें बीस साल बाद भी गुप्त तरीक़े से रखी गई हैं. अब इन्हें सार्वजनिक करने की ज़रूरत है, ताकि आम आदमी जान सके कि किस तरह की सिफ़ारिशें की गई हैं. पुलिस सुधार की सिफ़ारिशों के बारे में यदि आम आदमी थोड़ा-बहुत भी जान सका तो वह कुछ ग़ैर सरकारी संगठनों, सेवानिवृत्त और कार्यरत पुलिस अधिकारियों की कोशिशों का नतीजा है. साथ ही एक राजनीतिज्ञ के तौर पर इंद्रजीत गुप्ता के प्रयासों को भी नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता है, लेकिन उनकी अधिकांश कोशिशें पूरे देश की अपेक्षा दिल्ली की कुछ कार्यशालाओं और बैठकों तक ही सीमित रहीं. यहां यह ध्यान दिलाना महत्वपूर्ण है कि संविधान में पुलिस व्यवस्था की ज़िम्मेदारी राज्य सरकारों को दी गई है, लेकिन 1861 का पुलिस अधिनियम अभी भी केंद्र सरकार के अधीन है.

यह कहना ग़लत होगा कि राज्य सरकारों ने पुलिस सुधारों के प्रति काम नहीं किया. पुलिस व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए राज्य सरकारों ने थोड़ी-बहुत कोशिशें की हैं. ऐसी कोशिशें ख़ासकर साठ के दशक में की गईं, जब कई राज्य सरकारों ने पुलिस सुधार के मामले में अपनी रुचि दिखाई. साथ ही इन सरकारों ने इस संदर्भ में आने वाली समस्याओं का पता लगाने के लिए कई विशेषज्ञों की टीम गठित की. यही नहीं, राज्य सरकारों ने पुलिस आयोग की नियुक्ति की. मसलन 1961 में बिहार, उत्तर प्रदेश और पंजाब की सरकारों ने इस दिशा में क़दम उठाया तो 1962 में महाराष्ट्र, 1968 में दिल्ली और असम की राज्य सरकारों ने भी अहम फ़ैसला लिया. वहीं 1969 में तमिलनाडु सरकार ने भी पुलिस आयोग की नियुक्ति की. उत्तर प्रदेश ने 1971 और तमिलनाडु ने 2001 में दोबारा यह क़दम उठाकर एक उल्लेखनीय फ़ैसला लिया. इनमें कई आयोगों ने राष्ट्रीय पुलिस आयोग की सिफ़ारिशों को ही दोहराया, जैसे उपकरण, पुलिस व्यवस्था में मानव संसाधन, भर्ती, प्रशिक्षण, अनुशासनिक प्रक्रिया, ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस की कार्यशैली, क़ानून-व्यवस्था व जांच प्रक्रिया में अंतर, पुलिस के अधिकार और कर्तव्य, रिकॉर्ड्स का रखरखाव, पुलिस की नैतिकता एवं क्षमता, भ्रष्टाचार, समाज के साथ पुलिस का संबंध आदि. इन सबके बावजूद किसी भी आयोग ने पुलिस को जवाबदेह बनाने की तत्काल ज़रूरत पर चर्चा तक नहीं की.

12 जुलाई 1997 को नारायण नामक एक शख्स ने भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश जे एस वर्मा को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें विस्तार से बताया गया कि 1996 से ही किस तरह हवाला घोटाले की साज़िश रची जा रही है. उस जनहित याचिका में ज़िक्र किया गया कि किस तरह शीर्ष नौकरशाह और राजनेता काले धन को सफ़ेद (वैध) बनाने में शामिल हैं. शीर्ष अधिकारियों और राजनेताओं के शामिल होने की वजह से जांच प्रक्रिया को भी प्रभावित किया जा रहा है. न्यायालय ने यह निर्देश दिया कि सीबीआई को स्वयं की कार्य प्रणाली पर संपूर्ण नियंत्रण होना चाहिए और उस पर किसी तरह का बाहरी दबाव नहीं होना चाहिए.

फोटो- *प्रभात पाण्डेय*

राजनीतिक व्यवस्था की ख़ामियों ने सुधार की नीतियों में किसी तरह का बदलाव नहीं होने दिया. हालांकि इन सबके बावजूद न्यायिक मोर्चे पर पुलिस सुधार के वायदे किए जा रहे हैं. उच्चतम न्यायालय इस मामले में काफ़ी सक्रिय दिख रहा है और सुधार के मसले पर कई सकारात्मक निर्णय भी दे चुका है. संभवत: हवाला के ज़रिए विदेशी ख़ातों में पैसा जमा करना सबसे दिलचस्प मामलों में एक है. 12 जुलाई 1997 को नारायण नामक एक शख्स ने भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश जे एस वर्मा को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें विस्तार से बताया गया कि 1996 से ही किस तरह हवाला घोटाले की साज़िश रची जा रही है. उस जनहित याचिका में ज़िक्र किया गया कि किस तरह शीर्ष नौकरशाह और राजनेता काले धन को सफ़ेद (वैध) बनाने में शामिल हैं. शीर्ष अधिकारियों और राजनेताओं के शामिल होने की वजह से जांच प्रक्रिया को भी प्रभावित किया जा रहा है. न्यायालय ने यह निर्देश दिया कि सीबीआई को स्वयं की कार्य प्रणाली पर संपूर्ण नियंत्रण होना चाहिए और उस पर किसी तरह का बाहरी दबाव नहीं होना चाहिए. न्यायालय का यह पहला निर्णय था, जबकि पुलिस की कार्य प्रणालियों पर बाहरी दबाव का साफ़ तौर से ज़िक्र किया गया.

1987 में सेवानिवृत्त न्यायाधीश डी के बासु ने उच्चतम न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की. इस याचिका में उन्होंने हिरासत में लिए गए लोगों की सुरक्षा और पुलिस हिरासत में होने वाली मौतों पर विस्तृत जानकारी मांगी. याचिका में हिरासत के दौरान होने वाली हिंसा और संदिग्धों को हिरासत में लेने की प्रक्रिया का भी ज़िक्र किया गया. न्यायालय ने 1996 में एक प्राथमिक निर्णय दिया, जिसमें आम नागरिकों के अधिकार और पुलिस के साथ उनके संबधों का ज़िक्र किया गया. यह भी कहा गया कि हिरासत और क़ैद के दिशा-निर्देश सभी नागरिकों को मुहैया होने चाहिए यानी उक्त दिशा-निर्देश सभी पुलिस थानों में मौजूद होने चाहिए.

कई दूसरी अर्द्ध न्यायिक संस्थाओं ने भी पुलिस सुधार की दिशा में योगदान किया. मसलन 1993 में संसद के एक अधिनियम के तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) का गठन किया गया. एक सांविधिक निकाय होने की वजह से एनएचआरसी के निर्देशों को पुलिस और सरकार दोनों मानती है. 1996 में आयोग ने कहा कि हिरासत में मौत अथवा बलात्कार के मामले में 24 घंटे के भीतर आयोग और पुलिस मुख्यालय को रिपोर्ट देना जरूरी होगा. साथ ही पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज़ करना भी आवश्यक है. दूसरे उदाहरण के तहत आयोग ने यह फ़ैसला दिया कि न्यायिक हिरासत में मौत के मामले में रिपोर्ट पर 24 घंटे के भीतर एक सुनिश्चित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए. 1984 का सिख और 2002 का गुजरात दंगा हालिया और शायद सबसे भीषण घटनाओं में से एक हैं, जिनमें पुलिस की लापरवाही और राजनेताओं द्वारा पुलिस का दुरुपयोग देखा गया. इन घटनाओं के तथ्य आम आदमी के सामने हैं और अभी तक इन दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के मामले में न्याय का इंतज़ार है. कई पुलिस अधिकारी, जो भीड़ को उकसाने में शामिल थे, उन्हें राजनीतिक प्रतिष्ठान द्वारा पुरस्कृत किया गया. पुलिस व्यवस्था में बदलाव की ज़रूरत आम आदमी भी महसूस कर रहा है.

2002 के गुजरात दंगे और कई दूसरी घटनाओं ने पुलिस सुधारों के लिए सरकारी प्रयासों पर काफ़ी प्रभाव डाला. भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ने अपने घोषणा पत्रों में पुलिस सुधार और पुलिस को पेशेवर बनाने का वायदा किया, लेकिन 1999 और 2004 में उनकी सरकार बनने के बावजूद ज़मीनी स्तर पर कुछ भी नहीं किया गया. 2005 के बाद से इस मामले में कुछ क़दम उठाए जा रहे हैं, जिनसे पुलिस सुधारों के प्रति आम आदमी को उम्मीद की एक रोशनी नज़र आती है. एक सितंबर 2005 को प्रधानमंत्री ने एक सम्मेलन बुलाया और उन्होंने सभी ज़िलों के शीर्ष अधिकारियों को पुलिस के सामने आने वाली चुनौतियों एवं उसकी अक्षमताओं पर अपने विचार साझा करने के लिए कहा. प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा कि सुधार की योजनाएं, जो बग़ैर किसी योजना के अंतर्गत हैं, अब वक़्त आ गया है कि उन्हें विकास की योजनाओं से जोड़ा जाए. इसी साल यानी 2005 में मॉडल पुलिस अधिनियम का मसौदा तैयार करने में ग़ैर सरकारी संगठनों को शामिल कर एक ऐतिहासिक कोशिश की गई.

डोयल मुखर्जी
feedback@chauthiduniya.com

(लेखिका अंतरराष्ट्रीय मामलों की विशेषज्ञ हैं)

मेरी दुनिया.... भाजपा का संकट ...धीर

वेश्याओं के घर पैदा हुए बच्चे तमाम परेशानियों के बाद भी पढ़ रहे हैं. उनमें आगे बढ़ने की ललक समाज के दूसरे बच्चों से किसी भी लिहाज़ से ज़रा भी कम नहीं है.

वे फिर से लिख रहे हैं अपनी क़िस्मत

(यौनकर्मीदेर सन्तानदेर संगठन)

बिमल राय

बच्चों के जन्म पर अगर कुछ घरों में सोहर गाए जाते हैं तो कुछ घरों में मातम भी मनता है. यौनकर्मियों के बच्चों की हालत भी कुछ ऐसी है. ये जिस दुनिया में आंखें खोलते हैं, वह आम समाज के लिए निषिद्ध होती है. ऐसे में ख़ुद की क़िस्मत बदलने की जद्दोजहद कितनी संघर्ष भरी होगी, समझा जा सकता है. इन बेकसूर बच्चों को सारी ज़िंदगी लांछित किया जाता है. ऐसे में इन्हें कई चुनौतियों से जूझना पड़ता है. चुनौतियां, लांछनों का सामना करने और नए सिरे से अपनी क़िस्मत लिखने की.

नरेंद्रपुर की पिंकी दास जब एक महीने की थी, तभी उसकी यौनकर्मी मां की मौत हो गई. पिता ने दूसरी शादी की और किशोरावस्था से ही उस पर सौतेली मां का ज़ुल्म शुरू हो गया. आख़िर में वह दुर्वार की शरण में आई. आज उसने नरेंद्रपुर में ही नर्सिंग की ट्रेनिंग लेकर अपनी क़िस्मत ख़ुद लिखने की ठानी है. बस्ती में उसे सब यौनकर्मी की संतान के रूप में जानते हैं, जिससे उसे कई तरह की परेशानियां भी झेलनी पड़ती हैं, लेकिन उसकी नज़र सिर्फ़ अपनी मंज़िल पर है. 16 वर्षीय पिंकी को ऐसे जीवनसाथी की तलाश है, जिसके साथ कहीं दूर जाकर एक नई ज़िंदगी की शुरुआत कर सके. यहां की अंधेरी गलियों में 18 बसंत देख चुकी गीता दास ने भी ठान ली है कि वह अपने मां के पेशे को नहीं अपनाएगी और दुर्वार की ओर से चलाए जा रहे रोज़गार प्रशिक्षण कार्यक्रमों के बूते आत्मनिर्भर बनकर अपनी दुनिया बसाएगी. 12 साल का सोनू दास सोनागाछी के पास के एक सरकारी स्कूल में पढ़ता था. उसने किसी तरह तीसरी कक्षा तक पढ़ाई की और फिर स्कूल छोड़ दिया, क्योंकि जैसे ही दूसरे बच्चों को पता चला कि वह यौनकर्मी की संतान है, उसके प्रति उनमें नफ़रत की भावना पैदा हो गई.

दक्षिण 24 परगना के लक्ष्मीकांतपुर की प्रतिमा दास की मां का स्वर्गवास आज से तीन साल पहले हो गया था. उसकी देखरेख का ज़िम्मा सौतेली मां पर आ गया. अब प्रतिमा 15 साल की हो चुकी है. उसकी सौतेली मां चाहती है कि वह भी यही पेशा अपनाए, लेकिन प्रतिमा इस पेशे की ओर रुख़ नहीं करना चाहती. वह ब्यूटीशियन का कोर्स करके आत्मनिर्भर बनना चाहती है. 15 वर्षीय अभिजीत घोष को मां–बाप के बीच तकरार का शिकार होना पड़ा. पिता से न पटने के कारण मां ने यौन बस्ती का रुख़ किया. दो बच्चे मां के साथ तो दो पिता के साथ रहते हैं. छठी कक्षा तक की पढ़ाई के बाद उसने स्कूल छोड़ दिया. वह आगे की पढ़ाई इग्नू से करना चाहता है. नृत्य और नाटक का शौक़ीन अभिजीत दुर्वार के सांस्कृतिक संगठन कोमल गांधार से जुड़कर प्रशिक्षण ले रहा है. अभिजीत की सगी बहन 13 वर्षीय प्रिया भी उसके साथ रहती है. पांचवीं कक्षा के बाद उसने भी पढ़ाई छोड़ दी.

दुर्वार महिला समन्वय समिति की सचिव भारती डे ने चौथी दुनिया को बताया कि यौनकर्मियों के बच्चे भी ख़ुद को दूसरे आम बच्चों की तरह महसूस करें, इसके लिए पदादिक और कोमल गांधार जैसी संस्थाओं के ज़रिए कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं. इनमें खेलकूद और पेंटिंग प्रतियोगिताएं भी होती हैं. जो यौनकर्मी अपने बच्चों को इस माहौल से दूर रखना चाहती हैं, उनके लिए राहुल और इंदुबाला नामक दो होम चलाए जा रहे हैं. बेड़ाभेंगे स्कूलों के ज़रिए सैकड़ों बच्चे अपनी अलग दुनिया बसाने का सपना साकार करने में लगे हैं. भारती ने बताया कि फ़िलहाल 80 लड़कियां ब्यूटीशियन का कोर्स कर रही हैं, जो ब्यूटी पार्लरों में काम पाकर आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं. दुर्वार द्वारा यौनकर्मियों की संतानों के लिए ड्राइविंग प्रशिक्षण की भी व्यवस्था है. कोमल गांधार से प्रशिक्षण पाकर कई युवक एवं युवतियां बिहार और उत्तर प्रदेश में आर्केस्ट्रा चला रहे हैं. यौनकर्मियों को गर्भधारण के संबंध में कई तरह की परेशानियां हैं. मां बनने की इच्छा होने के बावजूद एक साल तक ख़र्च वहन करने की चिंता इन्हें गर्भ निरोधक के इस्तेमाल और असुरक्षित यौन संपर्क के लिए मजबूर करती है. कुछ माताएं अपने भविष्य की चिंता में बच्चियों को जन्म देती हैं. जो पुत्र को जन्म देती हैं, वे उन्हें पढ़ा–लिखाकर इस क़ाबिल बनाना चाहती हैं कि वे उनके बुढ़ापे की लाठी बन सकें. लेकिन ज़ाहिर है कि ऐसा नहीं होता. नैतिकता की सर्वमान्य परिभाषा यहां मान्य नहीं होती. ये बच्चे जल्दी ही अभ्यस्त हो जाते हैं कि उनकी मां उन्हीं के लिए पेशा करती है. जैसे किसी दूसरे बच्चे की मां घरों में झाड़ू–पोंछा करती है, अस्पतालों में रोगियों की सेवा करती हैं. ये अब समझ गए हैं कि उनकी मां क्यों सात–आठ बजते–बजते खाना खाकर सो जाने की ज़िद करती है. कुछ सोते हैं और कुछ आंख बंद कर अपनी मां की मदद करते हैं. यहां की औरतें विरोधाभास की मूरत होती हैं. यदि वे संतान की चाहत रखती हैं तो पेट की आग ऐसा करने से रोकती है. लेकिन, जब उम्र ढलने का ख्याल आता है तो उन्हें ज़रूरत होती है बुढ़ापे में एक सहारे की. यह सहारा उन्हें कभी कन्या संतान के रूप में नज़र आता है तो कभी नियमित रूप से आने और एक तरह से पति का दर्ज़ा पाने वाले बाबू के रूप में. निष्कर्ष फिर भी नहीं निकलता. मन से आशंका का घना कोहरा कभी नहीं छंटता. इस तरह पूरी उम्र बीत जाती है. इस पेशे में पेट की आग और एक औरत में मौजूद मां का अंतर्द्वंद्व दुर्वार महिला समन्वय समिति की कोषाध्यक्ष रह चुकी झरना घोष की कहानी से समझा जा सकता है. इससे पता चलता है कि मिथक और हक़ीक़त में काफ़ी फ़र्क़ होता है. दक्षिण 24 परगना के बगुला निवासिनी झरना जब 14 साल की थी तो टीबी की चपेट में आकर उसकी मां चल बसी. चिता की राख भी नहीं बुझी थी कि पिता सौतेली मां ले आया. कुछ महीनों तक सौतेली मां का अत्याचार झेलने के बाद मजबूरन उसे कालीघाट की यौन बस्ती में आना पड़ा. पूरे छह साल तक उसने गर्भधारण नहीं किया, पर सातवें साल उसके अंदर की मां की ममता जगी. पड़ोस की एक यौनकर्मी जब गर्भवती होने के बाद परेशान हो गई तो झरना को एक मौक़ा दिखा. पूरे सात माह तक उसका ख़र्च उठाने का प्रस्ताव देकर उसने बच्चा मांग लिया, लेकिन जब बच्चा पैदा हुआ तो उस यौनकर्मी के भीतर की मां जगी और उसने बच्चा देने से इंकार कर दिया. लेकिन एक साल बाद ही झरना को भी बच्चा हुआ. चार साल बाद शुरू हुई उस बच्चे के स्कूल में दाख़िले की जद्दोजहद. उसने पास के एक स्कूल के हेड मास्टर को अपना सच बताया तो उन्होंने बच्चे को दाख़िला देने से साफ़ इंकार कर दिया. झरना ने इलाक़े के छुटभैया नेताओं की मदद ली और कोर्ट जाने की धमकी दी, तब जाकर उसके बच्चे का दाख़िला हुआ, मगर स्कूल के शिक्षकों ने उस बच्चे को अछूत मान लिया. आख़िरकार बच्चे ने स्कूल जाना छोड़ दिया और एक दिन वह घर से ही भाग गया. झरना को आज 13 साल बाद भी अपने बेटे का इंतजार है.

जहां तक शिक्षा की बात है तो यहां सारे बच्चे साक्षर या शिक्षित नहीं हो पाते. स्वयंसेवी संगठनों की कोशिशों के बावजूद इस समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा तालीम की रोशनी से वंचित रहता है. दुर्वार संगठन के प्रयासों ने इन्हें एक राह दिखाई है. वर्ष 2005 में दुर्वार की ओर से यौनकर्मियों के 580 बच्चों को सैंपल सर्वे के लिए चुना गया. सर्वे में पाया गया कि इन बच्चों में 16.47 प्रतिशत निरक्षर, 12.5 प्रतिशत साक्षर और 41.95 प्रतिशत प्राथमिक और 19.83 प्रतिशत माध्यमिक स्तर तक शिक्षित थे. उच्च माध्यमिक स्तर पर यह प्रतिशत 5.53 और स्नातक स्तर पर 0.84 था. यौनकर्मियों का संगठन होने के बाद एक बदलाव यह आया है कि अब दूसरे स्कूल भी पिता का नाम न होने के बावजूद इन बच्चों का दाख़िला ले रहे हैं, लेकिन इस रास्ते की सारी बाधाएं अभी दूर नहीं हुई हैं. दुर्वार ने पश्चिमी मेदिनीपुर के आमलाशोल में अछूत माने जाने वाले शबर आदिवासी जाति के बच्चों को भी शिक्षित करने की ठानी है. आमलाशोल प्राथमिक विद्यालय में शबर जाति के बच्चों को पढ़ने की इजाज़त नहीं थी. उस स्कूल में मिड डे मील की व्यवस्था थी, पर खाने के समय शरीर छू जाएगा, यही एक बड़ी बाधा थी. सारे शबर बच्चे पीढ़ी–दर–पीढ़ी निरक्षरता के अभिशाप से पीड़ित थे. जब भुखमरी के कारण आमलाशोल सुर्ख़ियों में आया तो दुर्वार की टीम ने वहां बेडाभेंगे स्कूल शुरू किया. स्कूल को माइक्रो सेंटर फॉर कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड रिसर्च संगठन की मदद मिली. इन लोगों के आर्थिक सहयोग से बेड़ाभेंगे स्कूल में कॉपी, किताबें और यूनिफॉर्म दी जाने लगी. सरकारी विद्यालय छोड़कर बच्चे बेड़ाभेंगे स्कूल में आने लगे. एक बार आमलाशोल का लीक से हटकर चल रहा यह स्कूल देखने पश्चिमी मेदिनीपुर के तत्कालीन ज़िलाधीश नारायण स्वरूप निगम भी आए. उन्होंने बेलपहाड़ी के बीडीओ को आमलाशोल प्राथमिक विद्यालय का मिड डे मील बंद कर यहां मिड डे मील चालू करने का आदेश दिया. आमलाशोल प्राथमिक विद्यालय में एक शिक्षक है और विद्यार्थियों की संख्या है 26. जबकि बेडाभेंगे स्कूल में 45 विद्यार्थी, तीन शिक्षक और तीन शिक्षिकाएं हैं. बेड़ाभेंगे स्कूल के बच्चे अपने ज़िले से बाहर भी जाते हैं. दुर्वार की पहल से लीडरशिप ट्रेनिंग लेने 15 वर्षीय बुधनी शबर झारखंड के घाटशिला गई. इस तरह बुधनी ने पहली बार गांव से बाहर क़दम रखा और घाटशिला में ही उसने पहली बार ट्रेन देखी. अब बच्चे कोलकाता भी आते हैं और दुर्वार के विभिन्न सम्मेलनों में हिस्सा लेते हैं. साइंस सिटी, निक्को पार्क और बिडला तारामंडल देखते हैं. बेड़ाभेंगे स्कूल की छात्र–छात्राओं ने तय किया कि वे घर के बड़ों को नशा छोड़ने के लिए मनाएंगे. उन लोगों ने तय किया कि स्कूल की सीमा में कोई नशे की हालत में नहीं घुसने पाएगा. एक दिन मालती के पिता इंद्र शबर नशे की हालत में स्कूल आ गए. मालती ने उन्हें स्कूल से बाहर कर दिया. उन्हें काफ़ी शर्म आई और अब उन्होंने नशा करना छोड़ दिया है.

बेड़ाभेंगे स्कूल की छात्र–छात्राओं के बीच अब छुआछूत जैसी कोई बात नहीं है. वे यौनकर्मियों के बच्चों को हिकारत की नज़र से नहीं देखते. आख़िर उनकी माताओं के संगठन ने ही इनकी तक़दीर बदली है. बेड़ाभेंगे स्कूल के शिक्षक स्वरूप सरकार ने बताया कि कोलकाता के पास उल्टाडांगा के राहुल विद्या निकेतन और बारुईपुर होम के कई बच्चों ने इस साल की माध्यमिक परीक्षा में अच्छे अंक हासिल किए हैं. इनकी क़िस्मत बदल रही है, पर अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है. सदियों से समाज में बनी मान्यता को बदलने की क्षमता इनमें शायद नहीं है, पर अपनी ज़िंदगी अपने तरीक़े से हंसी–ख़ुशी जीने लायक़ ताक़त जुटा रहे हैं ये बच्चे और वह भी अपने बूते पर.

feedback@chauthiduniya.com

दुर्वार द्वारा संचालित व्यवसायिक शिक्षा (1995 से 2005 तक)

विषय	शिक्षार्थी	स्नातक	स्वावलंबी
हस्तशिल्प	68	50	50
ब्यूटीशियन	80	41	41
टीवी रिपेयरिंग	10	--	--
इलेक्ट्रिशियन	20	--	--
फोटोग्राफी	51	51	07
स्क्रीन प्रिंटिंग	18	18	05

MURUGAPPA GROUP
BSA MOTORS e-Scooters
BSA मोटार्स आ गया
सबके दिलों पे छा गया।
BSA MOTORS की हर एक इलैक्ट्रीक स्कूटर की खरीद पर पाईये
"एक साल की बैट्री वारंटी" एवम् "Rs. 4000/- का कैश कार्ड मुफ्त"।
4000/- रुपये मूल्य के कैश कार्ड निश्चित रुप से पाओ।
एक साल की बैट्री वारंटी *$
दो सालो में 29,890/- रुपये की बचत करो।*#
Conditions apply##
*Ex. showroom Price starting from Rs.15,450/- for Smile in Delhi after subsidy & cash card.
*$ Battery Warranty of 12 months / 12000 km's whichever is earlier & applicable.
*# Savings Vary from model to model.
SHAHDARA: Binsar Auto Mobiles, 954 - E, Main 100 Ft Road, Babarpur Extn.Shahdara. Phone: 011-22831100 / 22831400/9911994444/9911450121. NAJAFGARH: CNS Retail Pvt Ltd, Plot No. 1, Block – G, Gopal Nagar. Phone: 011 - 28015634 / 28010709/ 09958019000/9212365634. DWARKA-MAIN PALAM DABRI ROAD: CNS Retail Pvt Ltd, D - 70/5, Main Palam Dabri Road, Mahavir Enclave. Phone: 011 – 28011702/ 45017150/09818239724/ 9212275634/ 9212170006. NANGLOI: CNS Retail Pvt Ltd, Plot No 18, Ram Nagar Colony, Main Najafgarh Road, Nangloi. Phone: 9971734599 / 9213899686. KRISHNA NAGAR: Agrawal Motors, A-1/14. Krishna Nagar, Chachi Building Chawk,Near Lal Quarter Market. Phone: 011 – 22452829/09312835117. KAROL BAGH: Imperial Cycles, 53/2, Deshbandhu Gupta Road, Karol Bagh. Phone: 011-65461542/ 28722276/25717886/9811453355. ASHOK NAGAR: New Golden Cycle Store, 36/13, Ground Floor, Ashok Nagar. Phone: 9810807183. NOIDA: Agrawal Motors, B-41 & 42, Sector 16 , Near Mirula's Hotel, Gautam Budh Nagar. Phone: 0120-4249906/ 4232242/9312835117/ 09350906906. ROHINI: Rocky Autolinks, F 18/61, Rohini, Sector 8. Phone: 9811032353 (Opening Shortly)

लिब्रहान : सत्रह साल और कुछ आश्चर्य

एम जे अकबर

ऐसे चंद ही व्यवसाय हैं, जिन्हें एक ऐसे सम्मानजनक ओहदे से नवाज़ा जाता है जो पद के बाद भी जीवंत रहता है. पुजारी, न्यायाधीश, सैन्य सेवा अधिकारी, अध्यापक और डॉक्टर (अकादमिक और चिकित्सा दोनों क्षेत्रों में) आदि इसी दायरे में आते हैं. पत्रकार (यहां तक कि संपादक भी) और राजनेता (कैबिनेट मंत्री सहित) यदि विजिटिंग कार्ड किसी को देते हैं तो यह उनके लिए हास्यास्पद स्थिति को आमंत्रण देने जैसा है. भारतीय जनता मीडिया और राजनीति के बारे में अनिश्चित विचार रखती है. वह हमारे क़ानून के संरक्षकों, ज्ञान और सुरक्षा का सम्मान करती है. पूर्व राजनयिकों के बीच एक नई प्रवृत्ति ने जन्म लिया है, अपने नाम के पहले राजदूत शब्द जोड़ने का. यह चलन हमारे यहां अमेरिका से आया है, लेकिन यह उपलब्धि के तौर पर हासिल की गई उपाधि की अपेक्षा अपनी असफलता की खीज में छीनी गई उपाधि ही लगती है.

लिब्रहान जान-बूझकर हेराफेरी एवं अनिर्दिष्ट जांच एजेंसियों पर दोष मढ़कर राव का बचाव करते हैं. हर कोई जानता था कि उस समय क्या चल रहा था. दूसरों की अपेक्षा आईबी के अधिकारियों को तो सारी बातें और भी बेहतर तरीक़े से मालूम थीं. राव ने सिर्फ़ शाम को कैबिनेट की मीटिंग बुलाई, वह भी तब, जबकि बचाने के लिए कुछ रह नहीं गया था, यहां तक कि प्रतिष्ठा भी.

अहं और झूठे स्वाभिमान के चलते कुछ नेता अपने नाम के आगे डॉ. शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी कुछ ख़ास अहमियत नहीं होती. यह उपनाम उन्हें किसी विशेष अकादमिक उत्कृष्टता के लिए नहीं मिलता, बल्कि यह एक हताश संस्था की ध्यानाकर्षण की कोशिश है. ऐसी संस्थाएं इन्हें डॉक्टरेट की मानद उपाधि के तौर पर काग़ज़ का बेकार टुकड़ा ही देती हैं. हालांकि जब तक हम अपने राजनेताओं से आला दर्ज़े की ईमानदारी की अपेक्षा नहीं करते, इन सबसे ज़्यादा फ़र्क़ नहीं पड़ने वाला है. लेकिन जब किसी शख्स के पास बेहद सम्मानीय दायित्व होता है तो उसमें विश्वास भी व्यक्त किया जाता है. यह विश्वास सामूहिक तौर पर भाईचारे को प्रभावित करता है.

आम जनता जो बातें 6 दिसंबर 1992 से ही जानती है, उसे हमें बताने के लिए न्यायाधीश एम एस लिब्रहान को न तो 17 वर्षों और न ही हज़ारों पृष्ठों की आवश्यकता थी. बाबरी मस्जिद रात के अंधेरे में नहीं गिराई गई. यह धीरे–धीरे, पत्थर दर पत्थर, रविवार को रवि (सूरज) की किरणों में, सैकड़ों पत्रकारों के सामने और अयोध्या के चारों ओर ख़ुशी मना रहे सैकड़ों कारसेवकों के सामने गिराई गई. मस्जिद चंद मिनटों में डायनामाइट से नहीं गिराई गई. उसे लोहे की छड़ों और फावड़े से ध्वस्त किया गया.

यह ज़ाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के वरिष्ठ नेता वहां मौजूद थे, लेकिन साथ ही वे वहां कारसेवक के तौर पर थे. अटल बिहारी वाजपेयी वहां नहीं थे, लेकिन वे लखनऊ के नज़दीक ही थे. पर वह पार्टी के निमंत्रण को अस्वीकार करने में असक्षम थे. समाचारपत्रों ने अगले दिन और पत्र–पत्रिकाओं ने अगले हफ्ते विध्वंस की तस्वीरें छापीं, जिनमें कुछ तो ऐतिहासिक बन गईं. हमें सत्रह साल तक यह इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है कि विनय कटियार इसके लिए क़सूरवार हैं. वह 6,000 से भी अधिक दिनों से अपनी ज़िम्मेदारी क़बूल रहे हैं.

कुछ दिनों बाद तत्कालीन रक्षा मंत्री शरद पवार को एक समूह द्वारा एक सांसद के घर पर आमंत्रित किया गया, जहां उन्हें 6

दिसंबर पर बनी फ़िल्म दिखाई गई. लिब्रहान आयोग उस फ़िल्म की एक झलक देखकर ही अपनी आधी रिपोर्ट तैयार कर सकता था. मीडिया ने भी इन क्रूर दंगों के कवरेज में अपनी व्यापक भूमिका निभाई. श्रीकृष्ण रिपोर्ट ने भी महाराष्ट्र दंगों की असलियत जानने के लिए अपनी रिपोर्ट के साथ कहीं अधिक न्याय किया. हालांकि इसे क्रियान्वित न करने पर सभी पार्टियों की आपसी मिलीभगत ज़िम्मेदार है. बाबरी ध्वंस के वक़्त संदेह का सिर्फ़ एक ही सवाल उठा कि जब मस्जिद गिराई जा रही थी तो प्रधानमंत्री पी वी नरसिंहा राव क्या कर रहे थे? महाराष्ट्र के मौजूदा मुख्यमंत्री के पिता और तत्कालीन गृहमंत्री एस बी चव्हाण क्यों स्थिर, निश्चल और ख़ामोश बैठे रहे?

अयोध्या में आक्रमण शुरू हो चुका है, जब यह शब्द हवा में तैरा तो सदमे की लहर पूरी दिल्ली में दौड़ गई. प्रधानमंत्री के आवास के फोन की घंटियां बजने लगीं, इस उम्मीद में कि क़ानून व्यवस्था लागू करने और राजनैतिक एवं नैतिक दायित्वों को निभाने के लिए वह राज्य के अधिकारों का इस्तेमाल करेंगे. उस वक़्त प्रधानमंत्री के निजी सचिव की तरफ़ से भयावह प्रतिक्रिया मिली कि प्रधानमंत्री फ़िलहाल उपलब्ध नहीं हैं या गहरी नींद में सो रहे हैं. यह एक झूठ था. राव की निष्क्रियता और चव्हाण का सहयोग स्वाभाविक था. लिब्रहान जान–बूझकर हेराफेरी एवं अनिर्दिष्ट जांच एजेंसियों पर दोष मढ़कर राव का बचाव करते हैं. हर कोई जानता था कि उस समय क्या चल रहा था. दूसरों की अपेक्षा आईबी के अधिकारियों को तो सारी बातें और भी बेहतर तरीक़े से मालूम थीं. राव ने सिर्फ़ शाम को कैबिनेट की मीटिंग बुलाई, वह भी तब, जबकि बचाने के लिए कुछ रह नहीं गया था, यहां तक कि प्रतिष्ठा भी. इस समय तक घृणा की आग मुंबई और पूरे देश के दर्जनों शहरों को जला रही थी. इलज़ाम, इनाम और सज़ा इन सभी को ताक पर रख दिया गया. जिन्होंने (नौकरशाह और पत्रकार) राव के इस नाटक में उनका साथ दिया, उन्हें पुरस्कृत किया गया. कांग्रेसी मुसलमानों की चुप्पी उनके लिए बोनस साबित हुई. राव 1996 तक सत्ता में बने रहे, लेकिन वह न तो शासन और न ही जीवन में शांति से जी सके.

इस लेख के शब्दों से कोई असर नहीं पड़ेगा. एक सरकार उसी आसानी से अतीत के मलवे को कम कर सकती है, जैसे विपक्षी दल सदियों पुरानी मस्जिद को गिरा सकता है. मेरा ख़ेद दुर्लभ तरीक़े से व्यक्तिगत हो जाता है, लेकिन यह क्षण भी दुर्लभ है. मैं राव सरकार का एक छोटा सा हिस्सा था और 6 दिसंबर की रात को ही जब प्रधानमंत्री आवास के चारों ओर बनी पत्थर की दीवार उनके चापलूसों के अलावा सभी के लिए अभेद्य हो गई थी, मैंने इस्तीफ़ा दे दिया. शब्दों को एक अलग क़िस्म की निष्ठा की ज़रूरत है और शब्दों की दुनिया में वापस आकर ही किसी को सुकून मिलता है.

feedback@chauthiduniya.com

मनु शर्मा प्रकरण और पैरोल की राजनीति

रवि किशोर

पिछले दिनों दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को बहुचर्चित जेसिका लाल हत्याकांड के आरोपी मनु शर्मा को पैरोल देने के मामले पर दिल्ली उच्च न्यायालय की फटकार का सामना करना पड़ा. जनता तो पहले से ही मनु शर्मा को पैरोल देने के लिए दिल्ली सरकार की आलोचना कर रही थी. दरअसल मनु शर्मा 1999 में टेमरंड कोर्ट की एक पार्टी में मॉडल जेसिका लाल की हत्या के आरोप में दिल्ली की तिहाड़ जेल में आजीवन कारावास की सज़ा भुगत रहा था. उसे अपनी बीमार मां की सेवा के नाम पर तिहाड़ जेल से पैरोल पर ज़मानत मिली थी, लेकिन इस दौरान मनु शर्मा दिल्ली के पांच सितारा होटल के पब में देखा गया. इस पर सवाल यह उठाया गया कि क्या मनु शर्मा ने पैरोल के नियमों का उल्लंघन किया? न्यायाधीश गंभीर ने अपने आदेश में लिखा, अदालत को इस बारे में कोई संदेह नहीं है कि गृह मंत्रालय कुछ आरोपियों को उसके ऊंचे संपर्क और प्रभाव के कारण पैरोल दे रही है. इसमें कोई संदेह नहीं है कि उसी में एक मामला मनु शर्मा का है. अदालत एक सज़ा प्राप्त क़ैदी सुमेध सिंह की इस शिकायत पर सुनवाई कर रही थी कि पैरोल देने का उनका आवेदन तीन माह से ज़्यादा समय से लंबित क्यों है?

उच्च न्यायालय ने कहा कि जेसिका लाल के हत्यारे मनु शर्मा को एक तरह से थाली में परोस कर पैरोल दिया गया, जबकि अन्य मुजरिमों को इसके लिए लंबा इंतज़ार करना पड़ता है. अदालत ने इसके लिए दिल्ली सरकार की खिंचाई की है. दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार से भी यह कहा है कि पैरोल सिर्फ़ धनवान और रसूखदार लोगों के लिए नहीं है. इसमें कोई शक़ नहीं है कि सरकार कुछ आरोपियों को उसके प्रभाव और संपर्क के कारण प्राथमिकता दे रही है और मनु शर्मा का मामला भी इनमें से एक है. इसके जवाब में दिल्ली सरकार ने कहा कि 2009 में पैरोल के लिए प्राप्त 372 आवेदनपत्रों में से 72 को स्वीकृति दी गई, जबकि 202 आवेदनों को सिरे से ख़ारिज़ कर दिया गया. उच्च न्यायालय के मुताबिक़, आंकड़ों से यह बात स्पष्ट है कि आवेदकों के प्रति उदासीनता बरती गई है. राज्य सरकार ने 25 नवंबर को भारत के मुख्य न्यायाधीश के सामने संशोधित दिशा–निर्देशों का मसौदा पेश किया है. इसमें कहा गया है कि पैरोल के लिए प्राप्त सभी आवेदनों का निपटारा एक माह और अधिक से अधिक दो माह के भीतर कर दिया जाएगा तथा पैरोल संबंधी कोई भी निर्णय पुलिस सत्यापन के बाद ही लिया जाएगा. किसी के आवेदन को स्वीकृत और किसी को ख़ारिज़ बस यूं ही नहीं कर दिया जाएगा.

वास्तव में न्यायमूर्ति कैलाश गंभीर ने मनु शर्मा का उदाहरण यह बताने के लिए दिया है कि किस तरह पहुंच वाले व्यक्ति के आवेदन पर त्वरित कार्रवाई करते हुए महज़ 20 दिनों में ही पैरोल की प्रक्रिया पूरी कर ली गई, जबकि दूसरे कई लोगों के आवेदन छह महीने से विचाराधीन पड़े हुए हैं. शर्मा की याचिका के शीघ्र निपटारे के विपरीत सात ऐसे ही मामलों में निष्क्रियता दिखाई गई थी. दिल्ली सरकार द्वारा दायर हलफ़नामे में संलग्न सूची के मुताबिक़, पैरोल के लिए इस साल विचार के लिए पेश 372 आवेदनों में से 72 को स्वीकृति दी गई, 202 को ख़ारिज़ कर दिया गया, जबकि 98 अब भी विचाराधीन हैं. ग़ौरतलब है कि सरकार ने यह भी कहा है कि इस साल 14 मुज़रिम पैरोल पर थे और पूरी सतर्कता रखने के बावजूद वे पैरोल के नियमों को तोड़कर अभी तक फरार हैं. एक सामान्य प्रक्रिया के रूप में सज़ायाफ्ता क़ैदी कुछ ख़ास निजी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पैरोल के लिए आवेदन कर सकता है. पैरोल संबंधी मामले देखने वाले क़ैदी के आवेदन को उसकी सज़ा के दौरान जेल में उसके व्यवहार संबंधी रिपोर्ट को कार्यवाही के लिए गृह विभाग के पास भेज देते हैं. साथ ही साथ अपराधी के गृहनगर और जहां उसने वारदात को अंजाम दिया होता है, वहां की पुलिस को भी एक पत्र भेज दिया जाता है. दोनों ही जगहों से पुलिस की रिपोर्ट मिलने के बाद गृह विभाग उसके पैरोल संबंधी आवेदन को स्वीकृत या अस्वीकृत करने संबंधी निर्णय लेता है. यह मामला संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री के पास जाता है और वहां से इसे अंतिम स्वीकृति के लिए राज्यपाल या गवर्नर जनरल के पास भेज दिया जाता है. बहरहाल मनु शर्मा के मामले में गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस, जिसने जेसिका लाल की हत्या करने वाले व्यक्ति को पैरोल दिए जाने का विरोध किया था, की टिप्पणी की अनदेखी कर दी. दरअसल पैरोल किसी अपराधी की सशर्त रिहाई है, जिसमें उसकी सज़ा की अवधि ख़त्म होने के पहले सीमित समय के लिए जेल से बाहर निकलने की अनुमति प्रदान की जाती है. इसमें क़ैदियों द्वारा जेल में नियमों के पालन और उनके आचरण व व्यवहार को भी ध्यान में रखा जाता है.

पैरोल किसी क़ैदी की शीघ्र रिहाई है. यह विधियों द्वारा विनियमित है. इसमें उस पर निगरानी रखी जाती है और अलग–अलग राज्यों में इसके प्रावधान भी अलग हैं. मनु शर्मा के पैरोल मुद्दे ने आम लोगों के बीच उत्तेजना पैदा की है कि क्या पैरोल केवल अमीरों और प्रभावशाली लोगों के लिए है? मनु शर्मा के पैरोल मामले ने इस धारणा की पुष्टि ही की है. हालांकि क़ानूनी तौर पर पैरोल सुविधा की बजाय क़ैदी को मिलने वाला अधिकार है. क़ैदियों को पैरोल के अधिकार के सवाल पर हमेशा दो विपरीत दृष्टिकोण देखने को मिलते हैं.

पैरोल का उदारवादी दृष्टिकोण इसे मानवीय ज़रूरत बताता है. जस्टिस अय्यर इसके प्रबल समर्थक माने जाते हैं. वह प्रत्येक क़ैदी को हर साल दो सप्ताह पैरोल की अनुमति देने की आवश्यकता पर बल देते

हैं. उनका तर्क है कि इससे किसी को खूंखार अपराधी बनने से रोका जा सकता है. पैरोल के संबंध में जो दूसरा दृष्टिकोण है उसके मुताबिक़, पैरोल क़ैदी का अधिकार नहीं है और किसी भी क़ैदी को अत्यंत निजी ज़रूरत होने पर ही पैरोल दिया जाना चाहिए.

बहरहाल दोनों ही दृष्टिकोणों के गुण और अवगुण हैं. ज़रूरत है तो बस इस विषय पर संतुलित और व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाने की. हमारा जो बंदी क़ानून है, वह काफ़ी पुराना हो चुका है. इसके पूर्ण पुनरीक्षण की ज़रूरत है. देश का बंदी क़ानून एक सदी से भी ज़्यादा पुराना हो चुका है. इस क़ानून के कुछ प्रावधान अप्रासंगिक हो चुके हैं और कुछ काफ़ी बर्बर हैं. क़ैद में अनुशासनहीनता दिखाने पर क़ैदियों की पिटाई भी उनमें से एक है. कई राज्य तो इसे अपने यहां प्रतिबंधित भी कर चुके हैं. हमारे संविधान के मुताबिक़, कारागार राज्य सूची के अंतर्गत आता है. राज्य सरकार को यह शक्ति दी गई है कि कारागार के क़ानून को वह अपने तरीक़े से कार्यान्वित कर सकती है.

अलग–अलग राज्यों में पैरोल प्रदान करने के क़ानून भी अलग हैं. कुछ राज्य लंबी अवधि के लिए पैरोल प्रदान करते हैं. जैसे त्रिपुरा में कैदी को दो वर्ष की लंबी अवधि तक के लिए पैरोल प्रदान किए जा सकते हैं, जबकि दूसरे राज्यों में यह अवधि आमतौर पर एक या दो महीने है. राज्यों के विशेषीकृत क़ानूनों के अलावा संविधान के अनुच्छेद 72 और 161 के तहत संवैधानिक प्रावधान भी हैं. देश के राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल को अपराधी की क़ैद की अवधि कम करने, सज़ा को दूसरी सज़ा में बदलने और क्षमादान आदि की शक्ति प्रदान की गई है.

ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट द्वारा तैयार मॉडल प्रिजन मैन्युअल में पैरोल प्रदान करने के कुछ उदार दिशा–निर्देश दिए गए हैं, जैसे–

1. पैरोल के लिए सभी आवेदनों का निपटारा 30 दिनों के भीतर होगा.
2. अच्छे रिकॉर्ड वाले क़ैदियों को साल में दो माह के लिए पैरोल की सुविधा दी जा सकती है.
3. पैरोल कुछ ख़ास स्थिति में दिया जाएगा. पैरोल पर एक क़ैदी शांति बनाए रखने और शर्तों को मानने के लिए बाध्य होता है.

यह हक़ीक़त है कि पैरोल के आवेदन पर फ़ैसले में वक़्त लगता है. ऐसा इसलिए, क्योंकि कई बार पुलिस की रिपोर्ट समय पर नहीं मिल पाती है या फिर उसमें नौकरशाही अड़चनें खड़ी करती है. अख़बारों में प्रकाशित ख़बरों के मुताबिक़, सितंबर 2009 तक दिल्ली सरकार ने पैरोल के लिए प्राप्त 132 आवेदनों में से 11 को अनुमति दी. हक़ीक़त यह है कि कई ग़रीब क़ैदियों को पैरोल सिर्फ़ इसलिए नहीं मिल पाया, क्योंकि उनके मामले पर सुनवाई में जल्दबाजी नहीं दिखाई गई. इसमें कोई शक़ नहीं है कि पैरोल देने के विषय में कई वैधानिक प्रावधान हैं, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि इसकी व्याख्या स्पष्ट और सुपरिभाषित होनी चाहिए. साथ ही यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि किन परिस्थितियों में पैरोल दिया जाना चाहिए. इस नीति को अमल में लाने से ज़्यादा विश्वसनीयता और पारदर्शिता के साथ पैरोल प्रदान करना सुनिश्चित किया जा सकेगा. इससे यह भी सुनिश्चित किया जा सकेगा कि पैरोल के अधिकार का धनी और रसूखदार लोग ग़लत इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, जैसा कि मनु शर्मा के मामले में हमें देखने को मिला. तब तक किसी क़ैदी को पैरोल पर जाने की अनुमति ज़मानत या अंतरिम ज़मानत की तरह दी जा सकती है. नीतीश कटारा हत्याकांड के आरोपी विकास यादव को अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए पुलिस की निगरानी में कुछ दिनों की अंतरिम ज़मानत दी गई थी. प्रत्येक मामले की सुनवाई अलग तरीक़े से की जानी चाहिए. इसमें अपराध की प्रकृति का ध्यान रखा जाना चाहिए. अगर कोई नृशंस हत्या का मामला है तो उसे असावधानीपूर्वक गाड़ी चलाने के कारण हुई दुर्घटना या ग़ैर इरादतन हत्या के मामले से अलग देखना होगा.

(लेखक सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं)

feedback@chauthiduniya.com

आदिवासियों की पीड़ा

आलेख–सदियों से *अपमान का दंश झेल रहे हैं आदिवासी*, हमारी व्यवस्था में व्याप्त खोट की ओर सहज इशारा करता है. लेखक ने बड़ी बारीकी से विषय के हर बिंदु को उठाया. यह दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि जिन आदिवासियों को प्रकृति ने ख़ुद इतनी नियामतों से नवाज़ा था, ताकि वे अपना भरण–पोषण आसानी से कर सकें, उन्हें कुछ देने के बजाय शासन उनसे उनके जीने के साधन ही छीन रहा है.

विपुल मेहता, *नई दिल्ली.*

देश और लोकतंत्र का अपमान

चौथी दुनिया के 23–29 अक्टूबर के अंक में प्रकाशित लेख–*राजनीति की असंवैधानिक शैली* के तहत जो सवाल उठाए गए हैं, वे निश्चित तौर पर सटीक और सामयिक हैं. महाराष्ट्र विधानसभा में समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आज़मी के साथ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के विधायकों ने जो घटिया सुलूक किया, वह घोर निंदनीय होने के साथ–साथ चिंतनीय भी है. यह अराजकता की पराकाष्ठा है. ऐसे लोगों की वजह से ही आज देश और लोकतंत्र को क़दम–क़दम पर अपमानित होना पड़ रहा है.

राजेश्वर प्रसाद सक्सेना, *चंदौसी, उत्तर प्रदेश.*

चिंतनीय विषय

बाल मज़दूरी देश के लिए अभिशाप शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित लेख पढ़ा. वास्तव में यह एक चिंतनीय विषय है. केंद्र और राज्य सरकारों को इस ओर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बच्चे इस देश का भविष्य हैं. पढ़ने–लिखने की उम्र में उनका रोज़गार–धंधे से संबद्ध हो जाना देश के हित में नहीं है. सरकार के साथ–साथ जनसामान्य को भी इस दिशा में जागरूकता बरतनी चाहिए.

विपिन शर्मा, *भोपाल, मध्य प्रदेश.*

पठनीय एवं संकलन योग्य सामग्री

चौथी दुनिया अख़बार देखा. यह अपने आकर्षक कलेवर के साथ–साथ संकलन योग्य सामग्री से युक्त एवं पठनीय है. उत्कृष्ट संपादन के लिए बधाई.

विशाल शुक्ल, रेलवे स्टेशन छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश.

बेहतर बदलाव

चौथी दुनिया को पुन:प्रकाशित देखकर प्रसन्नता हुई. व्यक्तिगत रूप से खेद भी हुआ कि जब इस पर नज़र गई, तब तक इसके 35 अंक निकल चुके थे. इसमें काफ़ी और बेहतर बदलाव आया है. उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं.

केशव शरण, *सिकरौल, वाराणसी, उत्तर प्रदेश.*

भाषा–संस्कृति और हमारी सरकार

विश्व के सभी विकसित देशों की सरकार और बुद्धिजीवी देश के आर्थिक विकास के साथ–साथ भाषा और संस्कृति की उन्नति में अपना योगदान करते रहे हैं, लेकिन अफ़सोस कि हमारी सरकार अपने देश की भाषा और संस्कृति को हमेशा हेय दिखाने की कोशिश करती रहती है.

डॉ. जगन्नाथ, *आसनसोल, पश्चिमी बंगाल.*

छायाचित्र परिवेश के अनुरूप हों

जाति की जड़ें ... शीर्षक तले प्रकाशित आलेख में यदि महाराष्ट्रीय परिवेश का कोई छायाचित्र प्रयुक्त होता तो ज़्यादा अच्छा था. लेखक ने दबंगों के नामों का उल्लेख टाला है. गीत, कविता और ग़ज़ल को भी स्थान दें.

सुरेश कुमार उघड़े, *रमाई नगर, भुसावल, महाराष्ट्र.*

भोजपुरी सिनेमा की कामयाबी

यह जानकर हर्ष होता है कि अब भोजपुरी सिनेमा भी किसी से पीछे नहीं है. एक समय था, जब भोजपुरी के नाम पर इक्का–दुक्का फ़िल्मों का ही ज़िक्र होता था, लेकिन आज भोजपुरी फ़िल्में देश–विदेश हर जगह धूम मचा रही हैं.

राहुल सिंह, *मोतिहारी, बिहार.*

इधर भी ध्यान दें

आपका साहित्य पृष्ठ पढ़ना अच्छा लगता है. चर्चा कुंभनगर की सीरीज के प्रकाशन के लिए धन्यवाद. आज कई बड़े अख़बार और समाजसेवी संस्थाएं सिर्फ़ महानगरों की नदियों में व्याप्त प्रदूषण से ही चिंतित दिखाई देते हैं. धार्मिक स्थलों पर बहुत कम लोगों का ध्यान जाता है. इतना बड़ा आयोजन होने वाला है और व्यवस्थाओं के नाम पर हर तरफ लचरता दिखाई देती है. इस ओर ध्यान देने की जरूरत है.

राजीव थपलियाल, *देहरादून, उत्तराखंड.*

पाठक अपने विचार और सुझाव हमें इस पते पर भेज सकते हैं-
संपादक, चौथी दुनिया, एफ-2, सेक्टर - 11
नोएडा (उत्तर प्रदेश) पिन-201301
ई-मेल पता : feedback@chauthiduniya.com

जब तोप मुक़ाबिल हो

बिहार नीतीश कुमार का या लालू यादव, राम विलास पासवान का

संतोष भारतीय

नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं. इसी महीने उन्होंने चार साल पूरे किए हैं और चाहते हैं कि अगले वर्ष जब वे विधानसभा चुनाव में जाएं तो उन्हें फिर जीत हासिल हो. नीतीश ने हाल में सत्रह सीटों के लिए हुए उपचुनाव में केवल तीन पर जीत हासिल की, पंद्रह में वे हार गए. दो सीटें भाजपा के पास गईं. कह सकते हैं कि नीतीश कुमार को पांच सीटें मिलीं. हारे तो वे लालू यादव और राम विलास पासवान के गठजोड़ की वजह से, लेकिन एक कारण और था जिसके लिए नीतीश कुमार की तारीफ़ की जानी चाहिए. वह कारण था सांसदों और विधायकों के रिश्तेदारों टिकट न देना. कम से कम नीतीश कुमार ने परिवारवाद के ख़िलाफ़ कार्यकर्ताओं के लिए अवसर बनाने के लिए जो साहस दिखाया, वह प्रशंसनीय है. यह अलग बात है कि उन्हीं की पार्टी के उन लोगों ने चुनाव में धोख़ा दिया, जो अपने बेटे या अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाना चाहते थे. लेकिन केवल एक यही वजह नहीं थी नीतीश कुमार के दल जनता दल (यू) की हार की. कई वजहें और रहीं, पर चार साल पूरे होने पर पहले उन पर नज़र डालें, जो अच्छे कामों की श्रेणी में आते हैं.

नवंबर 2005 से अक्टूबर 2009 के बीच राज्य इन्वेस्टमेंट बोर्ड को जो प्रस्ताव मिले, उनमें से दो सौ बीस प्रस्ताव स्वीकृत हुए. अब तक राज्य में एक हज़ार बत्तीस करोड़, बयासी लाख का निवेश हो चुका है. जिस बिहार से गुज़रने में लोग डरते थे, वहां निवेश होना अच्छा लक्षण माना जाएगा.

2005 में बिहार के सरकारी अस्पतालों में प्रतिमाह औसतन 39 मरीज़ आते थे, पर स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की वजह से अगस्त 2009 में यह संख्या बढ़कर 4500 हो गई. गांवों को शहर से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना लागू की गई. बड़े पैमाने पर सड़कों का निर्माण जारी है. पंचायतों में महिलाओं को पचास फीसदी आरक्षण दिया गया. यह नीतीश कुमार के सबसे क्रांतिकारी क़दमों में माना जाएगा. कांट्रेक्ट पर शिक्षकों की नियुक्ति भी की गई.

बिहार में आमतौर पर माना जाता है कि क़ानून व्यवस्था की हालत पहले से बहुत सुधरी है. ख़ुद नीतीश कुमार जनता दरबार लगा लोगों की समस्याएं सुनते हैं. नीतीश कुमार ने दो राजनैतिक काम भी किए. उन्होंने राम विलास पासवान के जनाधार में सेंध लगाने के लिए महादलित आयोग बनाया और लालू यादव के जनाधार को तोड़ने के लिए अल्पसंख्यकों के लिए ढेर सारी योजनाएं प्रारंभ कीं.

नीतीश कुमार ने पहले विकास यात्रा के माध्यम से जनता का मन टटोला, जिसका फ़ायदा उन्हें लोकसभा चुनावों में मिला. अब विधानसभा चुनावों से पहले दिसंबर–जनवरी में वे फिर विकास यात्रा पर निकलने वाले हैं. लड़कियों के लिए साइकिलें उन्होंने बंटवाई. नीतीश कुमार का रिपोर्ट कार्ड, जिसे उन्होंने ख़ुद जारी किया, काफ़ी अच्छा असर डालता है.

क्या नीतीश कुमार ने आलोचना सुनना बंद कर दिया है? उनके साथियों का कहना है कि अगर उन्हें मनमाफ़िक बात न कही जाए तो वे नाराज़ हो जाते हैं. जिन नीतीश कुमार को हम जानते हैं, वे ऐसे नहीं थे. अभी भी बिहार का एजेंडा तय करने की ताक़त उनमें है. अगर वे यह कर पाए तो बिहार फिर उनका है, और अगर लालू यादव और राम विलास पासवान ने एजेंडा तय किया तो बिहार उनका होगा, नीतीश कुमार का नहीं.

पर रिपोर्ट कार्ड अच्छा था तो वोट क्यों नहीं मिला. क्यों अट्ठारह उपचुनावों में अपने गठबंधन के साथ वे केवल पांच सीटें ही पा सके. इसी का उत्तर नीतीश कुमार तलाश रहे होंगे. उन्हें मदद मिले, इसलिए कुछ तथ्य उनके सामने रख रहे हैं. नीतीश कुमार को तलाशना चाहिए कि जो सड़कें वे बना रहे हैं, उनकी गुणवत्ता क्या है, क्योंकि एक तरफ सड़कें बन रही हैं और दूसरी तरफ वे टूट रही हैं. सड़कों ने शुरुआत के समय नीतीश कुमार को वाहवाही दी थी, पर अब जब वे टूटने के रास्ते पर हैं तो नीतीश कुमार को समझना चाहिए कि उन्हें क्या मिलेगा. विकास के काम में कमीशनख़ोरी बढ़ी है, यह पटना में आमतौर पर कहा जा रहा है.

लाख दावों के बाद भी कंकड़बाग कॉलोनी से जलभराव की समस्या को दूर नहीं किया जा सका है और दूसरी ओर बिजली की समस्या का समाधान नहीं निकल पाया है. कांटी और बरौनी के थर्मल पावर हाउस को ठीक करने का काम अभी चल ही रहा है. सरकारी वितरण प्रणाली में भ्रष्टाचार इतना घुस गया है कि ज़्यादातर अनाज गोदामों से बाज़ार में पहुंच रहा है.

अफ़सरशाही चरम पर है. विधायकों की छोड़ दीजिए, मंत्री की बात भी अफ़सर नहीं सुनते. और यह तब हो रहा है जब चुनाव सिर पर है. अगड़ी जातियों ने, जिनमें भूमिहार, ब्राह्मण व राजपूत प्रमुख हैं, नीतीश को मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपना सर्वस्व लगा दिया था, पर अब उनका भरोसा नीतीश कुमार में कम हुआ है. दूसरी ओर यादवों का एक बड़ा हिस्सा नीतीश कुमार के साथ आया था, पर अब दिखाई दे रहा है कि वे लालू यादव के साथ वापस जा रहे हैं. उनमें बिखराव कम हो रहा है.

यद्यपि मुसलमानों के लिए बहुत सी योजनाएं नीतीश कुमार ने लागू की हैं, लेकिन इनका झुकाव लालू यादव और कांग्रेस की ओर ज़्यादा है. पिछले चुनाव में मुसलमानों ने बड़ी संख्या में लालू यादव का साथ छोड़ दिया था, जो उनकी हार का बड़ा कारण बना था. कांग्रेस पहले से ज्यादा मज़बूत दिख रही है. अगर झारखंड में कांग्रेस के सहयोग से सरकार बनी तो उसका बिहार पर बड़ा असर होगा.

नीतीश की सरकार और नीतीश कुमार की पार्टी के भीतर पूरा तालमेल नहीं है. आए दिन कार्यकर्ताओं और मंत्रियों के बीच झमेलों की ख़बरें आ जाती हैं. गठबंधन में नीतीश कुमार की सहयोगी भाजपा है, जो किसी भी स्थिति में मुस्लिम समर्थक योजनाओं का समर्थन नहीं करती. झारखंड चुनाव के साथ ही बिहार में नीतीश कुमार और भाजपा के बीच समीकरण फिर तनावपूर्ण हो जाएंगे. बिहार में चीनी मिलों के न लगने का असर भी रोज़गार और गन्ना किसानों पर सीधा देखा जा सकता है.

राम विलास पासवान ने दलित एकता की रणनीति अपनाई है और लालू यादव की तरह वे अपना सारा समय बिहार में दे रहे हैं. नीतीश कुमार के लिए यह ख़तरे की घंटी बन सकते हैं, या कहें कि बन गए हैं.

भोला सिंह बिहार के सांसद हैं. उन्होंने प्रेमचंद की एक कहानी सुनाई, जिसमें कहानी के नायक के बच्चे पैदा होते हैं. उसका कोई बच्चा कब, कैसे और कहां पैदा होता है, उसे फ़िक्र नहीं. कौन बीमार होता है, परवाह नहीं. और कौन मर जाता है, इसकी चिंता नहीं. वह निर्विकार और वीतराग हो सब देखता रहता है.

भोला सिंह का कहना है कि नीतीश प्रेमचंद की कहानी के नायक की भूमिका में आ गए हैं. उन्होंने इतनी योजनाएं शुरू कर दी हैं कि उन्हें याद ही नहीं है. कौन सी चल रही है और कौन लड़खड़ा रही है, पता नहीं है तथा कौन सी योजना मर रही है, इसकी जानकारी नहीं है. यह अतिशयोक्ति हो सकती है, पर अगर इसमें ज़रा भी सच्चाई है तो नीतीश कुमार को आंखें खोल लेनी चाहिए.

क्या नीतीश कुमार ने आलोचना सुनना बंद कर दिया है? उनके साथियों का कहना है कि अगर उन्हें मनमाफ़िक बात न कही जाए तो वे नाराज़ हो जाते हैं. जिन नीतीश कुमार को हम जानते हैं, वे ऐसे नहीं थे. अभी भी बिहार का एजेंडा तय करने की ताक़त उनमें है. अगर वे यह कर पाए तो बिहार फिर उनका है, और अगर लालू यादव और राम विलास पासवान ने एजेंडा तय किया तो बिहार उनका होगा, नीतीश कुमार का नहीं.

संपादक
editor.chauthiduniya.com

वाजपेयी जी संघ का सभ्य मुखौटा हैं!

डॉ. मोहम्मद मंज़ूर आलम

अटल बिहारी वाजपेयी असभ्य राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के एक सभ्य मुखौटा हैं. हमेशा से उनका अपना एक अलग अंदाज़ रहा है. वह यह कि शिकारी के साथ शिकार करना और शिकार के साथ रहना भी. यानी एक विवादित मसले पर दोनों प्रतिस्पर्धियों को समर्थन करने की नीति. स्वर्गीय कमलापति त्रिपाठी के शब्दों में, वह तीखी ज़ुबान से बोलने की कला में माहिर हैं. नफ़रत और हिंसा की राजनीति में लगातार लिप्त रहने के बावजूद संघ लगातार उन्हें उदार चेहरे के रूप में प्रस्तुत करता रहा है. यही वजह है कि शब्दों से खेलने में माहिर संघ के पूर्व नेता गोविंदाचार्य ने उन्हें संघ का मुखौटा कहा था. लिब्रहान आयोग की रिपोर्ट ने उस मक्खी के घोसले को परेशानी में डाल दिया है, जिसे हम संघ कहते हैं. बाबरी मस्जिद का ध्वंस कराकर पूरे देश में मुसलमानों के विरुद्ध दंगा भड़काने जैसी राष्ट्र विरोधी साज़िश रचने के बाद अब संघ ने आक्रामक रुख़ अख्तियार करने की घोषणा की है. इसे ही हम चोरी और सीना जोरी का नाम देते हैं.

हर संघी मासूमियत से यही पूछ रहा है कि वाजपेयी जैसे सज्जन पुरुष को बाबरी मस्जिद विध्वंस प्रकरण में कैसे घसीट लिया गया? यहां तक कि उस विध्वंस के नायक लालकृष्ण आडवाणी ने भी लिब्रहान आयोग की रिपोर्ट में दोषियों की सूची

अयोध्या की आपराधिक घटना के बाद जल्द ही दिल्ली में उन्होंने एक और नाटक का मंचन किया. उन्होंने घोषणा की कि वह राजनीति से संन्यास ले रहे हैं. अगर कोई बहुत मूर्ख होता (वहां पर्याप्त पत्रकार थे) तो उसे विश्वास होता कि वह राजनीति छोड़ रहे हैं. वाजपेयी जी अपनी ज़ुबान के कितने पक्के थे, यह इस तथ्य से आसानी से समझा जा सकता है कि उन्होंने दो मर्तबा प्रधानमंत्री पद की ज़िम्मेदारी संभाली.

फोटो–सुनील मल्होत्रा

में अटल जी का नाम शामिल किए जाने पर हैरानी व्यक्त की है. 6 दिसंबर, 1992 को विध्वंस की उक्त घटना हुई. संघ कह रहा है कि उस महत्वपूर्ण तारीख़ को अटल जी अयोध्या में मौजूद ही नहीं थे. संघ की दूसरी घोषणाओं की तरह यह भी अधूरा सच ही है. हक़ीक़त यह है कि वह पांच दिसंबर, 1992 की शाम अयोध्या से चंद दूरी पर लखनऊ में मौजूद थे. वहां उन्होंने यह बात कही भी थी कि वह अगले दिन अयोध्या में होने वाली कारसेवा में भाग लेने आए हैं. राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के शीर्ष नेताओं का यह फ़ैसला था कि यह मुखौटा बाबरी मस्जिद को धराशायी करने वाले हुड़दंगियों की जमात में नज़र नहीं आना चाहिए. अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा भी कि जब वह अयोध्या के लिए रवाना होने वाले थे तो उन्हें वापस जाने को कहा गया. ख़ुद उनके ही शब्दों में, मुझे कहा गया कि तुम दिल्ली वापस जाओ. अपने चिर परिचित नरमी और गर्मी वाले अंदाज़ में वाजपेयी जी ने सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने और मस्जिद ध्वस्त करने के लायक़ उन्माद पैदा करने के लिए सब कुछ किया. उन्होंने बिना किसी लाग–लपेट के कहा कि उन्हें नहीं मालूम कि अगले दिन अयोध्या में क्या होने वाला है? उसके बाद अटल जी ने कहा, मैं नहीं जानता कि कल वहां क्या होगा? वाजपेयी जी को सारी बातों की जानकारी थी, लेकिन वह कुछ नहीं जानते? वह भलीभांति जानते थे कि कारसेवक और उनके नेता वहां क्या करने जा रहे हैं. अप्रत्यक्ष तौर पर जब वह यह कह रहे थे कि मैं नहीं जानता कल वहां क्या होगा, तो संकेतात्मक रूप से वह यही

बता रहे थे कि मुझे मालूम है कि कल हमारे परिवार के लोग वहां शर्मनाक काम को अंजाम देने जा रहे हैं. किसी बात को कहने का यह उनका अपना तरीक़ा है. संघ के निंदित और बुरे इरादे की झलक उनकी इस टिप्पणी में ज़ाहिर होती है कि अयोध्या में ज़मीन को समतल करना पड़ेगा. स्वाभाविक है, उनका कहने का इरादा स्पष्ट था कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद को गिराना है और राम मंदिर के निर्माण के लिए ज़मीन समतल करना है. लिब्रहान आयोग ने अपनी रिपोर्ट में इस अपराध में उनकी भूमिका का ज़िक्र किया है. बल्कि दोषियों की सूची में उनका नाम आडवाणी से भी पहले है. पांच दिसंबर, 1992 को अयोध्या में उन्होंने क्या कहा, इस पर कई समाचारपत्रों में पूरी ख़बर है. संघ ने उन्हें बिना भरोसा में लिए साज़िश नहीं रची थी. अयोध्या की आपराधिक घटना के बाद जल्द ही दिल्ली में उन्होंने एक और नाटक का मंचन किया. उन्होंने घोषणा की कि वह राजनीति से संन्यास ले रहे हैं. अगर कोई बहुत मूर्ख होता (वहां पर्याप्त पत्रकार थे) तो उसे विश्वास होता कि वह राजनीति छोड़ रहे हैं. वाजपेयी जी अपनी ज़ुबान के कितने पक्के थे, यह इस तथ्य से आसानी से समझा जा सकता है कि उन्होंने दो मर्तबा प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाली. पहली बार अपमानजनक तरीक़े से वह अल्पकाल के लिए ही प्रधानमंत्री रहे. अब जबकि ख़राब सेहत और बुढ़ापे की वजह से वह राजनीति से बाहर रहने को मजबूर हैं तो ऐसे में वह दावा नहीं कर सकते कि उन्होंने स्वेच्छा से संन्यास ले लिया है.

वाजपेयी जी की कथनी और करनी ने अतीत में गंभीर क्षति पहुंचाई है. संघ के दूसरे लोगों की तरह ही उनके माथे पर भी सैकड़ों निर्दोष मुसलमानों के ख़ून के छींटे हैं. जब वह पहली बार प्रधानमंत्री बने और उनकी सरकार गिर गई तो उस दिन स्वर्गीय कॉमरेड सी बी गुप्ता ने लोकसभा को बताया था कि अस्सी के दशक में नेल्ली नरसंहार के नौ सौ मासूमों के ख़ून के कलंक का टीका भी वाजपेयी जी के माथे पर लगा है. नेल्ली नरसंहार की घटना के ठीक पहले घृणा भरे उनके भाषण ने आग में घी का काम किया था. फिर भी हां, वाजपेयी जी सम्मानीय हैं, तमाम संदेहों और आरोपों के बाद भी.

(लेखक ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल के महासचिव हैं)

feedback@chauthiduniya.com

अगर आप सिगरेट से छुटकारा पाना चाहते हैं तो निराश होने की कतई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके लिए अब एक वैक्सीन विकसित हो चुकी है.

ख़ुफ़िया एजेंसियों के सीक्रेट

मोसाद का पाकिस्तानी मोहरा

एक इज़रायली अख़बार है, ज्यूइश क्रॉनिकल. 9 अगस्त 1967 को इसमें एक बयान छपा. यह बयान था इज़रायल के पहले प्रधानमंत्री डेविड बेन गुरियन का. हालांकि यह बयान इज़रायली प्रधानमंत्री ने बहुत पहले दिया था, लेकिन छपा 1967 में. यह एक ऐसा बयान था, जिससे इस्लामिक दुनिया सकते में आ गई थी. आख़िर वे कौन सी बातें थीं, जिन्होंने हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को भी परेशान कर दिया. दरअसल इज़रायली प्रधानमंत्री ने कहा, *यहूदी आंदोलन को पाकिस्तान से होने वाले ख़तरों को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता. और, अब पाकिस्तान हमारा पहला लक्ष्य होना चाहिए. इसकी विचारधारा ही हमारे अस्तित्व के लिए ख़तरा है, क्योंकि पाकिस्तान यहूदियों से घृणा और अरबवासियों से प्यार करता है. अरबवासियों को चाहने वाला यह प्रेमी अरबों से कहीं अधिक ख़तरनाक है. इसलिए इस मामले में यह बेहद ज़रूरी है कि यहूदी दुनिया के लिए हम तुरंत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कड़े क़दम उठाएं. जहां तक हिंदुस्तानियों की बात है, उनके दिल भी मुसलमानों के प्रति घृणा से भरे हुए हैं. यह बेहद ज़रूरी है कि हम पाकिस्तानियों पर हमला करें और उनका नामोनिशान तक मिटा दें. चाहे इसके लिए किसी भी साज़िश और छल–कपट का ही सहारा क्यों न लेना पड़े. इसलिए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के लिहाज़ से भारत एक मददगार दोस्त साबित हो सकता है.*

दरअसल 14 मई 1948 को अपने अस्तित्व में आने से पहले इज़रायल ब्रिटिश हुकूमत का हिस्सा था. इसके बारे में कहा जाता है कि यह दुनिया का एकमात्र ऐसा मुल्क है, जिसका नाम, भाषा और ईश्वर अभी भी वही हैं, जो 3,000 साल पहले थे. यानी इज़रायल ऐसा यहूदी मुल्क है, जो अपनी पहचान के प्रति हमेशा से कट्टर रवैया अख्तियार करता रहा है. यहूदियों के ख़िलाफ़ उठने वाले किसी भी क़दम को वह क़ब्र तक पहुंचाने से कभी बाज नहीं आया. ग़ौरतलब है कि किसी भी इज़रायली शासक ने अपने इन उसूलों से कभी समझौता किया भी नहीं. यही वजह है कि एक मुल्क के तौर पर इस दुनिया में क़दम रखने के बाद उसने यहूदियों के ख़िलाफ़ रची जाने वाली साज़िश का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए दुनिया की सबसे तेज़तर्रार ख़ुफ़िया एजेंसी मोसाद की नींव रखी.

मोसाद को एक शातिर ख़ुफ़िया एजेंसी के तौर पर दुनिया में लाने का पूरा श्रेय इज़रायल के पहले प्रधानमंत्री डेविड बेन गुरियन को ही जाता है. डेविड गुरियन चारों तरफ़ से इस्लामिक देशों से घिरे इज़रायल के अस्तित्व की चुनौतियों से पूरी तरह वाक़िफ़ थे. मुमकिन है, चारों तरफ़ से इस्लामिक मुल्कों से घिरे रहने के ख़तरे ने इज़रायल को ख़ौफ़ के साये में जीने पर मजबूर कर दिया हो. उसने इस ख़ौफ़ का सामना करने के लिए दुनिया की ख़तरनाक ख़ुफ़िया एजेंसी मोसाद की नींव डाली और पूरी इस्लामिक दुनिया को अपना दुश्मन समझ लिया. यह बात इज़रायली प्रधानमंत्री डेविड बेन गुरियन के बयान से भी साफ़ ज़ाहिर होती है.

इज़रायल का ख़ुफ़िया आतंक

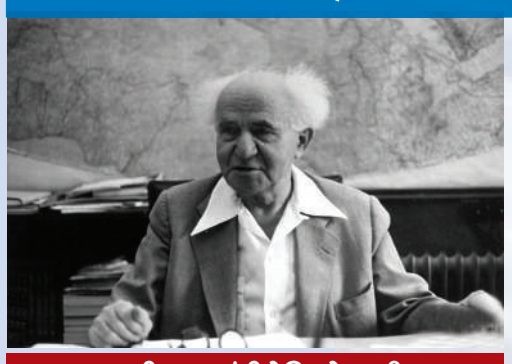

इज़रायली प्रधानमंत्री डेविड बेन गुरियन.

मोसाद ने अपने इस मिशन को अंजाम तक पहुंचाने की कवायद भी शुरू कर दी और उसके इस कारनामे में साथ दिया भारतीय ख़ुफ़िया एजेंसी रॉ ने. ख़ुफ़िया सूत्रों की मानें तो मोसाद और रॉ ने चार ऐसी जासूसी एजेंसियां बनाई थीं, जिनका मक़सद पाकिस्तान में घुसपैठ करना था. साथ ही उनका मक़सद पाकिस्तान की महत्वपूर्ण धार्मिक और सैन्य शख्सियतों को निशाना बनाना था. उनके निशाने पर सिर्फ़ यही लोग नहीं, बल्कि पाकिस्तानी पत्रकार, नौकरशाह एवं राजनेता भी थे. इसके अलावा मोसाद और रॉ की मिलीभगत से बनी एजेंसियों के निशाने पर वहां के रेलवे स्टेशन, सिनेमाहॉल, होटल और कई मस्जिदें भी थीं. ऐसा हम यूं ही नहीं कह रहे हैं. मोसाद के सारे काले कारनामों का ख़ुलासा किया है 2001 में आई एक ख़ुफ़िया रिपोर्ट ने, जिसके मुताबिक़ उक्त एजेंसियां पाकिस्तान के 20 से लेकर 30 साल तक के युवकों को भारत आने का झांसा दे रही थीं, ताकि उन्हें जासूसी और नक़ली नोटों के कारोबार के मामले से जुड़ा बताकर अपनी साज़िश के जाल में फंसाया जा सके. उसके बाद इन पाकिस्तानी युवकों का ब्रेनवॉश कर भारत और मोसाद के लिए जासूसी करने पर मजबूर किया जा सके.

2001 में आई एक ख़ुफ़िया रिपोर्ट के मुताबिक़, मोसाद और रॉ पाकिस्तान के 20 से लेकर 30 साल तक के युवकों को भारत आने का झांसा दे रही थीं, ताकि उन्हें जासूसी और नक़ली नोटों के कारोबार के मामले से जुड़ा बताकर अपनी साज़िश के जाल में फंसाया जा सके . उसके बाद इन पाकिस्तानी युवकों का ब्रेनवॉश कर भारत और मोसाद के लिए जासूसी करने पर मजबूर किया जा सके.

मोसाद पाकिस्तान के शीर्ष संस्थानों में भी घुसपैठ की फ़िराक़ में लगी हुई थी. यह निश्चित तौर पर तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन कई ख़ुफ़िया एजेंसियों को काफ़ी क़रीब से जानने–समझने वाले बताते हैं कि जाने या अनजाने में एक पूर्व पाकिस्तानी प्रधानमंत्री भी कभी मोसाद और रॉ के हाथों की कठपुतली रहे. जानकारों के मुताबिक़, मौजूदा आंतरिक सुरक्षा मंत्री को तब संघीय जांच एजेंसी (एफआईए) का मुखिया बनाया गया और जिन्होंने मुसलमानों के ख़िलाफ़ सेकरेट वॉर यानी गुप्त अभियान छेड़ा. यहां तक कि पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई को भी नहीं बख्शा गया. उस पर भी हमले किए गए.

मोसाद के इस कारनामे की भनक पाकिस्तानी सेना को लग चुकी थी. इसीलिए 1996 में तत्कालीन राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री को बर्ख़ास्त करने के तुरंत बाद एफआईए प्रमुख को बग़ैर किसी ठोस आधार पर भ्रष्टाचार के आरोप में बर्ख़ास्त कर दिया. फिर एफआईए के एडीजी को हिरासत में ले लिया गया. हालांकि इस बात के पुख्ता प्रमाण नहीं हैं कि पाकिस्तानी सेना और आईएसआई के तमाम क़दम पाकिस्तान के अंदरूनी हालात की वजह से उठाए गए या पर्दे के पीछे की असली कहानी कुछ और थी?

ख़ुफ़िया एजेंसियों पर पैनी नज़र रखने वाले सूत्रों की मानें तो यदि उक्त सारे ताबड़तोड़ फ़ैसले मोसाद की साज़िश का पता लगने के बाद लिए गए तो भी पाकिस्तानी हुक्मरान यह कभी नहीं कबूलेंगे. ऐसा करना उनके बूते की बात भी नहीं है. भला कोई मुल्क अपनी नाकामयाबी को कैसे कबूल कर सकता है? वह भी यह बात कि प्रधानमंत्री मोसाद और रॉ के हाथों की कठपुतली बन गए थे और इसीलिए मजबूरन उन्हें सत्ता से बेदख़ल करना पड़ा. ऐसा करने से पाकिस्तान की हालत बद से बदतर हो जाने की आशंका थी. मोसाद ने किस तरह भारतीय एजेंसी रॉ की मदद से पाकिस्तान में इस्लाम विरोधी मिशन चलाए, इसका सबसे बड़ा ख़ुलासा किया एक पाकिस्तानी मंत्री ने, जो लंदन में पाकिस्तान के राजदूत रह चुके हैं. उन्होंने अपने एक लेख में इज़रायल और भारत के बीच ख़तरनाक गठजोड़ का ख़ुलासा किया, जिसे एक अप्रैल, 2001 को पाकिस्तानी अख़बार में प्रकाशित भी किया गया. इस लेख में दोनों देशों के बीच बढ़ रही नज़दीकियों का ज़िक्र किया गया है. उन्होंने यह भी लिखा कि भारत ने किस तरह इज़रायली ख़ुफ़िया एजेंसियों को इन इलाक़ों में अपनी पैठ जमाने में मदद की, ताकि इस्लामिक संगठनों के ख़िलाफ़ मौत की मुहिम छेड़ी जा सके.

मोसाद के उक्त सारे कारनामे और भारत के साथ उसका गठजोड़ यह साबित करने के लिए काफ़ी हैं कि उसने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी मुहिम छेड़ी. यह मोसाद के ही बूते की बात है कि वह तेल अवीव स्थित अपने मुख्यालय से पाकिस्तान को भी मोहरा बना सकता है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

ज़रा हट के

वैक्सीन सिगरेट की लत छुड़ाएगी

क्या आप ज़्यादा सिगरेट पीते हैं, क्या आप इस लत से छुटकारा पाना चाहते हैं, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी आप ऐसा नहीं कर पाते. लिहाजा निराश होकर आपकी ज़िंदगी फिर पुराने ढर्रे पर आ जाती है? मगर, अब आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक ऐसी वैक्सीन विकसित की गई है, जो आपको सिगरेट से छुटकारा दिला सकती है. यह ख़बर पढ़कर वे लोग ज़रूर खुश होंगे, जो सिगरेट से छुटकारा पाना चाहते हैं. उनके लिए इस लत को छोड़ना अब बिल्कुल आसान हो जाएगा, क्योंकि एक एंटी स्मोकिंग वैक्सीन तैयार की गई है, जो उन्हें सिगरेट से निजात दिलाएगी.

ग़ौरतलब है कि ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन पीएलसी और नैबी फार्मास्युटिकल्स दोनों संयुक्त रूप से इसे विकसित करने में लगे हैं. नैबी ने एक वैक्सीन विकसित की है, जिसे नीक वैक्स कहा जाता है. यह वैक्सीन इम्यून सिस्टम को मज़बूत और उसे निकोटिन से लड़ने के लिए तैयार करती है. एंटी बॉडीज निकोटिन को आगे बढ़ने से रोक देता है. वह निकोटिन को दिमाग़ में नहीं पहुंचने देता है. कंपनी ने कहा कि वैक्सीन निकोटिन के आनंददायक असर को रोक देती है. हालांकि इससे छुटकारा दिलाने के लिए बाज़ार में और भी कई प्रोडेक्ट मौजूद हैं, लेकिन जहां तक सफलता की बात है तो उसका अनुपात बहुत कम है.

कचरे से खोजी शादी की अंगूठी

कचरे का नाम सुनते ही हम और आप नाक–भौं सिकोड़ने लगते हैं, लेकिन ज़रा सोचिए कि अगर आपकी कोई बेशक़ीमती चीज़ खो जाए तो आप क्या करेंगे? ज़ाहिर सी बात है कि आप उसे हर जगह ढूंढेंगे. बाद में यदि पता चले कि आपने उसे कचरे के ढेर में फेंक दिया है तब? तब भी आप वही करेंगे यानी उसे खोजेंगे. दस टन कचरे से शादी की अंगूठी ढूंढना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन इस कारनामे को कर दिखाया है कूड़ा बीनने वालों ने. कभी–कभी तो हम घर में रखा सामान नहीं खोज पाते हैं और उस वक़्त हमें ख़ुद पर गुस्सा भी आता है. दस टन कचरे से शादी की अंगूठी ढूंढना तो वाकई क़ाबिलेतारीफ़ है. वाकया कुछ इस तरह है कि न्यूजर्सी के पार्सिपनी इलाक़े में रहने वाली ब्रिजेट पेरीकोलो ने एक चाय के प्याले में अपनी शादी की अंगूठी रख दी और किसी काम में उलझने के कारण वह उसे भूल गईं. इसी दरम्यान उनके पति आए और उन्होंने ग़लती से उस प्याले को कचरे में फेंक दिया. जब प्याले में अंगूठी होने की जानकारी हुई तो उन्होंने स्थानीय सफ़ाई कर्मियों से संपर्क साधा और शादी की अंगूठी ढूंढने का आग्रह किया.

डेली रिकॉर्ड समाचार पत्र के मुताबिक़, उनके आग्रह को देखते हुए सफ़ाई कर्मियों ने उन्हें उस जगह बुलाया, जहां पूरे शहर का कचरा फेंका जाता था. काफी मशक़्क़त के बाद सफ़ाई कर्मियों को अंगूठी ढूंढने में सफलता मिल गई. अंगूठी मिलते ही ब्रिजेट पेरीकोलो एवं उनके पति के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई.

मोटापे से कैंसर का ख़तरा

अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा मोटे हैं तो निश्चित तौर पर आपके लिए यह अच्छी ख़बर नहीं है. हाल ही में अमेरिकी वैज्ञानिकों द्वारा किए गए एक अध्ययन में इस बात का ख़ुलासा हुआ कि मोटापे से 1,00,000 से अधिक प्रकार के कैंसर हो सकते हैं. शरीर में अत्यधिक वसा की मात्रा से कई तरह के हार्मोन्स जैसे एस्ट्रोजन की संख्या में वृद्धि होती है, जो शरीर की इंसुलिन प्रक्रिया को प्रभावित करता है और जिसके चलते कैंसर होने की आशंका बढ़ जाती है. इतना ही नहीं, इससे पूरे शरीर में जलन भी होती है, जो कैंसर को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाती है. अमेरिकन इंस्टीट्यूट फॉर कैंसर रिसर्च के शोधकर्ताओं ने सलाह दी है कि लोगों को अपने शरीर का वजन मेंटेन रखना चाहिए, ताकि वे जीवन भर शारीरिक रूप से स्वस्थ रहें. हालांकि शोधकर्ताओं का मानना है कि कैंसर की जांच के बाद वजन बढ़ना उसके परिणाम को प्रभावित कर सकता है.

उन्होंने कहा कि ज़्यादातर अध्ययनों से यह ख़ुलासा हुआ कि शारीरिक कसरत से कैंसर की आशंका को कम किया जा सकता है. यह बात उन पर भी लागू होती है, जो मोटे हैं. एआईसीआर में न्यूट्रिशन कम्युनिकेशन मैनेजर ऐलेस बेंडर का कहना है कि आम लोगों में कैंसर और मोटापे से संबंधित कारकों की जागरूकता बहुत कम है. अगर एआईसीआर के अनुमानों पर ग़ौर करें तो शरीर में वसा की मात्रा बढ़ने से एंडोमीट्रियल कैंसर के 49 प्रतिशत, ऐसोफेगरल कैंसर के 35 प्रतिशत, अग्नाशय कैंसर के 28 प्रतिशत, गुर्दे के कैंसर के 24 प्रतिशत, पित्ताशय थैली के कैंसर के 21 प्रतिशत और वक्ष कैंसर के 27 प्रतिशत होने की आशंका रहती है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

साठ के दशक में पाकिस्तान के औद्योगिक ढांचे की नींव रखी गई, जिसके चलते कई बड़ी-बड़ी उत्पादन इकाइयों को लगाया गया, लेकिन उनमें से कई इकाइयां घरेलू बाज़ार को सुरक्षित रखने के अपने मकसद में ज्यादा कारगर नहीं हो सकीं.

पाकिस्तान में आर्थिक सुधार के लिए राजनीतिक सुधार ज़रूरी

अक़्दस वहीद

पाकिस्तान की अर्थ व्यवस्था के शुरुआती दिनों को एक कमज़ोर औद्योगिक ढांचे के साथ कृषि क्षेत्र के वर्चस्व और एक आधारभूत संरचना की नामौजूदगी के तौर पर वर्गीकृत किया जा सकता है. इन सबके परे पाकिस्तान अस्थिर अर्थ-राजनीति का भी शिकार रहा. लिहाजा, शुरुआती दिनों में बनाई गई नीतियों में एक मज़बूत औद्योगिक ढांचा बनाने की कोशिशों पर ज़ोर दिया गया. इस कोशिश में पाकिस्तान ने व्यापार में घरेलू बाज़ार को सुरक्षित रखने के लिए कई प्रतिबंध लगाए. साठ के दशक में पाकिस्तान के औद्योगिक ढांचे की नींव रखी गई, जिसके चलते कई बड़ी-बड़ी उत्पादन इकाइयों को लगाया गया, लेकिन उनमें से कई इकाइयां घरेलू बाज़ार को सुरक्षित रखने के अपने मकसद में ज़्यादा कारगर नहीं हो सकीं. इस विफलता के चलते देश में आयात बढ़ाने के लिए कई क़दम उठाए गए. इनमें एक्सचेंज रेट को पुनर्गठित करना, आयात पर बोनस और उन उद्योगों को क्रेडिट देना शामिल था, जिनमें आयात बढ़ाने की क्षमता थी. पाकिस्तान सरकार के इस क़दम से देश में औद्योगिक उत्पादन के साथ-साथ 1960 के दशक में आयात के आंकड़ों में काफ़ी इज़ाफा हुआ. इसके बावजूद 1970 के दशक में औद्योगिक विकास को लगाम लग गई, जिसकी अहम वज़ह औद्योगिक क्षेत्रों का राष्ट्रीयकरण करना था. हालांकि सरकार ने कई विभिन्न इकाइयों का राष्ट्रीयकरण किया. इसके अलावा सरकार ने आयात बढ़ाने के लिए उदारीकरण की दिशा में तीन अहम क़दम उठाए, जिनमें 1972 में पाकिस्तानी रुपये की कीमत 57 प्रतिशत कम करना, आयात के लिए दिए जा रहे बोनस की समाप्ति और देश में लाइसेंस राज पर लगाम आदि शामिल हैं. इन फ़ैसलों से पाकिस्तान के आयात में वृद्धि हुई और यह वृद्धि ख़ासतौर पर पाकिस्तान में ही निर्मित उत्पादों में हुई.

1980 के दशक के अंत से ही पाकिस्तान में उदारीकरण की नीति तेज़ी से लागू की जाने लगी. निर्यात पर लगे टैक्स को कम किया गया और व्यापार पर लगे प्रतिबंधों को बिना देर किए वापस ले लिया गया.

1980 के दशक के अंत से ही पाकिस्तान में उदारीकरण की नीति तेज़ी से लागू की जाने लगी. निर्यात पर लगे कर को कम किया गया और व्यापार पर लगे प्रतिबंधों को वापस ले लिया गया. हालांकि पाकिस्तान की व्यापार नीति में लगातार सुधार होते रहे, लेकिन अहमियत रखने वाले बदलाव 1987 में बनी नई व्यापार नीति के बाद ही हुए. अन्य बदलावों को शामिल करने के बाद हमारी व्यापार नीति ने कर (टैरिफ़) की दर को 17 के बजाय 10 कर दिया और उत्पाद पर आधारित कर की जगह एक समान कर प्रणाली को लागू कर दिया. वास्तव में इस दशक के दौरान पाकिस्तान सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र में निजीकरण को प्रोत्साहित किया, घरेलू बाज़ार की क्षमता बढ़ाने और उसे प्रतिस्पर्धी बनाने की कोशिशों के साथ आयात को बढ़ावा दिया. अपने इस प्रयास में सरकार ने जो क़दम उठाए, उसके कई फ़ायदे सामने आए. कर अवकाश, टैरिफ कट और मुनाफ़ा बढ़ाने के लिए कई रियायतें दी गईं. नतीज़तन, पांच वर्षों की लचीली अर्थ व्यवस्था से पाकिस्तान के व्यापार में बढ़ोतरी होने लगी. भले ही अन्य एशियाई देशों की अपेक्षा पाकिस्तान की स्थिति इतनी लुभावनी नहीं थी. 1990 के बाद सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में व्यापार वृद्धि जहां पाकिस्तान में महज़ 0.4 प्रतिशत रही, वहीं भारत में यह वृद्धि 0.8 प्रतिशत थी. कोरिया समेत दुनिया भर में इस वृद्धि की दर एक प्रतिशत थी.

जहां व्यापार उदारीकरण को विकास के लिए एक ज़रूरी साधन माना जाता है, वहीं इस उदारीकरण ने पाकिस्तान में ग़रीबी से लड़ने में मदद नहीं की. न ही उदारीकरण का फ़ायदा पाकिस्तान के विभिन्न तबकों को समान रूप से मिला. बढ़ते आयात, सस्ते कच्चे माल और मशीनों ने उत्पादन में भले ही भारी इज़ाफ़ा किया तथा रोज़गार के साधनों को बढ़ाया, लेकिन यह वृद्धि केवल घरेलू माल की अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में मांग बढ़ने से हुई. लिहाजा, उदारीकरण ने केवल पाकिस्तान में आय के बढ़ते अंतर को मज़बूत किया. पाकिस्तान में अमीर और भी अमीर होते चले गए, जबकि ग़रीब तबके की हालत ज़्यादा ख़राब हो गई. इसकी सबसे बड़ी वज़ह पाकिस्तान की अर्थ व्यवस्था में दखलंदाज़ी करने वाले रहे. कहा जाता है कि उदारवादी नीति से पाकिस्तान में विकास को सही दिशा नहीं मिली. इसमें महज़ हमारी नीतियों को आरोपी नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि नीतियों के विफल होने में काफ़ी हद तक पाकिस्तान का सरकारी तंत्र ज़िम्मेदार रहा. पाकिस्तान एक मज़दूर बाहुल्य देश है, लिहाजा यहां ऐसे उद्योगों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, जिनमें मज़दूरों को दरकिनार न किया जा सके, जैसे कपड़ा उद्योग. ग़रीबी दूर करने के लिए उत्पादन बढ़ाने के तरीक़ों का ईज़ाद होना चाहिए, जिसमें ग़रीब जनता को अच्छी आमदनी हो और वह उत्पादन को बढ़ाने में ज़्यादा कारगर बन सके. विकास के लिए सबसे अहम मसला पाकिस्तान में राजनीतिक स्थिरता का है. एक स्थिर राजनीति में विकास के लिए बन रही नीतियों को ज़्यादा प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकता है. पिछले पचास सालों में पाकिस्तान ने कई बार राजनीतिक उठापटक का सामना किया है और हर बार राजनीतिक बदलाव के चलते देश की आर्थिक नीति भी बदली गई, जिसका असर आज के पाकिस्तान में साफ़ देखने को मिल रहा है. लिहाजा देश की आर्थिक स्थिति को सही करने के लिए पाकिस्तान को पहले अपने राजनीतिक हालात सुधारने की ज़रूरत है. अर्थतंत्र में मध्यस्थता करने वाली सभी ताक़तों को संगठित और सुचारू रूप से चलाने की जरूरत है, जिससे देश को विकास और उन्नति के रास्ते पर पहुंचाया जा सके. व्यापार पर लगी अन्य बंदिशों को भी ख़त्म करने की ज़रूरत है, जिससे देश में विदेशी निवेश को बढ़ाया जा सके. निजीकरण का पूरा फ़ायदा उठाने के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान में इस तरह के हालात जल्द से जल्द बनें, जिससे विदेशी कंपनियां पाकिस्तान में आर्थिक निवेश कर सकें और पाकिस्तान के उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में जगह दिला सकें . हमें आर्थिक घाटा उठा कर विकास की नीतियां लागू नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने पर हमारी आर्थिक स्थिरता डगमगा सकती है और उसका असर अगले कई दशकों तक पाकिस्तान को झेलना पड़ सकता है. लिहाज़ा एक परिपक्व कर नीति की ज़रूरत है और इस आय से ही देश के मूलभूत ढांचे को मज़बूत किया जा सकता है. इसके साथ ही जरूरत है कि पाकिस्तान में सामाजिक सुरक्षा को महत्व दिया जाए और एक पढ़ा-लिखा पाकिस्तान बनाने की कोशिशों को तेज़ किया जाए.

(लेखिका पाकिस्तान से हैं और वहां चल रही लोकतांत्रिक प्रक्रिया की विश्लेषक हैं.)

feedback@chauthiduniya.com

कहां है तालिबान का सरगना मुल्ला उमर?

अमेरिका पिछले आठ वर्षों से मुल्ला उमर को पकड़ने में नाकाम रहा है. अब वह अपनी नाकामी का ठीकरा उस रिपोर्ट पर फोड़ रहा है, जिसमें यह कहा गया है कि मुल्ला उमर पाकिस्तान में है, जिसकी वजह से वह अमेरिकी पहुंच से बाहर है. शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक़, पहले वह चमन के सीमावर्ती इलाक़ों में रह रहा था. उसके बाद हाल में ही उसने अपना ठिकाना क्वेटा बदल लिया और अब अमेरिकी मीडिया के हवाले से ख़बर आ रही है कि फ़िलहाल मुल्ला उमर कराची में है.

मुल्ला उमर के चरित्र और इतिहास को ध्यान में रखते हुए इसकी संभावना कम ही है कि उसने पाकिस्तान में शरण ली होगी. ख़ुफ़िया एजेंसियां हमेशा अपना काम सुस्त चाल से करती हैं और ऐसा लगता है कि अमेरिकी अपनी असफलताओं के लिए पाकिस्तान को बलि का बकरा बना रहे हैं.

मुल्ला

उमर ने जब कंधार पर क़ब्ज़ा किया, तबसे पांच बार मेरी उससे मुलाक़ात हुई और मेरा आकलन था कि मूल रूप से वह एक सशक्त और सक्षम लड़ाकू है. साथ ही छोटे स्तर के ऑपरेशन के लिए उसमें एक जुनून था. कई दफ़ा जब वह उत्तरी अफ़ग़ानिस्तान में वायरलेस के ज़रिए कंपनी लेवल के ऑपरेशन को अंजाम दे रहा होता तो उसके साथ मीटिंग के लिए हमें इंतज़ार करना पड़ता था. वह भयंकर युद्ध के लिए कुख्यात था और आरपीजी-7 से भी अधिक यानी 400 किलोमीटर की दूरी तक टैंक को मार गिराने की क्षमता रखता था.

वह शारीरिक तौर पर दुबला-पतला था, लेकिन अपने जुझारूपन और संयमित जीवनशैली की वजह से काफ़ी प्रभावशाली था. हालांकि सरकार की जटिलताओं या बाहरी लोगों से बातचीत के मामले में उसके पास धैर्य बेहद ही कम था. उसका व्यक्तित्व भी देश को चलाने में बाधा था, जबकि युद्ध के मैदान में वह एक सफल योद्धा था. उसके चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वह भावनाओं को सम्मान देता था और उसमें रूसी आक्रमणकारियों से अपने देश को आज़ाद कराने का दृढ़ निश्चय भी था. उक्त सभी मक़सदों को हासिल करने के लिए वह दक्षिण अफ़ग़ानिस्तान में रूसियों के ख़िलाफ़ अभियान में लगातार शामिल रहा और सिर्फ़ दो बार ही उसने पाकिस्तान का दौरा किया. पहली बार रूसी आक्रमण के बाद क्वेटा में तीन महीने के प्रशिक्षण के लिए गया और दूसरी बार जब उसकी आंखें बुरी तरह ज़ख्मी हो गईं तो क्वेटा के आईसीआरसी अस्पताल में इलाज के लिए वहां तीन महीने रहा. उसकी बाक़ी पूरी ज़िंदगी अफ़ग़ानिस्तान के युद्ध मैदान में बीती. मुल्ला उमर अफ़ग़ानिस्तानी नेताओं को नफ़रत भरी नज़रों से देखता था, क्योंकि वे नेता पाकिस्तान में आरामतलब ज़िंदगी गुज़ार रहे थे और उनके काडर उनके लिए लड़ाई लड़ रहे थे. इन सभी वजहों ने भी मुल्ला उमर को निरपेक्ष सिद्धांतवादी बना दिया. वह अपनी मर्ज़ी का इस्लाम पूरे अफ़ग़ानिस्तान में लागू करना चाहता था, हालांकि यह उतना व्यवहारिक नहीं था, क्योंकि उसने महज़ सात साल ही मदरसे में गुज़ारे थे. इसी तरह वह शरण के अधिकार का भी कट्टर हिमायती था, जिसने पूरे अंतरराष्ट्रीय समुदाय से उसके संबंधों को प्रभावित किया. रूसी आक्रमण भी एक ऐसा मसला था, जिस पर कोई बातचीत नहीं की जा सकती थी.

मुल्ला उमर के चरित्र और इतिहास को ध्यान में रखते हुए इसकी संभावना कम ही है कि उसने पाकिस्तान में शरण ली होगी. ख़ुफ़िया एजेंसियां हमेशा अपना काम सुस्त चाल से करती हैं और ऐसा लगता है कि अमेरिकी अपनी असफलताओं के लिए पाकिस्तान को बलि का बकरा बना रहे हैं.

युद्ध के प्रति उसकी इसी प्रतिबद्धता ने उसे अपने लोगों के बीच सम्मान दिलाया. यही वजह है कि अमेरिका द्वारा उसके सिर पर एक बड़ी इनामी राशि की घोषणा के बावजूद वह पकड़ा नहीं गया. दरअसल शुरुआती चार महीने तक अमेरिका मुल्ला उमर की जगह किसी और शख़्स की तस्वीर दिखाता रहा और उसकी तस्वीर तभी बदली गई, जब उस शख़्स ने इस बात की शिकायत की. जबकि कंधार पर क़ब्ज़े के बाद बीबीसी ने मुल्ला उमर को एक वीडियो में पैगंबर का वस्त्र धारण किए हुए दिखाया था, बावजूद इसके एजेंसियों का यह कारनामा आश्चर्यजनक था. इस नाटकीय घटना का निराशाजनक प्रभाव उमर के व्यक्तित्व पर पड़ा, जिसने अफ़ग़ानिस्तान के हेलमंड प्रोविंस से लेकर तमाम अफ़ग़ानी शासकों के लिए मुल्ला उमर को एक छद्म मुल्ला बना दिया. अपने बेहतर वक़्त में अफ़ग़ानी भाग्यवादी होते हैं. वे अपनी पूरी ज़िंदगी हॉबेशियन दुनिया (अल्पकालिक, घृणास्पद और पाशविक) में जीते हैं और मुल्ला उमर ने यह मान लिया कि वह अल्ला के रहमोकरम से सफलता हासिल कर रहा है. यह एक ऐसा नज़रिया है, जिसकी वजह से पैसे के लालच के बावजूद मुल्ला उमर पकड़ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अधिकांश मुजाहिद्दीन भी यही मानते हैं कि मुल्ला उमर अल्ला के काम को अंजाम दे रहा है. इतना ही नहीं, मुल्ला उमर ने रूसियों के ख़िलाफ़ जिहाद लड़कर ही सबसे पहले इन इलाक़ों में सम्मान हासिल किया और रूसियों के जाने के बाद उसने सरदारों के जुल्म से इस इलाक़े को आज़ाद कराया.

अमेरिका के इस आरोप के सही होने की संभावना दूर-दूर तक नहीं है कि मुल्ला उमर कराची में है. इलाज की ज़रूरत होने पर ही इस ख़बर के सही होने की संभावना है. उसके व्यक्तित्व के मुताबिक़ जिस इलाक़े में भयंकर लड़ाई हो रही होगी, वहीं उसके होने की संभावना भी अधिक होगी यानी दक्षिणी अफ़ग़ानिस्तान में जहां वह अपनी शैली में मोर्चा संभालता है.

वहीं दूसरी ओर यदि मुल्ला उमर के कराची में होने की रिपोर्ट सही है तो इसे ख़तरे की अपेक्षा एक अवसर समझा जाना चाहिए. इसका मतलब यह होगा कि वह अपने व्यक्तित्व के विपरीत काम कर रहा है और आठ वर्षों तक जंगलों में रहने के कारण उसकी विचारधारा इस क़दर प्रभावित हुई है कि वह अपनी निरपेक्ष विचारधारा से दूर जा रहा है. जबकि पहले वह अपनी विचारधारा से किसी भी क़ीमत पर कोई समझौता नहीं करता था. अमेरिका-तालिबान के बीच मीटिंग की रिपोर्ट और मुल्ला उमर का बयान तालिबान को अलक़ायदा से दूर कर रहा है और ये सभी बातें अफ़ग़ान समस्या को सुलझाने की दिशा में अमेरिका के लिए एक शुभ संकेत लेकर आई हैं.

ए अयूब
feedback@chauthiduniya.com

(लेखक पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार हैं)

एक रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में गर्भपात के कुल मामलों में से 14 प्रतिशत किशोरियों से संबंधित होते हैं. संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष गर्भधारण की उम्र अट्ठारह वर्ष से बढ़ाकर तेईस वर्ष कर देने का पक्षधर है.

मां बनने के ख़तरे

लड़कियां ठीक प्रकार से अपना भला-बुरा नहीं सोच पाती हैं. भावनाओं में बहकर कब वह अपना बुरा कर बैठती हैं, इसका उन्हें पता भी नहीं चल पाता है. कम उम्र में गर्भधारण से शरीर में दूसरे खनिज पदार्थों के साथ आयरन व कैल्सियम की कमी के भयावह परिणाम हो सकते हैं. इस उम्र में मोटापा भी कई परेशानियों का कारण बन जाता है.

रीतिका सोनाली

मातृत्व किसी भी स्त्री के लिए जीवन का सबसे बड़ा उपहार है. प्रकृति ने जीवन देने का अधिकार केवल मां को दिया है, लेकिन इस उपहार के बदले यदि स्त्री को जीवन भर परेशानी उठानी पड़े तो यह अभिशाप में बदल जाता है. हमारे देश में बच्चे को जन्म देते वक़्त कई महिलाएं आकस्मिक मौत की शिकार हो जाती हैं, कई गंभीर बीमारियों की चपेट में आ जाती हैं तो कई माताएं अपने नवजात को खो देती हैं. एक मां अपने जीवनकाल में कितनी बार गर्भधारण करती है और बच्चे पैदा करती है, इसका उसकी और बच्चे की ज़िंदगी पर गहरा असर पड़ता है. हमारे देश में प्रति एक सौ महिलाओं में एक महिला बच्चे के जन्म के दौरान मौत के मुंह में चली जाती है. बाकी 99 प्रतिशत महिलाओं में ज़्यादातर किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त हो जाती हैं अथवा किसी प्रकार के शारीरिक विकार की चपेट में आ जाती हैं. जबकि विकसित देशों में प्रजनन के वक़्त प्रति 2800 गर्भवती स्त्रियों में से केवल एक की मौत होती है.

वर्ष 2006 में जारी सरकारी आंकड़ों के मुताबिक़, 15 से 45 वर्ष की उम्र में मां बनने के दौरान उत्तर प्रदेश में 517, असम में 490, राजस्थान में 445, मध्य प्रदेश में 379, बिहार में 371, उड़ीसा में 358, कर्नाटक में 228, आंध्र प्रदेश में 195, पश्चिम बंगाल में 194, पंजाब में 178, गुजरात में 172, हरियाणा में 162, महाराष्ट्र में 149, तमिलनाडु में 134 और केरल में सबसे कम 110 महिलाओं की मृत्यु हुई. बच्चे के स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है कि गर्भवती मां का स्वास्थ्य बढ़िया हो, गर्भधारण के दौरान और प्रसव के बाद दोनों ही स्थितियों में. महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़ी विभिन्न सरकारी योजनाएं कोई कमाल नहीं दिखा सकी हैं. देश में अभी भी 25 प्रतिशत महिलाएं 19 वर्ष से भी कम उम्र में मां बन जाती हैं. जबकि अट्ठारह वर्ष से कम उम्र में मां बनने के कई घातक परिणाम होते हैं. देखा गया है कि 20–24 वर्ष की आयु में गर्भधारण से होने वाली मौतों की तुलना में किशोरावस्था में गर्भधारण से मौत के मामले कहीं ज्यादा देखने को मिलते हैं. किशोरावस्था में मां बनने वाली महिलाएं गर्भ निरोध के प्रति उदासीन रहने के कारण ज़्यादा बच्चे पैदा करती हैं.

इंटरनेशनल प्लांड पैरेंटहुड द्वारा हाल में जारी आंकड़ों के मुताबिक़, भारत में गर्भपात के कुल मामलों में से 14 प्रतिशत किशोरियों से संबंधित होते हैं. संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष गर्भधारण की उम्र अट्ठारह वर्ष से बढ़ाकर तेईस वर्ष कर देने का पक्षधर है. ऐसा होने से जनसंख्या वृद्धि की दर चालीस प्रतिशत कम हो जाएगी. इस सलाह पर ग़ौर करने की फ़िक्र अब तक नज़र नहीं आई है. एचआईवी यानी एड्स पर काम कर रहे ज्वाइंट युनाइटेड नेशंस प्रोग्राम के मुताबिक़, एचआईवी से ग्रसित लोगों में से आधे पच्चीस वर्ष से कम उम्र के हैं. इन आंकड़ों को देखकर आसानी से समझा जा सकता है कि जननी सुरक्षा योजना के तहत दी जा रही जानकारी आम लड़कियों और समाज में जागरूकता फैलाने के लिए काफ़ी नहीं है. भारत की जनसंख्या में 189 मिलियन लोग 15 से 24 वर्ष आयु वर्ग के हैं. हमारे देश में किशोरावस्था में गर्भधारण के मामले दिनोंदिन बढ़ते जा रहे हैं. किशोरावस्था और विवाह पूर्व गर्भधारण की स्थिति में कई बार आधी-अधूरी जानकारी के कारण गर्भपात में कई प्रकार की समस्याएं पैदा हो जाती हैं, जो गर्भवती महिला के स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हानिकारक है. इस आयु वर्ग में सामान्य शिक्षा के साथ-साथ प्रजनन स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा देने की भी ज़रूरत है, ख़ासकर लड़कियों को. अगर कम उम्र के युवक और युवतियों को यौन व प्रजनन स्वास्थ्य कार्यक्रमों के जरिए विस्तृत जानकारी दी जाए तो उन्हें सही फ़ैसला करने में कठिनाई नहीं होगी.

यौन संक्रमित रोगों और अनचाहे गर्भ की रोकथाम के लिए युवाओं के बीच बेहतर आपसी समझ ज़रूरी है. किशोरों को न केवल सेक्स, बल्कि उसके विभिन्न पहलुओं, परिणामों-दुष्परिणामों और स्वास्थ्य पर होने वाले असर के बारे में भी बताया जाना चाहिए. सेक्स के परिणामों के प्रति उन्हें ज़िम्मेदारी का एहसास कराना ज़रूरी है, क्योंकि इस संदर्भ में किशोर-किशोरियों का रवैया आमतौर पर हल्का और लापरवाही भरा होता है. ग़ौरतलब है कि गर्भधारण के वक़्त महिला का स्वास्थ्य तभी अच्छा रह सकता है, जबकि बचपन से ही उसके संपूर्ण स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाए. प्रसव पूर्व सावधानियों में सही समय पर गर्भ की जांच, टिटनेस वैक्सीन, आयरन व फॉलिक एसिड टेबलेट्स, सही पोषण और सुरक्षित प्रसव के लिए डॉक्टरी सलाह आदि शामिल हैं, जो मातृत्व की प्रक्रिया को सुरक्षित एवं सुखद बनाते हैं. सरकार द्वारा अक्सर विभिन्न योजनाओं के माध्यम से प्रत्येक स्त्री तक समुचित चिकित्सा सुविधाएं पहुंचाने की बात की जाती है, लेकिन उस पर अमल नहीं हो पाता है. मूलभूत सुविधाएं न मिल पाने की वजह से महिलाओं को कई प्रकार की समस्याओं से जूझना पड़ता है.

दिल्ली स्थित इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल की महिला रोग विशेषज्ञ डॉ. गीता चड्ढा के मुताबिक़, सही उम्र में शादी के बाद भी मां बनने के लिए कई प्रकार की सावधानियां बरतने की ज़रूरत होती है. महिला का मासिक चक्र सामान्य होना चाहिए, उसका बॉडी मास इंडेक्स बिल्कुल ठीक होना चाहिए और सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि महिला को मानसिक रूप से इसके लिए तैयार होना चाहिए. यदि स्त्री डायबिटीज या थायरॉइड की मरीज़ है तो गर्भावस्था में ली जाने वाली दवाओं को चालू रखने के लिए डॉक्टरी परामर्श बेहद ज़रूरी है. गर्भधारण के वक़्त यदि ठीक से ध्यान न दिया जाए तो शरीर में कई प्रकार की असामान्यताएं पैदा हो जाती हैं और किसी भी प्रकार का रासायनिक असंतुलन आगे घातक सिद्ध हो सकता है. जैसे गर्भधारण में यदि फॉलिक एसिड की कमी हो जाए तो इससे माइक्रोस्कोपिक एनीमिया और गर्भ में एनटीटी हो सकती है. शरीर में कैल्सियम, विटामिन और अन्य खनिज पदार्थों की असामान्यताएं कई प्रकार के मानसिक एवं शारीरिक विकारों को जन्म देती है. कम उम्र में मां बनने के बहुत नुक़सानदायक परिणाम होते हैं. इस उम्र में शरीर का सही विकास नहीं हो पाता है.

छोटी उम्र में शरीर में खनिज, विटामिन और अन्य रसायनों का संतुलन ठीक न होने के कारण मां बनना बेहद ख़तरनाक है. कई बार इस उम्र में मां बनने से हार्मोन संबंधी असंतुलन हो जाने की वजह से स्त्री साइकोलॉजिकल ट्रॉमा में भी चली जाती है. रॉकलैंड अस्पताल की प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉ. आशा शर्मा के अनुसार, अगर महिलाएं स्वास्थ्य के प्रति जागरूक न हों तो अट्ठारह वर्ष या उससे ज़्यादा उम्र में मां बनने के बावजूद कई प्रकार की असामान्यताएं जैसे प्रोलैप्सड यूटरस, ओवेरियन कैंसर और ओवेरियन सीस्ट आदि की परेशानी हो जाती है, जो जीवन भर पीछा नहीं छोड़ती. स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता की कमी और प्रजनन के बाद होने वाली परेशानियों की जानकारी के अभाव में कई बार देखा गया है कि महिलाएं प्रसव के बाद डॉक्टर द्वारा दिए गए परामर्श के अनुसार एक्सरसाइज नहीं करती हैं, वक़्त पर दवाएं लेने में कोताही बरतती हैं, अपने खानपान, रहन-सहन, पहनावे और सोने-उठने-बैठने के बारे में किसी प्रकार की सावधानी या नसीहत पर ध्यान नहीं देती हैं. अट्ठारह वर्ष से कम उम्र में मां बनने वाली लड़कियों को विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है. कई बार उनके लिए यह जीवन भर का कष्ट बन जाता है. ऐसी स्थिति में मां के साथ बच्चा भी कष्ट झेलता है. कम उम्र की लड़कियां अमूमन छोटी क़द-काठी और कम वजन वाले बच्चों को जन्म देती हैं. ऐसे बच्चे जन्म होते ही मृत्यु के मुंह में समा जाते हैं या फिर कुपोषण का शिकार हो जाते हैं.

दरअसल इस उम्र में लड़कियां ठीक प्रकार से अपना भला-बुरा नहीं सोच पाती हैं. भावनाओं में बहकर कब वह अपना बुरा कर बैठती हैं, इसका उन्हें पता भी नहीं चल पाता है. कम उम्र में गर्भधारण से शरीर में दूसरे खनिज पदार्थों के साथ आयरन व कैल्सियम की कमी के भयावह परिणाम हो सकते हैं. इस उम्र में मोटापा भी कई परेशानियों का कारण बन जाता है. सांस फूलना, पैरों में सूजन, थायरॉइड और कम या ज़्यादा रक्तचाप आदि की स्थिति में पैदा होने वाले बच्चों में असामान्यता हो सकती है. प्री-मैच्योर डिलीवरी भी इसका एक नतीजा है. जन्म के वक़्त 2.5 किलोग्राम से कम वजन का बच्चा अंडरवेट यानी कम वजन वाला माना जाता है. हमारे देश में स्थिति यह है कि जन्म लेने वाले 70 प्रतिशत बच्चों का वजन ही नहीं किया जाता है. वर्ष 2006 में नवजात शिशुओं की मृत्यु दर प्रति 1000 बच्चों में 57 रही. राज्यों के अनुसार देखें तो मध्य प्रदेश के ग्रामीण इलाक़ों में सबसे ज़्यादा बाल मृत्यु दर प्रति हज़ार 79 है और केरल के ग्रामीण इलाक़ों में सबसे कम 16 है. बिहार, आंध्र प्रदेश और गुजरात में 62, उड़ीसा में 76, उत्तर प्रदेश में 75, राजस्थान में 74 और असम में 70 है. शहरी इलाक़ों में सबसे अधिक उड़ीसा और उत्तर प्रदेश में 53 है, जबकि सबसे कम केरल में 12 है. पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर की स्थिति भी दु:खद है. यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा 25 प्रतिशत है, जबकि बिहार, उड़ीसा व छत्तीसगढ़ में 20 और केरल में सबसे कम तीन प्रतिशत है. प्रति वर्ष 24 मिलियन बच्चे पैदा होते हैं. पांच वर्ष से कम उम्र के लगभग 50 प्रतिशत बच्चे अपनी उम्र के हिसाब से कमज़ोर होते हैं. 40 प्रतिशत बच्चे अंडरवेट यानी उम्र के हिसाब से कम वजन वाले होते हैं.

मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड में प्रति पांच में से तीन बच्चे अंडरवेट हैं. उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में 25 प्रतिशत बच्चों की मृत्यु हो जाती है. कम उम्र में विवाह, कम उम्र में बच्चे पैदा करना और दो बच्चों के जन्म में कम अंतर आदि कुछ ऐसे कारण हैं, जो बच्चों के जीवन और मां के स्वास्थ्य पर विपरीत असर डालते हैं. प्रसव पूर्व सावधानियों और देखभाल को नजरअंदाज़ कर जच्चा-बच्चा के स्वस्थ होने की उम्मीद नहीं की जा सकती है. बहरहाल यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि आज़ादी के साठ वर्षों के बाद भी हमारे देश में मां बनना ख़तरनाक है.

ritika@chauthiduniya.com

डॉक्टर की कलम से

हीमोफीलिया से बचें

उपचार का प्रमुख तरीक़ा

डॉ. रेणु सक्सेना
हिमेटोलॉजी विभाग प्रमुख ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, दिल्ली

भयानक रक्तस्राव की समस्या यानी हीमोफीलिया से अकेले भारत में ही लगभग एक लाख लोग ग्रस्त हैं. दरअसल हीमोफीलिया ऐसी बीमारी है, जिसमें रक्त में थक्का बनाने वाले कण ख़त्म या कम हो जाते हैं, जिससे रक्त का बहना बंद नहीं हो पाता है. भारत में प्रयोगशाला जांच की अपर्याप्त सुविधाओं के परिणामस्वरूप केवल 12 प्रतिशत हीमोफीलिया ग्रस्त मामलों की ही पहचान हो पाती है. हालांकि संपूर्ण उपचार अभी भी नहीं है, लेकिन आधुनिक चिकित्सा में हीमोफीलिया को व्यवस्थित और उपचारित करने के लिए काफ़ी प्रभावी तरीक़े हैं.

रिप्लेसमेंट थैरेपी: ख़त्म या कम हो गए क्लॉटिंग फैक्टर्स (फैक्टर-8 या फैक्टर-9) को निरंतर इंजेक्शन द्वारा बदलना है. क्लॉटिंग फैक्टर्स को कई माध्यमों से निकाला जा सकता है. ये निम्नलिखित हैं :-

- संपूर्ण रक्त
- फ्रेश फ्रोज़न प्लाज़्मा
- क्रायोपेसिपिटेट
- फैक्टर कांसेंट्रेट्स (मध्यम/शुद्ध)

इन सभी को हीमोफीलिया के इलाज में इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इनके कुछ प्रतिकूल प्रभाव भी हैं. उदाहरण के लिए संपूर्ण रक्त के इस्तेमाल में रक्त संचरण पर अधिक दबाव पड़ सकता है, जिससे हार्ट फेल हो सकता है, वायरल संक्रमण का भी अत्यधिक जोख़िम रहता है. पुराने रक्त का इस्तेमाल घातक हो सकता है.

ताज़े शीतीकृत प्लाज़्मा (फ्रेश फ्रोज़न प्लाज़्मा) के कारण क्लॉटिंग फैक्टर्स की उम्र लंबी हो जाती है, लेकिन उच्च संक्रमण होने की समस्याएं बनी रहती हैं.

क्रायोप्रेसिपिटेट में क्लॉटिंग फैक्टर्स की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए यह बहुत प्रभावी होता है. लेकिन, इसमें वायरल संक्रमण की समस्या बनी रहती है.

फैक्टर कांसेंट्रेट्स हीमोफीलिया का मुक़ाबला करने और रक्त दबाव से बार-बार निपटने के लिए काम करते हैं.

मानव रक्त से बने कांसेंट्रेट्स की सुरक्षा विषाणुओं को रोकने, निकालने या निष्क्रिय करने की विधियों पर निर्भर करती है.

फैक्टर कांसेंट्रेट्स के उपचार के सामने कुछ चुनौतियां हैं. जैसे-हेपेटाइटिस बी व हेपेटाइटिस सी से संदूषित होने का. हालांकि इन दिनों संक्रमण की घटनाएं कम रही हैं, पर सुरक्षा उपाय अपनाना ज़रूरी है. जैसे-

1.रक्तदाताओं का पूरा चेकअप
2.दान दिए गए रक्त उत्पादों का परीक्षण
3.पैथोजंस की ठीक प्रकार से निष्क्रियता

रोगियों को कांसेंट्रेट्स से उपचार कराने से पहले यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उक्त सुरक्षा उपाय लागू किए गए हैं या नहीं. हीमोफीलिया से पीड़ित अधिकांश रोगी दयनीय जीवन जीते हैं और इनके वयस्क होने पर बचने की उम्मीद बहुत कम हो जाती है. जो लोग वयस्क होने की उम्र तक बचे रहते हैं, उनमें से कुछ विकलांगता या अशक्तता संक्रमणों जैसे हेपेटाइटिस बी/सी व एचआईवी (एड्स) से पीड़ित हो जाते हैं. इसलिए इस बीमारी में किसी भी प्रक्रिया से इलाज कराने पर सतर्क रहना बेहद ज़रूरी है.

राशिफल

7 दिसंबर–13 दिसंबर 2009

मेष (21 मार्च से 20 अप्रैल)
नए अनुबंध होने की संभावना है. पारिवारिक उलझन रहेगी. व्यक्ति विशेष के कारण तनाव रहेगा. शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी. संतान के दायित्व की पूर्ति होगी. स्वास्थ्य की वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है.

वृष (21 अप्रैल से 20 मई)
मांगलिक अथवा पारिवारिक उत्सव में हिस्सा लेंगे. किसी रिश्तेदार से तनाव मिल सकता है. यात्रा की संभावना है. स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें. मैत्री संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी. वाणी में संयम न रखने से समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है.

मिथुन (21 मई से 20 जून)
आपकी राशि पर केतु का प्रभाव है, जिसके चलते मन अतृप्त रहेगा. घर में धार्मिक या मांगलिक कार्य की संभावना है. आर्थिक पक्ष मज़बूत होगा. व्यवसायिक योजना को बल मिलेगा. स्वास्थ्य पर ध्यान देने की ज़रूरत है. यात्रा के योग बन सकते हैं.

कर्क (21 जून से 20 जुलाई)
भावुकता कष्टकारी हो सकती है. पारिवारिक मामलों एवं आजीविका के क्षेत्र में संयम बनाए रखें. मांगलिक कार्य में हिस्सेदारी करेंगे. आर्थिक पक्ष मज़बूत होगा. उपहार या सम्मान का लाभ मिलेगा. यात्रा का योग बन सकता है.

सिंह (21 जुलाई से 20 अगस्त)
व्यवसायिक व्यस्तता रहेगी. किसी कार्य के संपन्न होने से आपके प्रभाव एवं वर्चस्व में वृद्धि होगी. पारिवारिक मामलों में व्यस्तता रहेगी. यात्रा-देशाटन की संभावना है. अपनों से सहयोग मिलेगा. शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिल सकती है.

कन्या (21 अगस्त से 20 सितंबर)
आपकी राशि का शनि प्रतिशोध की भावना पैदा करेगा, जो हितकर नहीं होगा. व्यवसायिक मामलों में व्यस्तता रहेगी. जीवनसाथी के स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहें. यात्रा-देशाटन की स्थिति सुखद और लाभप्रद रहेगी.

तुला (21 सितंबर से 20 अक्टूबर)
शनि की साढ़े साती आपके दांपत्य जीवन के लिए तनावपूर्ण स्थिति पैदा कर सकती है. व्यवसायिक उलझनें बढ़ेंगी. संतान के व्यवहार के प्रति चिंता रहेगी. आवश्यक दायित्वों की पूर्ति के लिए आप निरंतर प्रयत्नशील रहेंगे.

वृश्चिक (21 अक्टूबर से 20 नवंबर)
व्यवसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी. आर्थिक पक्ष मज़बूत होगा. जीवनसाथी से तनाव मिल सकता है. व्यर्थ की उलझनें रहेंगी. उपहार और सम्मान का लाभ मिलेगा. मित्रों से संबंध बिगड़ने की आशंका है. वाणी में मधुरता बनाए रखें.

धनु (21 नवंबर से 20 दिसंबर)
उपहार या सम्मान के योग हैं. मनोरंजन के सुखद अवसर प्राप्त होंगे. रुका हुआ कार्य सफल होगा. राजनैतिक सहयोग लेने में सफल होंगे. आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी. आप पारिवारिक समस्याओं में उलझे रहेंगे.

मकर (21 दिसंबर से 20 जनवरी)
धार्मिक प्रवृत्ति में वृद्धि होगी. आर्थिक पक्ष मज़बूत होगा. दूसरों से सहयोग लेने में सफलता मिलेगी. व्यवसायिक प्रयास फलीभूत होंगे. संतान के दायित्व की पूर्ति होगी. स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें. व्यर्थ की बातों में न उलझें.

कुंभ (21 जनवरी से 20 फरवरी)
आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी. आपके प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि होगी. व्यवसायिक प्रयास फलीभूत होंगे. शासन-सत्ता का सहयोग मिलेगा. शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी. यात्रा के योग बन सकते हैं. मित्रों का सहयोग मिलेगा.

मीन (21 फरवरी से 20 मार्च)
पारिवारिक उत्सव अथवा अन्य किसी मांगलिक कार्य में हिस्सा लेंगे. निजी संबंध प्रगाढ़ होंगे. धन, पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. व्यवसायिक व्यस्तता रहेगी. उपहार व सम्मान का लाभ मिलेगा. अपनी सेहत का ध्यान रखें.

ज्योतिषाचार्य पं. सुदर्शन

कभी हरिद्वार में ज्यादातर भूमि या तो सरकार के सिंचाई विभाग की थी या फिर आश्रम-अखाड़ों की, लेकिन बाद में धीरे-धीरे भूमि का हस्तांतरण होता चला गया.

हिंदी को उदार बनने की ज़रूरत

अनंत विजय

महाराष्ट्र विधानसभा में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के विधायकों की गुंडागर्दी और हिंदी के नाम पर थप्पड़ कांड के बाद अच्छी-ख़ासी बहस चल पड़ी है. हिंदी के पक्ष और विपक्ष के समर्थकों के बीच तलवारें खिंच गई हैं, लेकिन अगर हम ठंडे दिमाग़ से विचार करें तो हिंदी की व्यापक स्वीकार्यता न होने के पीछे हिंदी के लोग ही ज़िम्मेदार हैं. हिंदी के लोगों का दिल बेहद छोटा है और वे अपनी ज़रा भी आलोचना बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं. कुछ दिनों पहले मैंने एक लेखक के उपन्यास पर लिखा और तर्कों के आधार पर यह साबित किया कि उनका उपन्यास पांच-छह साल पहले आई एक हिट फ़िल्म की तर्ज़ पर लिखा गया है और पाठकों को उसे गंभीरता से लेने की ज़रूरत नहीं है. मेरा वह लेख एक राष्ट्रीय दैनिक में प्रकाशित हुआ. समीक्षा प्रकाशित होने के पहले यह अफ़सर लेखक मुझे गाहे-बगाहे फोन कर लेते थे और अपनी रचनाओं पर लंबी चर्चा भी करते थे, लेकिन मेरी समीक्षा छपने के बाद उनका फोन आना बंद हो गया. वह मुझे अपना जानी दुश्मन समझने लगे और अपने मित्रों के बीच मेरी साख पर ही सवाल खड़े करने लगे. इस बीच कई ख्यातिप्राप्त समीक्षकों ने उस उपन्यास की जमकर तारीफ़ कर दी. इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि बाद में वे मेरी समझ पर सार्वजनिक रूप से ऊलजुलूल बोलने लगे. लेकिन, उनकी इन बातों से मुझे ज़रा भी दुख नहीं हुआ, क्योंकि जब आप लिखना शुरू करते हैं तो इस तरह के ख़तरों के लिए ख़ुद को तैयार रखते हैं और हर लेखक का सोचने-समझने का नज़रिया अलग-अलग होता है. अब एक दूसरा उदाहरण प्रस्तुत है- अंग्रेजी के एक युवा उपन्यासकार ने फ़िल्मी दुनिया के ग्लैमर के स्याह पक्ष को सामने रखते हुए एक उपन्यास लिखा. उस उपन्यास का प्लॉट दिल्ली के जेसिका लाल हत्याकांड से मिलता-जुलता था. मैंने उस पर लिखते हुए इस उपन्यास की कई ख़ामियों की ओर इशारा किया और तर्कों के आधार पर उसे एक कमज़ोर कृति क़रार दे दिया. लेकिन अचानक एक दिन मुझे सुखद आश्चर्य हुआ, जब उक्त लेखक ने फेसबुक पर मुझे ढूंढकर पहले मुझे अपना मित्र बनाया और फिर मेरा नंबर लेकर मुझसे बात की. अब हमारी नियमित बात होती है और वह अपने नए लेखन पर हमेशा मेरी राय चाहते हैं. मेरे लिखे पर अपनी बेबाक़ राय देते भी हैं.

उक्त दो उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि इससे हिंदी और अंग्रेजी के लेखकों की मानसिकता को समझा जा सके. हिंदी के कमोबेश कई लेखकों की यही मनोदशा है. जब तक आप उनके लेखन की प्रशंसा करते रहें, उनकी कृतियों को महान क़रार देते रहें और जब भी जहां भी मौक़ा मिले उनकी प्रशंसा करें, तब तक वे आपको सिर-आंखों पर बिठाए रखेंगे, लेकिन ज्यों ही आपने उनके लेखन पर उंगली उठाई तो आप दुश्मन हो जाएंगे और आपकी समझ सवालों के घेरे में हो जाएगी. लेकिन अंग्रेजी में इससे उलट हालात हैं. अंग्रेजी के लोग अपनी आलोचना को बेहद स्वस्थ और गंभीर तरीक़े से लेते हैं और समीक्षक-आलोचक को कभी दुश्मन नहीं समझते. अंग्रेजी के लोग कबीर के निंदक नियरे राखिए को आत्मसात कर चुके हैं, जबकि हिंदी के लोग अब तक कबीर को न तो समझ पाए हैं और न ही अपना सके हैं.

हिंदुस्तान की एक बड़ी आबादी के बीच हिंदी की व्यापक स्वीकार्यता न होने के पीछे एक वजह इसका राजभाषा होना भी है. सरकारी बाबुओं और अफ़सरों की सरकारी भाषा हिंदी इतनी कठिन होती है कि अगर कोई सरकारी आदेश आपके हाथ लग जाए तो उसे समझने के लिए आपको उसका अंग्रेजी में अनुवाद कराना होगा. ज़रूरत इस बात की है कि हिंदी को राजभाषा के चंगुल से मुक्त कर जनभाषा बनाने की दिशा में प्रयास किया जाना चाहिए. जनभाषा के लिए ज़रूरी है कि इसे लोगों से जोड़ा जाए और सरकारी चंगुल से मुक्त किया जाए. लेकिन, हिंदी के शुद्धतावादियों को इस पर आपत्ति होगी. उन्हें लगेगा कि यह तो हिंदी के ख़िलाफ़ एक साज़िश है और इससे भाषा का चरित्र एवं स्वरूप बदल जाएगा. हिंदी में अंग्रेजी और अन्य भारतीय भाषाओं के शब्दों का इस्तेमाल भी हिंदी के तथाकथित ठेकेदारों को नागवार गुज़रता है. उन्हें लगता है कि इससे भाषा भ्रष्ट हो जाएगी. वे हिंदी को इतना कमज़ोर समझते हैं कि उसे अपने पंखों के नीचे उसी तरह रखना चाहते हैं, जैसे कोई पक्षी अपने अंडे को सेता है. लेकिन हिंदी के इन तथाकथित ठेकेदारों और शुद्धतावादियों को यह समझना होगा कि किसी अन्य भाषा का अगर हिंदी में इस्तेमाल होता है तो इससे भाषा भ्रष्ट नहीं होती, बल्कि समृद्ध होती है. उन्हें यह भी समझ में नहीं आता कि हिंदी कोई इतनी कमज़ोर भाषा नहीं है कि अगर दूसरी भाषा के चंद लोकप्रिय शब्दों का इस्तेमाल होगा तो हिंदी का नाश हो जाएगा. यहां भी हमें अंग्रेजी से सीख लेनी चाहिए. अंग्रेजी की ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के नए संस्करण में हर साल विश्व की कई भाषाओं के लोकप्रिय शब्दों को शामिल किया जाता है और गर्व से अंग्रेजी वाले इसका ऐलान भी करते हैं. आज अंग्रेजी वाले धड़ल्ले से बंदोबस्त और जंगल शब्द का इस्तेमाल करते हैं और कहीं किसी तरफ़ से कोई विरोध की आवाज़ नहीं उठती. यही वजह है कि अंग्रेजी की विश्व भाषा के रूप में स्वीकार्यता है और हिंदी जो तक़रीबन 50 करोड़ लोगों की भाषा है, उसका विरोध उस देश में होता है जहां की वह मूल भाषा है.

इस मसले पर हम हिंदीवालों को गंभीरता से विचार करना चाहिए. हमें संकीर्ण मानसिकता से ऊपर उठकर उसकी स्वीकार्यता बढ़ाने के लिए ज्यादा उदार होना पड़ेगा. यह भी सोचना पड़ेगा कि दक्षिण भारत के राज्यों में जहां हिंदी का विरोध सबसे ज़्यादा है और कई आंदोलन भी हो चुके हैं, वहां आश्चर्यजनक रूप से हिंदी फ़िल्मों का बेहद बड़ा बाज़ार है. क्या वजह है कि लोग हिंदी फ़िल्मों पर तो अपनी जान न्यौछावर कर देते हैं, लेकिन जब भाषा का सवाल आता है तो वे जान लेने और देने पर आमादा हो जाते हैं. व्यापक स्वीकार्यता पाने के लिए ज़रूरी है कि हिंदी को खुले दिल से अन्य भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी के उन शब्दों को अपनाना होगा, जो लोगों की जुबान पर चढ़े हुए हैं. इसका लाभ यह होगा कि दूसरी भाषा के लोगों को यह भरोसा रहेगा कि हिंदी भी उनकी अपनी ही भाषा है और उनके शब्द इसके लिए अछूत नहीं हैं.

(लेखक आईबीएन 7 से जुड़े हैं)

feedback@chauthiduniya.com

हमारी आबादी बहुरंगी है और संस्कृति भी

भारत को सनातन धर्म की आदि भूमि कहा जाता है. सनातन धर्म को ही हम हिंदू धर्म के नाम से भी जानते हैं. हिंदू धर्म की गुत्थियों को सुलझाने से पहले ज़रूरी है कि हम हिंदू धर्म को मानने वाले इस देश की बहुसंख्यक आबादी के मूल के बारे में तहकीकात करें कि हमारी जड़ें कहां छिपी हैं? ऐसा इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि हज़ारों वर्षों से एक ही भू-भाग, एक ही तरह की जलवायु, एक ही सामाजिक ढांचे और एक ही आर्थिक पद्धति के भीतर जीवनयापन की वजह से भारतीय समाज के सभी लोगों के रूप-रंग, वेशभूषा, रहन-सहन, भाव-विचार और जीवन विषयक दृष्टिकोण में आश्चर्यजनक रूप से एकरूपता आ गई है. ऐसे में एक नस्ल के लोगों को दूसरी नस्ल के लोगों से अलग करने का काम अस्वाभाविक और ज़रा मुश्किल भरा मालूम होता है. ऐसा करना कठिन अवश्य है, लेकिन कुछ ऐसी कसौटियां हैं, जिनके आधार पर उनमें वैज्ञानिक आधार पर अंतर कर एक सामान्य निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है. दुनिया में जितनी भी प्रजातियां हैं, उनकी मूल नस्लों की पहचान उनकी भाषा और शारीरिक संरचना के आधार पर की जाती है. इस विषय का अध्ययन अलग-अलग शास्त्रों के रूप में किया जाता है. इनके प्रयोग से मानव जाति के इतिहास की रचना में बहुत सहायता मिली है. रूप-रंग और क़द-काठी के आधार पर भी मनुष्य जाति का अध्ययन जिस शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है, उसे मानुषमिति या जनविज्ञान कहते हैं. जबकि भाषा विज्ञान में प्राचीन भाषा का अध्ययन किया जाता है.

भाषा वर्गीकरण के आधार पर मनुष्य की नस्ल का पता लगाना अपेक्षाकृत कुछ सरल हो गया, मगर रंग-रूप और शरीर के ढांचे को देखकर आदमी के मूल का पता लगाना आसान नहीं है, क्योंकि जलवायु के प्रभाव और विजातीय विवाह आदि के चलते रक्त सम्मिश्रण की वजह से मनुष्य के मूल के निर्धारण में बड़ी उलझनें पैदा हो जाती हैं. फिर भी विज्ञान में प्रजाति निर्धारण की जो कसौटियां बनाई गई हैं, उन पर आदमी की नस्ल की पहचान बहुत हद तक सही-सही कर ली जाती है.

जनविज्ञान की पहली कसौटी रंग की है. जनविज्ञानियों का एक साधारण विश्वास है कि गोरे रंग के लोग आर्य हैं और जिनका रंग पक्का काला है, वे आर्येतर हैं अथवा आर्यों और आर्येतर जातियों के बीच वैवाहिक मिश्रण से उत्पन्न जाति के हैं, जिन पर आर्येतर प्रभाव व्यापक है. खोपड़ी की संरचना देखकर भी नस्ल की पहचान की जाती है. इसी तरह नाक की बनावट भी आदमी की नस्ल को ज़ाहिर करने में मदद करता है. आदमी का क़द या डीलडौल और उसके मुंह या जबड़े की बनावट भी नस्ल की पहचान कराती है.

जनविज्ञान ने संसार की सभी जातियों को मुख्यतः तीन नस्लों में बांट रखा है. पहली नस्ल गोरे लोगों की है, जिन्हें हम कॉकेशियन कहते हैं. दूसरी नस्ल पीले रंग की प्रधानता वाले लोगों की है. ऐसे लोग मंगोल प्रजाति के होते हैं. तीसरी नस्ल की श्रेणी में वे लोग हैं, जिनकी त्वचा का रंग काला है. इन्हें इथोपियन परिवार का बताया गया है. काकेशस रूस से दक्षिण यूरोप एवं एशिया के बीच का भूभाग है और अफ्रीका महादेश के इथोपिया में है. यह विभाजन मुख्यतः रंगों के आधार पर किया गया है, क्योंकि रंग की दृष्टि से संसार में तीन प्रकार के लोग हैं-गोरे, काले और पीले. बाक़ी जो भी रंग हैं, उनमें इन्हीं तीन रंगों में से किसी न किसी की प्रधानता होती है. भारत की आबादी में इन तीनों रंगों के प्रतिनिधियों को देखा जा सकता है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

हरिद्वार अतिक्रमण की चपेट में

डॉ.कमलकांत बुधकर

आज से तिरासी वर्ष पहले 1927 के हरिद्वार महाकुंभ के ब्रिटिश मेलाधिकारी डब्लू. बी. क्रिस्टी ने मेला समाप्त होने के बाद दी गई अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा था कि मेला भूमि पर बढ़ रहे अतिक्रमणों को रोका जाना ज़रूरी है. अगर मेला भूमि को अतिक्रमण से न बचाया गया तो भविष्य में हरिद्वार में कुंभ मेले का आयोजन करना दुश्वार हो जाएगा. तबसे अब तक अतिक्रमण तो रुके नहीं, अलबत्ता हरिद्वार के मुख्य अमृत स्थल हरकी पौड़ी पहुंच कर स्नान करने की कुंभयात्रियों की कामना ज़रूर धूमिल होती चली गई.

हरिद्वार के बारे में कहा जाता था कि यहां भूमि या तो सरकार के सिंचाई विभाग की है या फिर आश्रम-अखाड़ों की, लेकिन बाद में धीरे-धीरे भूमि का हस्तांतरण होता चला गया. 1868 में नगरपालिका के गठन के बाद भूमि के पट्टे दिए जाने की परंपरा शुरू हुई. संस्थाओं को और निजी स्तर पर पट्टे दिए गए, जो कालांतर में फ्रीहोल्ड कर दिए गए. किसी ज़माने का तपोवन धीरे-धीरे शहर में तब्दील होता चला गया. उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य में हरिद्वार आए भारत के पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक अलैक्जेंडर कनिंघम के अनुसार, तपस्वियों की साधनास्थली हरिद्वार का तपोवन रूप तो अकबर के ज़माने में राजा मानसिंह द्वारा शहर बसाए जाने की प्रक्रिया के साथ ही बदलना शुरू हो गया था, लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति और देश विभाजन के बाद तो इस प्रक्रिया में ज़बरदस्त तेज़ी आई. पाकिस्तान से हरिद्वार आए शरणार्थियों के कारण ढाई हज़ार पंडों की बस्ती कहलाने वाले हरिद्वार की जनसंख्या में ही नहीं, बल्कि शहरीपन में भी अंतर आता चला गया. फिर भी बरसों तक हरिद्वार एक कस्बा ही था. न तहसील बना था और न ज़िला. राजनीतिक चेतना और प्रशासनिक ज़रूरतों के चलते हरिद्वार 1984 में तहसील और फिर 1988 में ज़िला बना. छठे दशक में यहां भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की स्थापना के साथ इस तीर्थनगर के औद्योगीकरण का दौर शुरू हुआ, जो अब भी अनवरत जारी है.

इन सब परिवर्तनों का असर यह रहा कि पूरे देश की तरह हरिद्वार में भी जनसंख्या विस्फोट हुआ. लोग बढ़ते गए, घर बढ़ते गए, दुकानें एवं बाज़ार बढ़ते गए और हरिद्वार इन सबके लिए छोटा पड़ता चला गया. जब हरिद्वार स्थायी निवासियों के लिए ही छोटा पड़ गया तो यहां आने वाले तीर्थयात्रियों के लिहाज़ से इसकी सीमाएं बढ़ाने की ज़रूरत स्वाभाविक थी. विकास के साथ-साथ सड़कों के निर्माण व यातायात के साधनों की बढ़ोतरी ने भी हरिद्वार को और अधिक संकरा कर दिया. दुपहिया, तिपहिया और चौपहिया वाहनों की बाढ़ ने आज सड़कों पर पैदल चलना मुहाल कर रखा है. गलियों, सड़कों और बाज़ारों को संकरा बनाने में सर्वाधिक भूमिका निभाई अतिक्रमणों ने. अतिक्रमण सामान्य दिनों में स्थायी निवासियों के लिए सिरदर्द होते हैं और मेले के समय तीर्थयात्रियों एवं प्रशासन के लिए समस्या बन जाते हैं. हर कुंभ-अर्द्धकुंभ से पहले इन्हें हटाने की कवायद की जाती है, लेकिन नतीजा वही ढाक के तीन पात वाली कहावत को ही चरितार्थ करता है.

हरिद्वार अपने धार्मिक चरित्र के चलते जहां आस्तिक तीर्थयात्रियों का आकर्षण स्थल है, वहीं यह तीर्थाटन और पर्यटन प्रेमियों के चलते चाहे-अनचाहे दूरदराज़ के कई वर्गों को अपनी बांहों में समेट लेता है. इनमें पहला वर्ग है भिखारियों का. हरिद्वार में देश भर के भिखारियों का जमावड़ा लगता है, जो यहां चल रहे मुफ़्त के लंगरों और अन्नक्षेत्रों के भरोसे आ जुटते हैं तथा यत्र-तत्र डेरा जमाए पड़े रहते हैं. सरकारी स्थानों, पार्कों, गंगातटों, घाटों और बाज़ारों में जहां-तहां बिखरे भिखारियों के साथ इनके परिवार भी हैं. इनके लिए सरकार ने भिक्षुक सदन की व्यवस्था की है, पर वह भिखारियों की विराट जनसंख्या के आगे ऊंट के मुंह में जीरा बराबर है. इसके बाद नंबर आता है रिक्शे और ठेलीवालों का. हरिद्वार इन लोगों के लिए आजीविका देने वाला शहर है. हरिद्वार की नगरपालिका में एक विभाग है, जिसे हैक्नीकैरिज डिपार्टमेंट के नाम से जाना जाता है. इस विभाग का काम है रिक्शों, तांगों और ठेलियों का हिसाब रखना और उनकी संख्या को नियंत्रित करना.

हरिद्वार अपने धार्मिक चरित्र के चलते जहां आस्तिक तीर्थयात्रियों का आकर्षण स्थल है, वहीं यह तीर्थाटन और पर्यटन प्रेमियों के चलते चाहे-अनचाहे दूरदराज़ के कई वर्गों को अपनी बांहों में समेट लेता है. इनमें पहला वर्ग है भिखारियों का. हरिद्वार में देश भर के भिखारियों का जमावड़ा लगता है, जो यहां चल रहे मुफ़्त के लंगरों और अन्नक्षेत्रों के भरोसे आ जुटते हैं तथा यत्र-तत्र डेरा जमाए पड़े रहते हैं.

फोटो- *प्रभात पाण्डेय*

kk@budhkar.in

नेहा धूपिया का कहना है कि अगर औरतें अपने मेकअप पर घंटों ख़र्च कर सकती हैं तो क्या पुरूष शेव करने के लिए पांच मिनट का भी वक़्त नहीं निकाल सकते?

इंटरनेट की दुनिया में बदलाव

इंटरनेट की नियामक संस्था आईसीएएनएन (इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर एसाइंड नेम्स एंड नंबर्स) का कहना है कि इंटरनेट अस्तित्व में आने के बाद से अपने सबसे बड़े बदलाव की दहलीज पर है. ग़ौरतलब है कि 40 वर्ष पहले इंटरनेट अस्तित्व में आया था, लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है कि इंटरनेट पर टाइप किए जाने वाले पते या वेब एड्रेस के अक्षर लैटिन से अलग लिपि में होंगे. हालांकि यह प्रस्ताव 2008 में स्वीकार किया गया था, जिसके तहत यह निर्णय लिया गया था कि डोमेन नाम एशियाई, अरबी और अन्य लिपियों में भी रखे जा सकेंगे. इससे पहले अमेरिका के इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइंड नेम्स ऐंड नंबर्स ने ऐलान किया था कि लैटिन लिपि के अलावा दूसरी लिपियों में भी इंटरनेट केयूआरएल बनाए जा सकते हैं. अंग्रेज़ी भाषा लैटिन लिपि में लिखी जाती है और इतालवी, स्पैनिश, जर्मन एवं फ्रेंच जैसी भाषाओं में ज़्यादातर अक्षर लैटिन लिपि के ही होते हैं. अब तक दुनिया की हर वेबसाइट का पता सिर्फ़ लैटिन लिपि में ही लिखा जा सकता था, जिसका अंत डॉट कॉम, डॉट ओआरजी, डॉट इन आदि से होता था, लेकिन अब हिंदी, रूसी, चीनी और दूसरी अन्य भाषाओं में भी इंटरनेट के यूआरएल यानी इसके पते लिखे जा सकते हैं.

आईसीएएनएन के अनुसार, इस प्रस्ताव को अंतिम रूप 30 अक्टूबर को दिया गया और ग़ैर लैटिन लिपि में पहला कार्य 16 नवंबर को शुरू हो गया. आईसीएएनएन के अध्यक्ष रॉड बेकस्ट्राम ने संगठन के दक्षिण कोरिया में हो रहे एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए बताया कि यह अंतरराष्ट्रीय डोमेन नाम अगले साल के मध्य से काम करना शुरू कर देगा. उनका कहना था कि आज दुनिया भर में क़रीब डेढ़ अरब लोग इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इनमें से आधे लोग ऐसी भाषा बोलते हैं, जिनकी लिपि लैटिन नहीं है. उन्होंने कहा कि दुनिया में इंटरनेट का इस्तेमाल करने वालों के लिए यह बदलाव बेहद ज़रूरी है, ताकि भविष्य में भी इंटरनेट का विस्तार और अधिक हो. इस बदलाव को लागू करने के लिए बने बोर्ड के चेयरमैन पीटर डेनगेट थ्रस का कहना था कि योजना 2008 में पारित हुई थी, लेकिन इसके लिए सिस्टम के परीक्षणों में काफ़ी समय लगा है. उनका कहना था कि आप इसकी तारीफ़ करते नहीं थकेंगे कि यह कितना जटिल काम है. हमने एक बिल्कुल अलग अनुवाद की प्रणाली बना दी है.

वैसे थाईलैंड और चीन में तकनीक का इस्तेमाल कर उनकी भाषा में आईपी एड्रेस तैयार होते हैं, लेकिन उन्हें अभी तक अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त नहीं है. हालांकि घोषणा के साथ ही इंटरनेट पर अरबी भाषा ने दस्तक दे दी है. मिस्र ने अरबी भाषा में पहला इंटरनेट पता तैयार करने का ऐलान किया है. इससे अरबी भाषा वालों को काफ़ी सहूलियत होगी. मिस्र केसंचार मंत्री ने ऐलान किया कि अरबी ज़ुबान में इंटरनेट का पहला डोमेन तैयार कर लिया गया है. अब इंटरनेट का यूआरएल यानी पता अंग्रेजी नहीं, बल्कि अरबी भाषा में लिखा जा सकेगा. इसके साथ ही डॉट मिस्र केसाथ नए डोमेन पर वेबसाइट के रजिस्ट्रेशन का कार्य शुरू हो गया है. इंटरनेट गवर्नेंस फोरम (आईजीएफ) में उन्होंने कहा कि अब हम कह सकते हैं कि इंटरनेट अरबी भी बोलने लगा है.

शर्म-अल शेख केसम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र के उप महासचिव शा जुकांग ने कहा कि अब वक़्त आ गया है कि विकासशील देशों की भी बात सुनी जाए. उन्होंने कहा कि बेहतर और लोकतांत्रिक प्रणाली से इंटरनेट चलाने का मतलब विकास में सभी को शामिल किया जाना है.

छोटी कार का बड़ा धमाका

आने वाला साल छोटी कार के शौक़ीनों के लिए काफ़ी अहम होगा, क्योंकि कई कंपनियों की छोटी कारें बाज़ार में धूम मचाने वाली हैं. अब उन लोगों की हसरत पूरी हो सकेगी, जो काफ़ी दिनों से कार लेने की सोच रहे हैं, लेकिन बाज़ार में मौजूद कारें उनकी पहली पसंद नहीं बन पा रही हैं. साढ़े तीन लाख से लेकर पांच लाख रुपये तक के सेगमेंट में नौ नामी-गिरामी कंपनियां अपने नए मॉडल बाज़ार में उतार रही हैं.

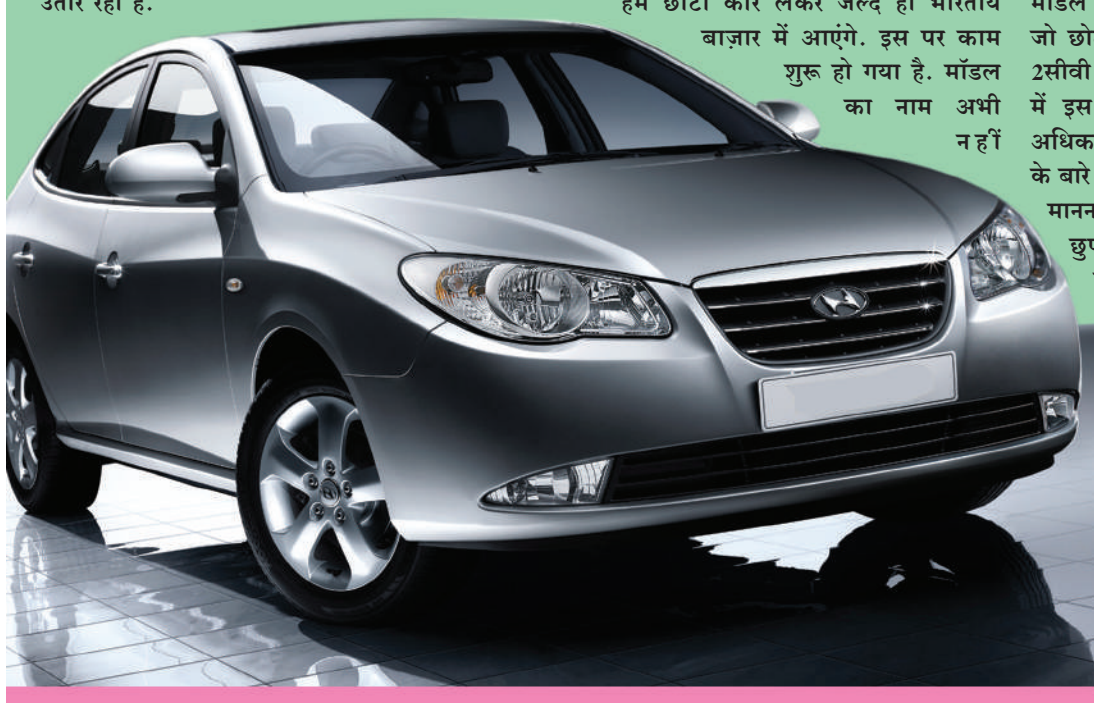

ग़ौरतलब है कि आर्थिक मंदी के कारण इस वक़्त कंपनियां छोटी कारों के पुराने मॉडलों के नए वर्जन बाज़ार में लांच कर काम चला रही हैं, लेकिन इसके पीछे रणनीति यह है कि जैसे ही आर्थिक मंदी का असर कम होगा, वे अपनी छोटी कारों के नए मॉडलों को बाज़ार में लांच कर देंगी. इसके लिए कंपनियों ने 300 से 800 करोड़ रुपये तक का बजट रखा है. हुंडई ने भी छोटी कारों के लिए 800 करोड़ रुपये का बजट रखा है. कंपनी के एमडी का कहना है कि हम छोटी कार लेकर जल्द ही भारतीय बाज़ार में आएंगे. इस पर काम शुरू हो गया है. मॉडल का नाम अभी नहीं रखा गया है. हम भारतीय बाज़ार और ग्राहकों को अपनी छोटी कारों से चौंका देंगे. इसी तरह जनरल मोटर्स अपनी छोटी कार *बीट* मॉडल की तैयारी में लगी है. फोर्ड ने अपनी नई छोटी कार का नाम *फिगो* रखा है. जापान की निशान कंपनी भी इस मामले में पीछे नहीं रहना चाहती है. कंपनी अपनी छोटी कार *माइक्रा* को अगले साल भारतीय बाज़ार में उतारेगी. फिएट और ट्योटा ने छोटी कारों की तैयारी शुरू कर दी है. हालांकि अभी तक इन कंपनियों ने अपने मॉडल के नाम के बारे में कुछ नहीं बताया है. होंडा जो छोटी कार बना रही है, उसका नाम फ़िलहाल 2सीवी रखा गया है. हो सकता है कि कंपनी बाद में इस नाम को बदल दे. हालांकि कंपनी के अधिकारी छोटी कारों की तकनीक और उसके लुक के बारे में कुछ भी नहीं बता रहे हैं. इसके पीछे उनका मानना है कि प्रतियोगिता के इस दौर में कुछ बातें छुपाकर रखना ज़रूरी होता है, वरना इसका फ़ायदा दूसरी कंपनियां उठा सकती हैं.

हीमोफीलिया रोगियों के लिए फैक्टर थेरेपी

आज भी ऐसी कई बीमारियां हैं, जिनका इलाज संभव नहीं है. हालांकि समय-समय पर ऐसे तरीक़े ईजाद किए जाते रहे हैं, जिनकी मदद से इन बीमारियों को नियंत्रित किया जा सके. हीमोफीलिया भी एक ऐसी ही बीमारी है, जिसका पूर्ण इलाज अभी तक नहीं खोजा जा सका है. लेकिन अब इसके नियंत्रण के लिए फार्मा कंपनी बैक्सटर ने रीकौम्बीनेट फैक्टर भारतीय बाज़ार में पेश किया है.

डॉ विंग-येन वांग.

अगर आंकड़ों की नज़र डालें तो भारत में लगभग एक लाख मरीज़ ऐसे हैं, जो विदेशों से आयात होने वाले फैक्टर पर निर्भर रहते हैं, लेकिन अब उनकी यह निर्भरता जल्द ही ख़त्म हो जाएगी. रीकौम्बीनेट के उक्त फैक्टर मूल रूप से द्रव अवस्था में होते हैं, जिनकी सहायता से शरीर में होने वाली प्रोटीन की कमी को पूरा किया जाता है. उक्त फैक्टर जैनेटिकन इंजीनियर्ड हैं, जिन्हें फ्रीक्वेंसी के आधार पर शरीर में इंजेक्शन की मदद से पहुंचाया जाता है. डॉ. विंग येन वांग के मुताबिक़, इन नए फैक्टर्स की मदद से दुनिया भर के हीमोफीलिया के रोगियों को राहत मिलेगी और चिकित्सा के क्षेत्र में एक नई उपलब्धि जुड़ेगी. वहीं दूसरी तरफ़ क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, वेल्लोर के रक्त विज्ञान के प्रमुख आलोक श्रीवास्तव का कहना है कि रक्त में कुल 13 फैक्टर होते हैं, जिनमें आठ और नौ नंबर के फैक्टर रक्त का थक्का बनाने का काम करते हैं. वैसे अभी यह इलाज काफ़ी महंगा है, लेकिन बैक्सटर कंपनी की बात मानें तो जैसे-जैसे इसका प्रयोग बढ़ेगा, थेरेपी का ख़र्च कम कर दिया जाएगा, ताकि इसका फ़ायदा सभी लोगों तक समान रूप से पहुंच सके.

जिलेट का नया अभियान

प्रसिद्ध रेज़र कंपनी जिलेट ने एक नया अभियान चलाया है. शेव इंडिया मूवमेंट वूमेन अगेंस्ट लेजी स्टबल (डब्ल्यू ए एल एस) नामक इस अभियान की शुरुआत की बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री मिनीषा लांबा, नेहा धूपिया और मुग्धा गोडसे ने. इसके तहत उन सभी लोगों को शेव करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, जो समय पर शेव करने से बचते हैं. इस दौरान जिलेट ने 125 रुपये का नया मैक-3 रेज़र भी लांच किया.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

कैसियो का शॉक फ्री कैमरा

फोटोग्राफी का शौक़ रखने वालों के लिए वैसे तो बाज़ार में कई तरह के कैमरे मौजूद हैं. इसके बावजूद उन्हें हमेशा ऐसे कैमरों की तलाश रहती है, जो प्रयोग करने में आसान हों, साथ ही सुरक्षा के लिहाज़ से भी मज़बूत हों. कई बार प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स को ऐसी परिस्थितियों में तस्वीरें खींचनी होती हैं, जहां कैमरे के ख़राब होने की आशंका बढ़ जाती है. जैसे बारिश या किसी ऊंचे स्थान पर कैमरे का प्रयोग करते समय उसके भीगने और गिरने का ख़तरा बना रहता है. इन सारे तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कैसियो कंपनी ने एक्स-जी वन शॉक प्रतिरोधी कैमरा बाज़ार में उतारा है. कैमरे को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि क़रीब 7 फीट की ऊंचाई से गिरने के बावजूद उसे कोई नुक़सान नहीं होगा. सिर्फ़ इतना ही नहीं, यह कैमरा शॉक प्रूफ होने के साथ-साथ डस्टप्रूफ और वॉटरप्रूफ भी है. इसलिए अब चाहे तेज़ बारिश हो या धूल भरी आंधियां, घबराने की ज़रूरत नहीं है. इसका 12.1 मेगा पिक्सल कैमरा 16:9 चौड़े फॉर्मेट के बेहतरीन वीडियो शूट करता है. इसका इंटरवल शूटिंग फंक्शन अपने तय समय पर ऑटोमेटिकली तस्वीरों और वीडियो को रिकॉर्ड करता है.

आपको बस टाइम सेट करके इसे स्टैंड पर लगाकर छोड़ देना है, बाक़ी काम यह ख़ुद कर लेगा. इसका हाई स्पीड शटर, तीन फ्रेम प्रति सेकेंड के हिसाब से एक ही समय में आठ शॉट लेने की क्षमता रखता है. इसके फीचर्स बेहतरीन हैं और लुक भी किसी से कम नहीं है.

इसे मोबाइल की तरह आराम से जेब में रखा जा सकता है. इसकी क़ीमत 299.99 डॉलर है और भारतीय बाज़ार में यह अगले महीने तक आ जाएगा.

विज्ञापन हेतु संपर्क करें : email : advt@chauthiduniya.com

रोजर फेडरर ने अपनी असफलताओं को पीछे छोड़ बेहतरीन प्रदर्शन की बदौलत यह साबित कर दिया है कि वही नंबर वन के सही हक़दार हैं.

फेडरर की बादशाहत

रोजर फेडरर ने अपने करियर में कई उतार-चढ़ाव देखे. कई बार उन्हें चुका हुआ करार दे दिया गया, लेकिन टेनिस के दिग्गज़ खिलाड़ियों की मानें तो फेडरर अभी तक महानतम खिलाड़ियों में शुमार होने वाले खिलाड़ी हैं.

एटीपी वर्ल्ड टूर टेनिस चैंपियनशिप के फ़ाइनल में जीत दर्ज़ करते ही रोजर फेडरर एक बार फिर दुनिया के नंबर वन टेनिस खिलाड़ी बन गए हैं. हालांकि फेडरर के करियर के पिछले कुछ साल चुनौतियों भरे रहे. कई बार टूर्नामेंट के शुरुआती मुक़ाबलों में, तो कभी फ़ाइनल में हार का सामना करना पड़ा और हर हार की हताशा उनके चेहरे पर साफ़ दिखाई देती थी. टेनिस के कई दिग्गज़ों ने इसे फेडरर युग की समाप्ति तक करार दे दिया. ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन में एक के बाद एक हार से उनके प्रशंसकों को भी कुछ वक़्त के लिए ऐसा ही लगा. लगा कि पीट संप्रास के सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम जीतने का रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज़ करने के क़रीब पहुंचा टेनिस का यह सितारा अपनी चमक खो चुका है. इस दौरान फेडरर की बादशाहत को सबसे अधिक चुनौती मिली रफेल नडाल से, जिसे अब तक फेडरर धूल चटाते आ रहे थे. रफेल नडाल ने ही फेडरर को कांटे की टक्कर दी और उनकी बादशाहत के क़िले में सेंध लगाई. 2006 से 2008 तक टेनिस कोर्ट पर फेडरर का दबदबा बरक़रार रहा, लेकिन इस दौरान नडाल ने फेडरर को किसी भी फ्रेंच मुक़ाबले में जीत दर्ज़ नहीं करने दी. हर बार फेडरर फ़ाइनल में पहुंचे और हर बार उन्हें नडाल के हाथों करारी हार का सामना करना पड़ा. चाहे वह 2008 का विंबलडन हो या 2009 का ऑस्ट्रेलियन ओपन, नडाल से ही फेडरर को सर्वाधिक शिकस्त मिली. इन्हीं हार की बदौलत सभी ने फेडरर को चुका हुआ करार दे दिया. यहां तक कि उनकी नंबर एक की कुर्सी भी डगमगा गई, लेकिन 2009 का फ्रेंच और विंबलडन का ख़िताब अपने नाम करते हुए फेडरर ने ज़बरदस्त वापसी के संकेत दिए. हाल में वर्ल्ड टूर टेनिस चैंपियनशिप के फ़ाइनल में भी जीत दर्ज़ कर फेडरर ने साबित कर दिया कि उनका दौर अभी बाक़ी है. इस जीत के साथ फेडरर ने न सिर्फ़ ख़िताब अपने नाम किया, बल्कि वर्ष के अंत में जारी होने वाली ताज़ी रैंकिंग में अपने लिए शीर्ष पायदान भी सुरक्षित कर लिया है. यह पांचवां अवसर होगा, जब फेडरर नंबर एक के पायदान पर होंगे. मतलब यह कि बदक़िस्मती का दौर अब ख़त्म हो चुका है. फेडरर के अच्छे दिन लौट आए हैं.

द्रविड़ में बाक़ी है दम

राहुल द्रविड़ यानी भारतीय टीम की मजबूत दीवार. जब बाक़ी भारतीय टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर जाती है तो टीम की नैया पार लगाने की ज़िम्मेदारी द्रविड़ के कंधों पर आ जाती है. आज जब टेस्ट मैचों में बल्लेबाजी की बात आती है तो सभी की निगाहें सचिन तेंदुलकर से आगे जाने का नाम ही नहीं लेतीं, लेकिन राहुल द्रविड़ क्रिकेट के एक ऐसे जगमग सितारे का नाम है, जो हर वक़्त चमकता रहता है. दिन के उजाले में भी. यह अलग बात है कि सचिन रूपी सूरज के सामने हमें सब कुछ फीका ही नजर आता है. लेकिन आंकड़ों पर ग़ौर करें तो भारतीय टीम को आज नंबर एक की कुर्सी तक पहुंचाने में द्रविड़ की भूमिका किसी दूसरे से कम नहीं है, भले ही हम उन्हें नज़रअंदाज़ करते रहे हों. द्रविड़ के साथी खिलाड़ी चाहे वह सचिन तेंदुलकर हों या सौरव गांगुली, सभी ने धूमधड़ाके से सफलता की बुलंदियों को छुआ, लेकिन किसी को कभी यह पता ही नहीं चल पाया कि द्रविड़ अपने समकालीन साथी खिलाड़ियों से कई मामलों में अव्वल हैं. हम और आप इस हक़ीक़त से वाक़िफ़ नहीं हैं तो शायद इसकी एकमात्र वजह है कि मीडिया ने द्रविड़ को वह स्थान कभी दिया ही नहीं, जिसके वह हक़दार थे और अब भी हैं. सचिन और सौरव की छोटी से छोटी सफलता, धोनी के लंबे तो कभी छोटे बाल मीडिया की सुर्ख़ियां बनते रहे, लेकिन द्रविड़ को हर किसी ने नज़रअंदाज़ किया. शायद इसलिए कि द्रविड़ बग़ैर किसी शोरशराबे के टीम के लिए जुझारू पारी खेलते रहे. इसकी सबसे बड़ी मिसाल हमारे सामने है, श्रीलंका के साथ मौजूदा सीरीज़. पहले टेस्ट की पहली पारी में भारतीय टीम महज़ 50 के स्कोर तक भी नहीं पहुंची थी कि उसके चार बड़े धुरंधर अपना विकेट गंवा कर पैवेलियन लौट चुके थे. उसके बाद बारी आई मिस्टर भरोसेमंद की. भारतीय टीम के इस भरोसेमंद खिलाड़ी ने सभी का भरोसा बरकरार रखा. द्रविड़ ने न सिर्फ़ शतक जड़ा, बल्कि टीम जो एक वक़्त घुटने टेक चुकी थी, को हार के मुंह से बाहर निकाल लिया. यह द्रविड़ की अभी तक की बेहतरीन पारियों में से एक थी. स्वयं द्रविड़ ने भी अपनी इस पारी को करियर की सबसे लयबद्ध पारियों में एक करार दिया. लेकिन मैच के बाद मीडिया से बात करते हुए उनकी बेरुख़ी चेहरे पर साफ़ झलक रही थी. यह साबित करता है कि मीडिया ने जिस तरह उनके साथ दोहरा रवैया अपनाया है, उसकी खीझ उनके चेहरे पर आ ही जाती है.

हालांकि मीडिया का दोहरा मापदंड द्रविड़ के लिए कोई नई बात नहीं है. तभी तो द्रविड़ मीडिया में बोलने के बजाय अपने बल्ले से बोलते हैं. इसकी सबसे बड़ी मिसाल है श्रीलंका के साथ दूसरे टेस्ट में भी द्रविड़ का शतक लगाना. उनकी इस पारी ने भारतीय टीम की जीत में अहम किरदार निभाया. दरअसल, राहुल द्रविड़ दुनिया के उन चंद बल्लेबाज़ों में हैं, जिनकी बल्लेबाज़ी की शैली में क्लासिकल और पेशेवर अंदाज़ का ग़ज़ब मिश्रण है. कोलकाता में कंगारुओं के ख़िलाफ़ फ़ॉलोऑन का पीछा करते हुए लक्ष्मण के साथ उनकी ऐतिहासिक पारी को कौन भूल सकता है. आज द्रविड़ टेस्ट में 11,000 तो एक दिवसीय मैचों में 10,000 से भी अधिक रन का आंकड़ा पार कर चुके हैं. पिछले दिनों कुछ वक़्त के लिए फॉर्म में न होने की वजह से आलोचक द्रविड़ के पीछे पड़ गए थे, लेकिन द्रविड़ ने हाल में दो टेस्ट मैचों में लगातार दो शतक लगाकर यह बात साबित कर दी है कि उनमें अभी काफ़ी दम बाक़ी है.

फोटो– पीटीआई

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

5575.2009HIN

Postal Regn. No. DL/ND-11/6139/2009-11, RNI No. 45843/86

चौथी दुनिया दिल्ली, 7 दिसंबर–13 दिसंबर 2009

आयशा टाकिया आजकल अपनी छोटी बहन नताशा का फ़िल्मी करियर बनाने के लिए जी-जान से जुटी हैं. वह उसे कई बड़े निर्देशकों से भी मिलवा रही हैं.

ईशा के सिर पर हेमा का हाथ

अपने जमाने में ड्रीमगर्ल का ख़िताब हासिल करने वाली हेमा मालिनी ने बहुत नाम कमाया और आज भी कमा रही हैं, लेकिन उनकी बेटी ईशा देओल इस मामले में अभी काफ़ी पीछे हैं. आज तक ईशा की कोई भी फ़िल्म हिट नहीं हुई. अगर हिट हुई भी तो उसका श्रेय दूसरे कलाकारों के ख़ाते में चला गया, जैसे *धूम* और *नो एंट्री*. अपनी बेटी के लड़खड़ाते करियर को संवारने के लिए अब हेमा मालिनी ख़ुद एक साथ तीन-तीन फ़िल्में बनाने जा रही हैं. करें भी क्यों न, आख़िर सवाल बेटी के करियर का है. यह घोषणा उन्होंने ईशा के जन्मदिन के अवसर पर की और लगे हाथ पहली फ़िल्म *टेल मी ओ ख़ुदा* की शुरुआत भी कर दी. इसके अलावा दो अन्य फ़िल्में चंदन राय और मयूर पुरी के निर्देशन में शुरू की जाएंगी, जो *धूम* और *कमीने* जैसी फ़िल्मों में काम कर चुके हैं. इससे ईशा का ख़ुश होना वाज़िब है. ग़ौरतलब है कि ईशा ने अपने करियर की शुरुआत फ़िल्म कोई मेरे दिल से पूछे से की थी. देखते हैं कि ईशा को उनके जन्मदिन पर मिला तोहफा क्या रंग लाता है.

ऐश का ख़राब समय

अभिनेत्रियों को आए दिन किसी न किसी परेशानी का सामना करना पड़ता है. इस समय ऐश्वर्या का समय कुछ ख़राब चल रहा है. परेशानी की वजह यह है कि कई नई अभिनेत्रियां उनकी फ़िल्मों और उनके द्वारा किए गए विज्ञापनों को हड़पने में लगी हुई हैं. उनके साथ कुछ ऐसा ही आशुतोष गोवारिकर ने भी किया. गौरतलब है कि फ़िल्म *जोधा अकबर* में ऐश्वर्या और अभिषेक ने साथ काम किया था और काफ़ी वाहवाही लूटी थी. हाल ही में जब आशुतोष ने अभिषेक के साथ एक नई फ़िल्म बनाने का ऐलान किया था तो लग रहा था कि वह ऐश को उसमें बतौर अभिनेत्री शामिल करेंगे, लेकिन हुआ ठीक उल्टा. इस फ़िल्म में असिन को साइन कर लिया गया. हालांकि बाद में असिन की जगह दीपिका को ले लिया गया. ऐश्वर्या इस बात से काफ़ी ख़फ़ा हैं.

कुछ समय पहले एक ज्वैलरी ब्रांड में उनकी जगह कैटरीना और फेयरनेस क्रीम के विज्ञापन में सोनम कपूर को साइन कर लिया गया था. ऐश्वर्या का परेशान होना वाजिब है, क्योंकि नई हीरोइनों ने पहले उनके विज्ञापनों पर क़ब्ज़ा किया और अब फ़िल्मों पर भी. हमारी दुआ है कि ऐश शीघ्र ही अपनी दिक्कतों से उबरें और उनकी अभिनय यात्रा निरंतर चलती रहे.

आयशा का मार्गदर्शन

बॉलीवुड में अभिनेत्रियां अपनी बहनों को फ़िल्मों में शुरु से ही लाती रही हैं, पहले शमिता शेट्टी और फिर तनीषा मुखर्जी. अब आयशा टाकिया भी अपनी बहन नताशा को फ़िल्मों में लाने की सोच रही हैं. आजकल वह उसका मार्गदर्शन कर रही हैं और उसे बड़े-बड़े निर्देशकों से मिलवा रही हैं. इसके साथ ही वह नताशा को डांस, हिंदी और एक्टिंग के गुण भी सिखा रही हैं. आयशा ने अपनी आने वाली फ़िल्म हम के सेट पर भी उसे बुलाया था. आयशा का कहना है कि वह कुछ समय बाद फ़िल्मों को अलविदा कह देंगी, लेकिन उससे पहले नताशा को स्थापित कर देना चाहती हैं. देखते हैं कि आयशा का मार्गदर्शन कितना रंग लाता है.

अनुष्का शर्मा और दीपिका पादुकोण के बाद शाहरुख अब दक्षिण की हीरोइन तमन्ना के साथ नज़र आएंगे. तमन्ना को फ़िल्म निर्देशक फरहान अख्तर ने शाहरुख के अपोज़िट साइन किया है. फ़िल्म का नाम अभी तय नहीं किया गया है.

राजनीति करेंगी मनीषा

मनीषा कोइराला बॉलीवुड की फ़िल्मों में कुछ समय पहले तक नज़र आती थीं, लेकिन अब तो वह देखने को ही नहीं मिलती हैं. *अनवर*, *सिर्फ़* और *महबूबा* उनकी कुछ आख़िरी फिल्में थीं, जिनमें उन्हें देखा गया था. कुछ समय पहले सुनने में आया था कि वह अपने विदेशी ब्वायफ्रेंड के साथ शादी करके अमेरिका में शिफ्ट होने की सोच रही हैं. और इसके लिए उन्होंने नया घर भी ख़रीद लिया था, लेकिन अब उन्होंने अपना इरादा बदल लिया है. अब वह नेपाल की राजनीति में शामिल होने जा रही हैं. इसकी वजह उनके दादा बीपी कोइराला और उनके चाचा जीपी कोइराला हैं.

ग़ौरतलब है कि दोनों नेपाल की राजनीति में काफ़ी समय से सक्रिय हैं और नेपाल के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं. मनीषा भी राजनीति में भाग्य आज़माने की सोच रही हैं. वह नेपाल में रहकर जनसेवा का काम करेंगी. मनीषा अपने भाई सिद्धार्थ कोइराला का फ़िल्मी करियर बनाने के लिए कुछ फ़िल्मों का निर्माण करने की योजना बना रही हैं. लेकिन सबसे पहले राजनीति.

आने वाली फ़िल्म

फ़िल्म काइट्स पिछले काफी समय से चर्चा में हैं. कभी अंतरराष्ट्रीय अभिनेत्री बारबरा मोरी के साथ में रितिक के हॉट सीन्स को लेकर तो कभी इंटरनेशनल फेस्टीवल में प्रीमियर की वजह से सुर्ख़ियां बटोर रही है. अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में बनी इस फ़िल्म में बतौर कलाकार रितिक रोशन, मैक्सिकन मॉडल एवं अभिनेत्री बारबरा मोरी, कंगना रानात और ल्यूस रेन आदि शामिल हैं. इस फ़िल्म में रितिक रोशन का सालसा डांस रंग जमा सकता है, क्योंकि रितिक एक कुशल डांसर हैं. वैसे तो हिंदी फ़िल्मों का इतिहास गवाह है कि डांस पर आधारित फ़िल्मों को कभी सफलता तो कभी असफलता मिलती है. फ़िल्म का निर्माण राकेश रोशन ने किया है जबकि वितरण की ज़िम्मेदारी संभाली है बिग पिक्चर्स ने. फ़िल्म के निर्देशन अनुराग बासु ने किया है. संगीत तैयार किया है राजेश रोशन ने. 25 मिलियन डॉलर के बजट में बनी यह फ़िल्म 18 दिसंबर को रिलीज़ होगी.

तमन्ना की नई पारी

किंग ख़ान यानी शाहरुख आजकल नई अभिनेत्रियों के साथ काम करना अधिक पसंद करते हैं, ताकि कामयाबी उनके क़दम चूमे. अनुष्का शर्मा और दीपिका पादुकोण के बाद शाहरुख अब दक्षिण की हीरोइन तमन्ना के साथ नज़र आएंगे.

तमन्ना को फ़िल्म निर्देशक फरहान अख्तर ने शाहरुख के अपोज़िट साइन किया है. फ़िल्म का नाम अभी तय नहीं किया गया है.

तमन्ना ने आज तक किसी बॉलीवुड अभिनेता के साथ काम नहीं किया है. दक्षिण की फ़िल्मों से शुरुआत करने वाली तमन्ना की पहली फ़िल्म कुछ ख़ास नहीं चली थी. उनकी दूसरी फ़िल्म *केलारी* की सफलता को देखते हुए फरहान ने अपनी नई फ़िल्म में उन्हें काम करने का मौक़ा दिया है. अब देखना यह है कि शाहरुख के साथ उनकी नई पारी क्या रंग लाती है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com